आवास भारती

वर्ष 21 | अंक 80 | जुलाई-सितम्बर, 2021

विश्व पर्यावास दिवस -2021 पर विशेष

आज़ादी का अमृत महोत्सव

राष्ट्रीय आवास बैंक
NATIONAL HOUSING BANK

किफायती आवास निधि के अंतर्गत पुनर्वित्त योजना

किफायती आवास निधि के अंतर्गत पुनर्वित्त योजना की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार है:

उद्देश्य:

प्राथमिक ऋणदाता संस्थानों से प्राप्त मांगों के आधार पर ग्रामीण और शहरी श्रेणी के अंतर्गत आने वाले, पुनर्वित्त हेतु अनुरोध के यथा तारीख के जिन पर बकाया है ऐसे वैयक्तिक आवास ऋण, जो पिछले 12 महीने के दौरान संवितरित किए गए हैं, को पुनर्वित्त सहायता प्रदान करने हेतु किफायती आवास निधि का उपयोग किया जाएगा।

किफायती आवास निधि के अंतर्गत पुनर्वित्त योजना हेतु पात्र प्राथमिक ऋणदाता संस्थानें:

- आवास वित्त कंपनियां (आ.वि.कं.)
- अनुसूचित शहरी सरकारी बैंक (यूसीबी)
- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी)
- स्मॉल फाइनेंस बैंक (एसएफसी)
- शीर्षस्थ सहकारी आवास वित्त सोसाइटी (एसीएचएफएस)
- कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (एआरडीबी)

कवर क्षेत्र:

- शहरी– प्रधानमंत्री आवास योजना–शहरी के सावंधिक शहर परिभाषा के अंतर्गत आने वाले सभी क्षेत्र;
- ग्रामीण– प्रधानमंत्री आवास योजना–शहरी के सावंधिक शहर परिभाषा के अंतर्गत नहीं आने वाले अन्य कोई क्षेत्र।

पात्र वैयक्तिक आवास ऋण:

- पुनर्वित्त हेतु अनुरोध की यथा तारीख को बकाया वाले वैयक्तिक आवास ऋण जो पिछले 12 महीने में संवितरित किए गए है।
- प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार पर भा.रि. बैंक के मास्टर निर्देशों के पैरा 12.1 (i) में यथा निर्धारित संवितरित वैयक्तिक आवास ऋण।
- प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र और महिलाओं को ऋण प्रदान करने पर भा.रि.बैंक के दिशा–निर्देश में यथा परिभाषित कमजोर वर्ग श्रेणी के अंतर्गत वैयक्तिक आवास ऋण।
- कमजोर वर्ग और महिलाओं को छोड़कर उधारकर्ताओं को ऋणों के संबंध में उधारकर्ता की वार्षिक पारिवारिक आय ग्रामीण क्षेत्र में 3 लाख रूपये से अधिक और शहरी क्षेत्रों में 6 लाख रूपये से अधिक न हो।

ऋण अवधि:

अधिकतम– 7 वर्ष

ब्याज प्रभारण सीमा:

10 साल के सरकारी प्रतिभूति प्रतिफल पर 350 बीपीएस (तिमाही के अंतिम दिन पर प्रतिफल को आगामी तिमाही हेतु पुनर्वित्त के लिये ध्यान में रखा जाएगा)

ब्याज का भुगतान:

मासिक आधार पर संयोजित और तिमाही आधार पर भुगतान

मूलधन की चुकौती:

तिमाही

आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिये विशेष संवितरण:

आ.वि.कं./एसएफबी/आरआरबी हेतु ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में 3 लाख रु. से कम वार्षिक आय वाले ईडब्ल्यूएस वैयक्तिक उधारकर्ताओं के संबंध में दावा राशि का 100% तक पुनर्वित्त।

प्रधान संरक्षक की कलम से...

प्रिय पाठकगण,

आजादी के अमृत महोत्सव एवं विश्व पर्यावास दिवस के उपलक्ष्य में 'आवास भारती' पत्रिका का यह अंक आपके समक्ष प्रस्तुत करते हुए सुखद अनुभूति हो रही है। यह अत्यंत हर्ष का विषय है कि अपनी परंपरा का निर्वाह करते हुए बैंक द्वारा विश्व पर्यावास दिवस के अवसर पर दिये गए "Accelerating urban action for a carbon free world" थीम के अनुक्रम में बेहतरीन तकनीकी लेखों का संकलन अपने प्रबुद्ध पाठकों के लिये किया गया है।

यह हम सभी जानते हैं कि पिछले करीब 10 से 15 वर्षों में नगरीकरण की प्रक्रिया तेजी से बढ़ी है एवं गांव से शहरों की ओर पलायन का मुख्य कारण रोजगार के साथ–साथ शिक्षा एवं विकसित संसाधनों की बेहतर उपलब्धता है। हालांकि इस प्रकिया के चलते पूरे विश्व में वाणिज्यीकरण एवं औद्योगीकरण काफी तेजी से पैर पसार रहा है जिसकी वजह से अब यह महसूस किया जाने लगा है कि शहरों का फैलाव सुव्यवस्थित तरीके से किया जाना चाहिये। मेरा मानना है कि है कि टीयर II एवं टीयर III शहरों को मजबूत आधारभूत सुविधाओं के साथ विकसित करना चाहिये जिससे एक तरफ ये शहरी आवासीय जरुरतों को बेहतर तरीके से पूरा कर सके एवं वहीं दूसरी ओर व्यवसायिक अपेक्षाओं पर भी खरा उतर सके। उभरती आर्थिक अर्थव्यवस्था एवं जनसंख्या के सांख्यिकी परिमाण को देखते हुए यह समय की मांग है कि हम नये शहरों के विकास पर तेजी से कार्य करें, इसके साथ ही यह भी आवश्यक हो जाता है कि अब जो नये शहर विकसित हो अथवा जो फैलाव हो उनके विकास के चरणों में वो गलतियां न दोहराई जाये जो कभी पहले हुई हो।

अगर हम विश्व पर्यावास दिवस के इस वर्ष की थीम की बात करें तो यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि वैश्विक स्थिति अच्छी नहीं है। संयुक्त राज्य अमरीका स्थित मौना लोब ऑबजेक्ट्री पिछले करीब 60–70 सालों से भी अधिक से कार्बनडाई ऑक्साइड के वैश्विक स्तर पर नजर बनाए हुए है। उनके अनुसार 1959–60 में जहाँ कार्बनडाई ऑक्साइड की मात्रा का वार्षिक औसत 316 था जो 2018 में बढ़कर 409 के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। एक प्रकार से प्रतिवर्ष 1.57 पीपीएम की दर से कार्बनडाई ऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि हो रही है। अगर हम विश्व में कार्बन उत्सर्जन की बढ़ोत्तरी के प्रमुख घटकों पर नजर डालें तो मुख्य रूप से वाणिज्यीकरण, औद्योगीकरण एवं नगरीकरण, परंपरागत ईंधन स्त्रोतों के प्रयोग, परंपरागत रूप से धान का उत्पादन एवं हमारी विलासितापूर्ण जीवनशैली के साथ–साथ कार्बन उत्सर्जन पर रोकथाम के लिये किये जाने वाले अपर्याप्त उपाय ही हैं।

हमें यह समझना होगा कि जहाँ एक तरफ नगरीकरण एवं वाणिज्यीकरण हमारी जरूरत है वहीं दूसरी ओर प्राकृतिक संतुलन को बनाये रखना भी हमारी जिम्मेदारी है। हम सभी की यह जिम्मेदारी है कि हम ऐसे नगरीकरण एवं व्यापार को बढ़ावा दें जो पर्यावरण के अनुकूल है। हमें हरित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ना होगा। कई तरह के उपाय करकर हम प्राकृतिक संतुलन को बनाये रखने में अपना योगदान दे सकते हैं जिसमें वैकल्पिक ऊर्जा स्त्रोतों का प्रयोग, ठोस अपशिष्ट प्रबंध, हरित आवास निर्माण, प्रदूषित पानी को साफ कर उसका पुनः प्रयोग, प्रशीतन उपकरणों के सीमित प्रयोग के साथ–साथ ज्यादा से ज्यादा संख्या में वृक्षारोपण आदि शामिल है।

मुझे पाठकों को यह जानकारी देते हुए हर्ष हो रहा है कि राष्ट्रीय आवास बैंक पिछले काफी समय से ऊर्जा दक्ष आवासों एवं हरित आवास को बढ़ावा देने के लिये प्रभावी कदम उठा रहा है एवं बैंक ने केएफडब्ल्यू और एएफडी फ्रांस के साथ मिलकर देश भर में ऊर्जा दक्ष व हरित आवासों के लिये करीब 900 करोड़ रुपये का संवितरण पुनर्वित्त के माध्यम से किया है। वर्तमान में एएफडी, फ्रांस के उपयोग से चल रहे 'भारत में प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग एवं ऊर्जा दक्ष आवास वित्त (SUNREF INDIA)' पर फोकस करते हुए अब तक जहाँ एक तरफ 500 करोड़ रुपये से अधिक हरित आवासों के लिये ऋण संवितरण किया गया है वहीं दूसरी तरफ प्राथमिक ऋणदाता संस्थानों के कर्मियों के लिये कई प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गये हैं एवं आवास बोर्डों तथा प्राथमिक ऋणदाता संस्थानों के माध्यम से जनता को हरित आवास की ओर प्रेरित करने के लिये भी आह्वान किया गया है।

मुझे उम्मीद है कि आप सभी को यह अंक पसंद आयेगा। हमें आपकी प्रतिक्रिया की प्रतिक्षा रहेगी एवं पुनः विश्व पर्यावास दिवस एवं आजादी के अमृत महोत्सव की सभी को बधाई।

(एस. के. होता)
प्रबंध निदेशक

कार्यपालक निदेशक की कलम से...

प्रिय पाठकगण,

मुझे आजादी के अमृत महोत्सव एवं विश्व पर्यावास दिवस के अवसर पर बैंक की प्रतिष्ठित हिंदी पत्रिका 'आवास भारती' का विशेषांक प्रबुद्ध पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है।

आज यह सर्वविदित है कि शहरीकरण की रफ्तार को रोकना असंभव है क्योंकि रोजगार, शिक्षा, अवसर, संरचना उपलब्धता आदि के चलते गांव एवं शहर का अंतर धीरे–धीरे मिट रहा है। यह कहना भी गलत नहीं होगा कि सरकार गांव में भी शहरों की तरह आधारभूत सुविधाएं देने के लिये प्रतिबद्ध है। वहीं दूसरी तरफ शहरीकरण की प्रक्रिया में शहरों की आधारभूत संरचना को और मजबूत बनाने व अवसंरचनिक सुविधाओं को बुनियादी स्तर पर निर्मित करने की जिम्मेदारी भी है। मुझे प्रसन्नता है कि यूएन हैबिटेट द्वारा इस वर्ष का थीम 'Accelerating urban action for a carbon free world' रखा गया है जो कि समसामायिक है एवं शहरीकरण की प्रक्रिया से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है।

शहरीकरण 21वीं सदी की सर्वाधिक परिवर्तनकारी प्रवृत्तियों में से एक है। अगर हम वैश्विक स्तर पर बात करें तो आज शहरों की झुग्गी–बस्तियों में करीब 800 मिलियन लोग रहते हैं जिनको स्वच्छ पानी और बुनियादी सुविधाएं सही प्रकार से उपलब्ध नहीं है जिसकी वजह से एक तरफ कार्बन उत्सर्जन व प्रदूषण बढ़ रहा है वहीं जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव हमारे जीवन चक्र को प्रभावित करने लगे हैं। मौसम में आये परिवर्तन से कृषि भी प्रभावित हो रही है एवं कृषि उत्पादन प्राकृतिक आपदाओं की वजह से नकारात्मक रूप से त्रस्त हुई है। एक और चुनौती वैश्विक स्तर पर भूमि को शहरीकरण के रहने लायक बनाना भी है। आज आवश्यक हो गया है कि शहरों में बढ़ते कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिये हम भी सहयोग करें और सरकार द्वारा चलाये जा रहे विभिन्न उपायों जैसे अपशिष्ट प्रबंध, पानी की रीसाइक्लिंग, हरित आवास, वृक्षारोपण आदि कामों में अपना योगदान करें। एक आम आदमी को केवल सरकार से ही अपेक्षा नहीं करनी चाहिये बल्कि अपने स्तर पर भी अपना योगदान देना चाहिये। एक अनुसंधान के मुताबित वर्ष 2000 के बाद कार्बन उत्सर्जन की मात्रा तेजी से बढ़ी है, इसे ध्यान में रखते हुए विकसित राष्ट्रों ने कार्बन उत्सर्जन को सीमित अथवा शून्य स्तर पर ले जाने की रणनीतियां बनाना शुरू कर दिया है। यूरोपीय संघ और सन्युक्त राज्य अमरीका ने कार्बन उत्सर्जन न्यूट्रेलिटी के लक्ष्य को क्रमशः 2060 या 2050 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है।

शहरी आवास में स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग पर नई नीतियां लाना आवश्यक है। हाल ही के वर्षों में अक्षय ऊर्जा में निवेश में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। आज जरूरत है कि हर घर में सोलर पैनल लगाने के लिये आवश्यक चेतना का प्रसार किया जाये एवं इसमें लगने वाले व्यय को भी तकनीकी माध्यम से कम से कम किया जाये। भारत सरकार द्वारा भी बड़े स्तर पर सब्सिडी दी जा रही है। मैंने यह देखा है कि शहरों में अब लोग ऊर्जा दक्ष आवास, हरित आवास के महत्व को समझने लगे है एवं आम जनता द्वारा इलेक्ट्रिकल गाड़ियों, सोलर पैनल का क्रय एवं नई तकनीक के माध्यम से आवास निर्माण की प्रवृत्ति के लिये रुझान बढ़ा है। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि राष्ट्रीय आवास बैंक भी ऊर्जा दक्ष आवास एवं हरित आवास को आगे बढ़ाने के लिये प्रभावी रूप से केएफडब्ल्यू व एएफडी के साथ मिलकर कार्य कर रहा है। वर्तमान में चल रहा 'भारत में प्राकृतिक संसाधनों के सतत के सतत उपयोग एवं ऊर्जा दक्ष आवास वित्त (SUNREF INDIA)' सफलता के साथ कार्यान्वयित किया जा रहा है।

मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में इसके बेहतर परिणाम होंगे और भारत सरकार की स्मार्ट सिटी की संकल्पना भी सही अर्थों में साकार हो सकेगी एवं हमारे वर्तमान एवं नये शहर स्वावलंबी बन सकेंगे। अंत में मैं सभी लेखकों को बधाई देता हूँ जिनके लेख इस अंक में छप रहे हैं। आप सभी को विश्व पर्यावास दिवस एवं आजादी के अमृत महोत्सव की हार्दिक बधाई।

(राहुल भावे)
कार्यपालक निदेशक

कार्यपालक निदेशक की कलम से...

प्रिय पाठकगण,

सर्वप्रथम आप सभी प्रबुद्ध पाठकों को आजादी के अमृत महोत्सव एवं विश्व पर्यावास दिवस की शुभकामनाएं। मुझे अति प्रसन्नता है कि इस वर्ष भी बैंक द्वारा विश्व पर्यावास दिवस के अवसर पर पूर्व परंपरा के अनुसार गृह पत्रिका "आवास भारती" के विशेषांक का प्रकाशन किया जा रहा है। इस वर्ष यूएन हैबीटेट की थीम "Accelerating urban action for a carbon-free world" रखी गयी है एवं इसी के साथ देश अपने 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आजादी के अमृत महोत्सव का भी आयोजन कर रहा है जिसको ध्यान में रखते हुए पत्रिका में कुछ आलेख भी शामिल किये गए हैं।

कार्बन मुक्त समाज की दिशा में वैश्विक स्तर पर विभिन्न प्रयास किये जा रहें हैं इसी क्रम में यूएन हैबीटेट द्वारा भी इस वर्ष हेतु विश्व पर्यावास दिवस की थीम इससे सम्बंधित ही रखी गयी है। यूएन हैबीटेट के कार्बन उत्सर्जन के विषय में आम जनमानस को जागरूक करने के इस प्रयास में बैंक भी अपनी सक्रिय भूमिका अदा कर रहा है। पत्रिका के इस विशेषांक में कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने के उपाय एवं रणनीतियां, हरित आवास, शहरी गतिविधियों के माध्यम से कार्बन उत्सर्जन को कम करने के उपाय आदि महत्वपूर्ण विषयों पर लेख शामिल किये गए हैं। हालाँकि कार्बन उत्सर्जन सम्बन्धी विभिन्न आकड़ों पर ध्यान दें तो हम यह पाते हैं कि हमारा देश इस श्रेणी में तीसरे स्थान पर है और आश्चर्यजनक बात यह है कि भारत का उत्सर्जन में केवल 07 फीसदी का योगदान है जबकि देश में औद्योगिकीकरण एवं शहरीकरण की रफ्तार दुनिया के किसी भी विकासशील देश से अधिक है। यदि ऐसे औद्योगिकीकरण एवं शहरीकरण के साथ भी देश का कार्बन उत्सर्जन में योगदान मात्र 07 फीसद है तो यह अवश्य कहा जा सकता है कि देश अन्य देशों की तुलना में बेहतर कार्य कर रहा है। कुछ आकड़ों की माने तो भारत अपने कार्बन तटस्थता के लक्ष्य को वर्ष 2060 तक प्राप्त कर पाएगा परन्तु व्यक्तिगत रूप से मेरा मानना यह है कि यह लक्ष्य हम सभी के संयुक्त प्रयास से पहले ही प्राप्त किया जा सकता है। किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने में यदि आस–पास के अन्य लोगों का सहयोग प्राप्त होने लगे तो वह लक्ष्य प्राप्त करना आसान हो जाता है अतः इस कर्तव्य के साथ हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी है कि हम अपनी आने वाली पीढ़ी को एक स्वच्छ एवं सुन्दर धरा उपहार स्वरुप प्रदान करें।

मैं आप सभी को यह भी बताना चाहता हूँ कि बैंक में राजभाषा हिंदी के सफल कार्यान्वयन हेतु राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय की 12 "प्र" की एक जो रूपरेखा प्रस्तुत की गयी है उसी के अनुरूप कार्य किया जा रहा है एवं अधिकारियों को प्रेरणा एवं प्रोत्साहन के माध्यम से हिंदी में कार्य करने हेतु जागरूक किया जा रहा है। बैंक ने पिछले कुछ समय में अधिकारियों हेतु विभिन्न हिंदी ई – टूल्स, दैनिक कार्य में राजभाषा हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने सम्बन्धी एवं अनुवाद मेमोरी पर आधारित एक बेहतरीन सॉफ्टवेयर कंठस्थ पर भी कार्यशालाओं एवं वेबिनार का आयोजन किया। इसके साथ ही बैंक द्वारा एक हिंदी टिप्पण सहायिका का भी प्रकाशन किया गया है जिसके अंतर्गत दैनिक प्रयोग में आने वाली लगभग 900 टिप्पणियों का संकलन किया गया है। अंत में मैं इस ज्ञानवर्धक अंक के लिए संपादक मंडल एवं लेख प्रेषित करने वाले सभी सम्मानित अधिकारियों को धन्यवाद करता हूँ एवं सभी पाठकों से ये अनुरोध करता हूँ कि वे अपने कीमती सुझावों से हमें अवश्य अवगत कराएं।

वैदी

(वी. वैदीश्वरन)
कार्यपालक निदेशक

मुख्य सतर्कता अधिकारी की कलम से...

प्रिय पाठकगण,

आप सभी को मेरी ओर से आजादी के अमृत महोत्सव एवं विश्व पर्यावास दिवस की ढेरों बधाईयां। मुझे यह जानकर काफी प्रसन्नता हुई कि राष्ट्रीय आवास बैंक गत कई वर्षों से विश्व पर्यावास दिवस के अवसर पर अपनी गृह पत्रिका "आवास भारती" का विशेषांक प्रकाशित करता आ रहा है। यह हम सभी के लिए गर्व का विषय है कि विश्व पर्यावास दिवस के अवसर पर माननीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री महोदय द्वारा पत्रिका का अनावरण किया जाता है।

बैंक हर वर्ष विश्व पर्यावास दिवस की थीम के आधार पर विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, वित्तीय संस्थानों, पंजीकृत आवास वित्त कंपनियों, शहरी निकाय, आवास बोर्ड आदि से लेख आमंत्रित करता है। जिसमें से सर्वश्रेष्ठ लेखों को इस विशेषांक में संकलित किया जाता है। इस वर्ष भी बैंक द्वारा इन संस्थानों से लेख आमंत्रित किए गए थे जिनमें से बेहतरीन लेखों का संकलन इस विशेषांक में किया गया है।

इस बार विश्व पर्यावास दिवस की थीम 'Accelerating urban action for a carbon-free world' है। विश्व में बढ़ते हुए कार्बन उत्सर्जन की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। बढ़ते हुए कार्बन उत्सर्जन के कारण विभिन्न अन्य समस्याएं भी सामने आ रही हैं जैसे वैश्विक तापमान में वृद्धि, ग्लेशियर के पिघलने के कारण समुद्र के जल स्तर में वृद्धि के साथ–साथ विभिन्न जीवों के अस्तित्व पर खतरा भी बढ़ गया है। इस समस्या से पार पाने के लिए वर्ष 2015 में हुए पेरिस समझौते में यह निर्धारित किया गया कि वैश्विक तापमान को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखा जाए एवं इस हेतु विभिन्न देशों ने अपनी प्रतिबद्धता भी दर्शायी है। लक्ष्य निर्धारित करना कार्बन तटस्थता की दिशा में सबसे आसान कदम है लेकिन असली चुनौती उस लक्ष्य की ओर बढ़ने की शुरुआत करने में है। इसलिए यह विचार करना महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक देश द्वारा कार्बन तटस्थता के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु गंभीर प्रयास किये जा रहें हैं अथवा नहीं। भारत के परिप्रेक्ष्य में यह उल्लेख करना उचित होगा कि हमारा देश कार्बन उत्सर्जन में तीसरे स्थान पर है। विश्व बैंक की 2021 की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2016 में भारत में प्रति व्यक्ति कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन, 1.82 tCO_2 जो कि वैश्विक औसत 4.55 tCO_2 से बहुत कम था। कार्बन तटस्थता के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु भारत द्वारा अभी कोई घोषणा नहीं की गयी है फिर भी इस लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु निरंतर प्रयास किये जा रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों से सोलर ऊर्जा, वायु ऊर्जा एवं ईंधन में इथेनॉल के प्रयोग, डीजल गाड़ियों पर अधिक कर, इलेक्ट्रिक गाड़ियों हेतु सब्सिडी की योजना आदि को लेकर नयी नीतियां एवं परियोजनाएं देखने को मिली हैं। इन प्रयासों के आधार पर यह आशा करना कि भारत भी कार्बन तटस्थता के अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा बेमानी नहीं होगा। किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु हमें केवल सामूहिक स्तर पर नहीं बल्कि व्यक्तिगत स्तर पर भी प्रयास करने पड़ते हैं अतः बैंक इस पत्रिका में प्रकाशित लेखों के माध्यम से कुछ ऐसे उपाय भी आप सभी पाठकवर्ग के समक्ष प्रस्तुत कर रहा है। आशा है इस दिशा में हम सभी प्रयास करेंगे एवं एक कार्बन मुक्त समाज की वैश्विक संकल्पना को साकार करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे।

एकबार फिर मैं इस विशेषांक के प्रकाशन हेतु संपादक मंडल को बधाई देता हूं और लेख भेजने वाले महानुभावों का धन्यवाद करता हूँ। आशा करता हूँ कि यह विशेषांक सभी के लिए लाभदायक सिद्ध होगा।

(विजय कुमार त्यागी)
मुख्य सतर्कता अधिकारी

विषय सूची

	विषय	पृष्ठ
	(पुरस्कृत- क्रम संख्या 1. से 4.)	
1	विश्व में कार्बन उत्सर्जन में बढ़ोत्तरी के कारण ..... (दीपक कुमार, सहायक प्रबंधक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया)	6
2	हरित आवास - वर्तमान समय की आवश्यकता ..... (स्मृति अरोड़ा, सहायक महाप्रबंधक, आईएफसीआई लि.)	9
3	भारतीय अर्थव्यवस्था में आवास वित्त क्षेत्र की भूमिका .... (नरेंद्र कुमार, सहायक महाप्रबंधक, हडको)	12
4	देश की प्रगति में वित्तीय समावेशन की भूमिका ..... (मधुमिता, उप प्रबंधक, राष्ट्रीय आवास बैंक)	16
	(प्रोत्साहन- क्रम संख्या 5. से 17.)	
5	भारतीय अर्थव्यवस्था में आवास वित्त क्षेत्र की भूमिका .... (अमित कुमार चांडक, डिविजनेल हेड, एडलवाइस हाउसिंग फाइनेंस)	19
6	देश में बढ़ता शहरीकरण : वरदान या अभिशाप ..... (मृदुल रंजन शर्मा, सहायक, भारतीय रिजर्व बैंक)	22
7	देश की प्रगति में वित्तीय समावेशन की भूमिका ..... (मंजुला वाधवा, सहायक महाप्रबंधक, नाबार्ड)	25
8	विश्व में कार्बन उत्सर्जन में बढ़ोत्तरी के कारण ..... (निखिलेश कुमार, प्रबंधक, आईआईएफसीएल)	28
9	देश में बढ़ता शहरीकरण : वरदान या अभिशाप ..... (प्रेम रंजन प्रसाद सिंह, महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक)	32
10	देश में बढ़ता शहरीकरण : वरदान या अभिशाप ..... (संजय कुमार, प्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक)	36
11	भारतीय अर्थव्यवस्था में आवास वित्त क्षेत्र की भूमिका .... (नौशाबा हसन, सहायक महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक)	40
12	शहरी आवासीय गतिविधियों के माध्यम से---रणनीतियाँ .. (पम्मी कुमारी, लिपिक, बैंक ऑफ इंडिया)	44
13	शहरी आवासीय गतिविधियों के माध्यम से---रणनीतियाँ .. (अजीत कुमार, उप प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक)	47
14	देश में बढ़ता शहरीकरण : वरदान या अभिशाप ..... (सिमरनजीत कौर, कार्यालय परिचारक, भारतीय रिजर्व बैंक)	50
15	हरित आवास - वर्तमान समय की आवश्यकता ..... (मिंटू कुमार, प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक)	53
16	देश की प्रगति में वित्तीय समावेशन की भूमिका ..... (अनिल कुमार, प्रबंधक, बैंक ऑफ बड़ौदा)	55
17	देश में बढ़ता शहरीकरण : वरदान या अभिशाप ..... (पूनम बी राजपाल, प्रबंधक, हडको)	58

आवास भारती

राष्ट्रीय आवास बैंक की राजभाषा पत्रिका
(केवल आंतरिक परिचालन हेतु)

पंजी. संख्या, दिल्ली इन / 2001 / 6138

वर्ष 21, अंक 80, जुलाई-सितम्बर, 2021

प्रधान संरक्षक
श्री शारदा कुमार होता
प्रबंध निदेशक

संरक्षक
श्री राहुल भावे
कार्यपालक निदेशक

प्रधान संपादक
वै. राजन
महाप्रबंधक

संपादक
रंजन कुमार बरूआ
उप महाप्रबंधक

सहायक संपादक
शोभित त्रिपाठी
राजभाषा अधिकारी

संपादक मंडल
अमित सिन्हा, उप महाप्रबंधक
प्रशांत कुमार राय, सहायक महाप्रबंधक
सुकृति वाधवा, प्रबंधक
संजीव कुमार सिंह, प्रबंधक
रौनक अग्रवाल, सहायक प्रबंधक

पत्रिका में प्रकाशित रचनाओं में अभिव्यक्त विचार, मौलिकता एवं तथ्य आदि लेखकों के अपने हैं। संपादक या बैंक का इनके लिए ज़िम्मेदार अथवा सहमत होना अनिवार्य नहीं है।

राष्ट्रीय आवास बैंक
NATIONAL HOUSING BANK
(भारत सरकार के अंतर्गत सांविधिक निकाय)

कोर-5 ए, 3-5 वां तल,
भारत पर्यावास केंद्र
लोधी रोड, नई दिल्ली-110003

प्रथम पुरस्कार

विश्व में कार्बन उत्सर्जन में बढ़ोत्तरी के कारण एवं इसे कम करने के उपाय

– दीपक कुमार,
सहायक प्रबंधक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

विगत कुछ दशकों से औद्योगीकरण एवं नगरीकरण को ही किसी राज्य या राष्ट्र के विकास का पैमाना माना जाता रहा है। ध्यातव्य हो कि ये दोनों ही शब्द अपने आप में सुख, समृद्धि एवं संपन्नता के सूचक माने जाते हैं। धारणा यह भी रही है कि जिस क्षेत्र विशेष में औद्योगीकरण व नगरीकरण जितनी तीव्र गति से होगा वह क्षेत्र विशेष उतनी ही तीव्र गति से विकास करेगा। यह धारणा काफ़ी हद तक सही भी है, परंतु जहां यह आर्थिक रूप से संपन्नता एवं आत्मनिर्भरता लेकर आती है, वहीं यह विकास कई तरह की चुनौतियाँ व समस्याएँ भी लेकर आता है। वैश्विक स्तर पर इसी तरह की एक समस्या पर्यावरण प्रदूषण है। विश्व के सभी देशों द्वारा की जा रही औद्योगिक गतिविधियों से विश्व में ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन काफी तेज गति से बढ़ रहा है, जिसके कारण पृथ्वी के तापमान में निरंतर वृद्धि होती जा रही है। तापमान में होने वाली इस वृद्धि में सबसे अधिक योगदान कार्बन डाई ऑक्साइड गैस का है। जिन देशों में औद्योगिक गतिविधियाँ ज्यादा होती हैं, वहां कार्बन का उत्सर्जन अधिक होता है।

ऐसा प्रथम बार हुआ है जब कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर 421.21 पीपीएम पर पहुंच गया है, जो अब तक का उच्चतम बिंदु है। 03 अप्रैल, 2021 को 'मौना लोआ वेधशाला' द्वारा दर्ज आंकड़ों के अनुसार यह पहला अवसर है जब कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर इतना ऊंचा रिकॉर्ड किया गया है। इससे पहले 'नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन (एनओएए)' द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार मई, 2020 में वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर 417.64 पीपीएम रिकॉर्ड किया गया था। यह भयानक स्थिति तब उत्पन्न होती है जब लॉकडाउन के कारण वैश्विक स्तर पर छाई आर्थिक मंदी के कारण कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में 7 फीसदी की कमी दर्ज की गई थी।

अमेरिका स्थित मौना लोवा ऑब्जर्वेटरी 1950 के दशक से पृथ्वी के वातावरण में कार्बन डाईऑक्साइड के स्तर पर नजर बनाये हुए है, उसके अनुसार जहां 1959 में कार्बन डाई ऑक्साइड की मात्रा का वार्षिक औसत 315.97 था, जो कि 2018 में 92.55 अंक बढ़कर 408.52 के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया था। ध्यातव्य हो कि 2014 में पहली बार वातावरण में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर 400 पीपीएम के पार गया था। यदि इसका औसत देखा जाए तो वर्ष 1959 से लेकर 2018 तक हर वर्ष वायुमंडल में विद्यमान कार्बन डाई ऑक्साइड की मात्रा में 1.57 पीपीएम की दर से वृद्धि हो रही थी।

विश्व में कार्बन उत्सर्जन में बढ़ोत्तरी के प्रमुख कारण:

वस्तुतः कार्बन उत्सर्जन जलवायु परिवर्तन के लिए प्रमुख रूप से जिम्मेदार है, जो सम्पूर्ण मनुष्य जाति के लिए एक भयानक परिवर्तन साबित हो सकता है। कार्बन उत्सर्जन में बढ़ोत्तरी के बहुत से कारण हैं, जिनमें से प्रमुख कारण निम्न प्रकार से हैं:

- **औद्योगिकीकरण व नगरीकरण संबंधी गतिविधियां:**

  फैक्टरियों से निकलने वाला धुआं व गंदा जल भी कार्बन उत्सर्जन का प्रमुख कारण है। जितनी अधिक संख्या में फैक्टरियां होंगी उतना ही अधिक कार्बन उत्सर्जन भी होगा। इसी प्रकार नगरीकरण के लिए अधिक मात्रा में जमीन का खनन एवं भवन निर्माण के लिए सामग्री की आवश्यकता होती है। नगरों में जनसंख्या घनत्व अधिक होने से विद्युत ऊर्जा की अधिक खपत होने से भी कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि होती है।

- **पारंपरिक ईंधन का प्रयोग:**

  ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट के मुताबिक–2017 में कार्बन उत्सर्जित

करने वाले टॉप – 4 देश चीन (27%), अमेरिका (15%), यूरोपीय यूनियन (10%) और भारत (7%) थे। वर्तमान में भारत कार्बन डाईऑक्साइड उत्सर्जन के मामले में तीसरे नंबर पर है। चीन और भारत जैसे देश आज भी ऊर्जा उत्पादन के लिए परंपरागत रूप से गैर–नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत कोयला, पेट्रोलियम व एलपीजी आदि पर निर्भर हैं, जिनसे अत्यधिक मात्रा में ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होता है।

☛ **परंपरागत तरीके से चावल का उत्पादनः**

हम सभी को ज्ञात है कि चावल के उत्पादन में कार्बन का उत्सर्जन बहुत ज्यादा होता है। यहाँ तक कि एविएशन उद्योग और चावल के उत्पादन में कार्बन का उत्सर्जन लगभग बराबर है। ऐसा इसलिए क्योंकि ज्यादातर चावल पानी से भरे खेतों में उगाए जाते हैं। पानी मिट्टी तक ऑक्सीज़न को जाने से रोकता है इस वजह से जीवाणुओं को मीथेन बनाने के लिए आदर्श स्थिति मिल जाती है। मीथेन एक तरह की गैस है, जो प्रति कि०ग्रा० कार्बन डाईऑक्साइड की तुलना में 25 गुना ज्यादा वैश्विक तापमान बढ़ा सकती है।

☛ **विलासितापूर्ण जीवनशैलीः**

वर्तमान में वैश्विक खपत और उत्पादन मॉडल पूंजीवादी विकास और नव–उदारवाद के सिद्धांतों से प्रेरित है। जहां पर पर्यावरण संरक्षण की बात करना ही एक चुनौती है। अक्सर देखा गया है कि अनावश्यक और विलासिता की वस्तुओं / गतिविधियों के कारण कार्बन डाई ऑक्साइड का उत्सर्जन बढ़ जाता है। आप गौर करेंगे तो पाएंगे कि अमीरों द्वारा उत्सर्जन का सबसे बड़ा हिस्सा निजी उड़ानों और निजी कारों व अन्य तरह के वाहनों के कारण है, जिसमें निजी जेट, लक्जरी एसयूवी, स्पोर्ट्स व अन्य तरह की आरामदेह कारों की बड़ी संख्या, फ्रीज़, एयरकंडीशनर आदि शामिल हैं।

☛ **वैश्विक कार्बन बजट में कमीः**

विभिन्न रिपोर्टों के अध्ययन से हमें पता चला है कि वैश्विक कार्बन बजट में तेजी से कमी आयी है। जिससे कार्बन उत्सर्जन को कम करने संबंधी गतिविधियों को बढ़ावा नहीं मिल पा रहा है। जबकि इसका प्रयोग विभिन्न मानव समुदायों के लिए एक गरिमापूर्ण और सभ्य जीवन जीने के लिए किया जाना चाहिए।

☛ **कार्बन उत्सर्जन पर रोकथाम के लिए अपर्याप्त उपायः**

वर्तमान में पर्यावरण क्षरण की गंभीर चुनौती से निपटने के लिये औद्योगिक क्षेत्र और देशों पर लगाए जाने वाले कार्बन टैक्स और गैर–बाध्यकारी जलवायु प्रतिबद्धताएँ जैसे उपाय अपर्याप्त हैं। इस कारण भी कार्बन उत्सर्जन को बढ़ावा मिल रहा है।

कार्बन उत्सर्जन कम करने के उपायः

हम सभी जानते हैं कि जलवायु परिवर्तन में कार्बन उत्सर्जन अहम भूमिका निभाता है। जलवायु परिवर्तन से सूखा, बाढ़, अतिवृष्टि, ग्लेशियरों का पिघलना और पृथ्वी के तापमान में वृद्धि आदि परिवर्तन आते हैं। अतः यह आवश्यक है कि कार्बन उत्सर्जन में कमी लायी जाए। कार्बन उत्सर्जन को कम करने के उपाय निम्नलिखित हैं:

☛ **पर्यावरण अनुकूल व्यापार को बढ़ावा**

स्वाभाविक तौर पर व्यवसाय सामाजिक संस्थाएं होती हैं और अपने मूल्यों के चलते स्थानीय और वैश्विक तौर पर सामाजिक–आर्थिक प्रगति को बढ़ावा देती हैं। ऐसे में कार्बन उत्सर्जन के ज़ीरो लक्ष्य को प्राप्त करने में किसी भी देश में इसकी अहम भूमिका होती है। हालांकि ग्रीन इकोनॉमी की ओर बदलाव में इन कारकों की भूमिका बेहद अहम है जिसे नीति निर्माताओं को अपने व्यापारिक रणनीति में शामिल करना चाहिए। इसके लिए आपूर्ति श्रृंखलाओं की अधिक से अधिक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, कार्बन के व्यावहारिक मूल्य के लिए व्यापारिक विकल्प तैयार करने के साथ ग्रीन कारोबारी अवसरों की खोज करना आवश्यक है जिससे दुनिया भर में कार्बन रहित विश्व के सपने को साकार किया जा सके। कंपनियों के लिए सिर्फ कार्बन उत्सर्जन के स्तर को ही कम करने की प्राथमिकता नहीं होनी चाहिए बल्कि जहां तक संभव हो इसके लिए परीक्षण और इसे और युक्तिसंगत बनाने के लिए नीति और तकनीक को भी बढ़ावा देने की आवश्यकता है।

टिकाऊ मैन्युफैक्चरिंग एक तरह का पर्यावरण अनुकूल व्यापार का अनुशासित जरिया है। इसमें नियंत्रित उत्सर्जन प्रोफाइल, जीवन चक्र आकलन, ज़ीरो वेस्ट टू लैंडफिल (जेडडब्ल्यूएल) और पानी को लेकर सकारात्मक इस्तेमाल जैसी बुनियादी अवधारणाएं शामिल होती हैं, जिसका मक़सद व्यापारिक गतिविधियों के जरिए कार्बन उत्सर्जन को कम करना है। इसके साथ ही वाहनों के उत्सर्जन में कमी लाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समझौतों का

सम्मान और वैकल्पिक ऊर्जा विकल्पों में निवेश करना इस लक्ष्य को पूरा करने में मददगार साबित हो सकता है।

- **सामाजिक जागरूकता और कराधान ढांचे में सुधार द्वारा:**

जैसा कि दुनिया भर में ऊर्जा की मांग तेजी से बढ़ रही है और दुनिया में कई अर्थव्यवस्थाएं कार्बन आधारित प्रोजेक्ट की ओर अग्रसर हैं, तब ऐसे समय में सरकारों को कार्बन उत्सर्जन के शून्य स्तर तक पहुंचने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निर्णायक भूमिका अख्तियार करने के साथ घरेलू स्तर पर इसे लेकर प्रतिबद्धता निभाने की ज़रूरत है। इसे लेकर ना सिर्फ विधायिका का हस्तक्षेप बल्कि सामाजिक परिप्रेक्ष्य में आम राय बनाने की भी ज़रूरत है। इन बदलावों को बढ़ावा देने के लिए उद्योग विशेष संबंधी चर्चा और स्वतंत्र नियामक ढांचा तैयार करने की भी ज़रूरत है। रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए कार्बन टैक्स जैसे प्रगतिशील कदम के साथ साथ पर्यावरण के लिए अनुकूल औद्योगिक समाधान को बढ़ावा देने की भी ज़रूरत है।

कार्बन उत्सर्जन को रोकने के लिए कानून का सहारा भी लिया जा सकता है। यहाँ तक कि कानून को मजबूत हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे प्रदूषण फैलाने वाली कंपनियों एवं सरकारों के खिलाफ लड़ाई को मजबूत किया जा सके। ऐसा ही एक उदाहरण है नीदरलैंड की तेल कंपनी का। वहाँ की अदालत ने कहा कि तेल कंपनी कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए पेरिस समझौते से बंधी हुई है। इसे अहम मामला माना जा रहा है।

- **नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग:**

नवीकरणीय ऊर्जा जैसे कि सौर ऊर्जा के उपयोग से हम कार्बन उत्सर्जन को न्यूनतम स्तर पर ला सकते हैं। उदाहरण स्वरूप, मोरक्को ऐसा देश है जिसने अपनी ऊर्जा की मांग को पूरा करने के लिए सोलर फार्म को स्थापित किया जिसके जरिए बहुत हद तक कार्बन उत्सर्जन की दर को कम किया गया। इसके साथ ही दुनिया भर में ऊर्जा संबंधी उत्सर्जन का 70 फ़ीसदी शहरों के द्वारा किया जाता है। ऐसे में कार्बन उत्सर्जन की दर में कमी लाने की अवधारणा को स्थानीय और नगर निगम के स्तर पर भी बढ़ावा देने की ज़रूरत है।

- **देशों के विकेंद्रित प्रयास द्वारा:**

अगर हम बेरोक–टोक बढ़ते हुए कार्बन उत्सर्जन के स्तर की इंसानी कीमत के बारे में सोचें तो कार्बन उत्सर्जन की सीमा को शून्य करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दुनिया की सहमति अपेक्षित नहीं होगी। इस वक्त हालात ऐसे हैं कि दुनिया को कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने के लिए एक निर्णायक और विकेंद्रित कार्रवाई की ज़रूरत है। इस लक्ष्य में शामिल सभी देश और इससे संबंधित निजी या सार्वजनिक संस्थाएं हों – उनके लिए यह अनोखा मौका है जिससे कि वो आने वाले भविष्य को ज्यादा से ज्यादा हरा भरा बना सकें।

- **वनों के संरक्षण व पौधारोपण द्वारा:**

हम सभी अवगत हैं कि जिस क्षेत्र में पेड़–पौधे अधिक होते हैं वहाँ प्राकृतिक ऋतुएं समय पर आती हैं और उस क्षेत्र विशेष का तापमान भी नगरों की अपेक्षा कम रहता है। वनों के संरक्षण से प्राकृतिक सम्पदा संरक्षित होगी और पेड़–पौधे कार्बन का अधिक अवशोषण करेंगे। इन्हीं पेड़ों में से एक पेड़ है बाँस, जो दुनिया भर में सबसे तेजी से बढ़ने वाला पेड़ माना जाता है। यह एक दिन में एक मीटर तक भी बढ़ सकता है और शेष पेड़ों की तुलना में यह कार्बन भी ज्यादा तेजी से खींचता है। अधिकाधिक पौधारोपण से कई अन्य फायदे भी हैं। यथा पेड़–पौधे मिट्टी के कटाव को रोकने में भी अहम भूमिका निभाते हैं।

भारत जहां दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कार्बन उत्सर्जक देश है, वहीं दुनिया के 20 सर्वाधिक प्रदूषित नगर भी भारत में ही हैं। दुनिया भर में कार्बन डाई ऑक्साइड का बढ़ रहा स्तर सम्पूर्ण मानव समुदाय के लिए चिंता का विषय है। हालांकि सीधे तौर पर कार्बन डाईऑक्साइड के बढ़ते स्तर का भारत पर क्या असर होगा, इसका कोई आकलन मौजूद नहीं है। फिर भी सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट द्वारा किया गया अध्ययन दर्शाता है कि 20 वीं सदी की शुरुआत के बाद से भारत के वार्षिक औसत तापमान में लगभग 1.2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो चुकी है। हालांकि हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि लेख में उपरोक्त वर्णित कार्बन उत्सर्जन में बढ़ोत्तरी के कारणों को दूर करके व इसे कम करने के उपायों जैसे पर्यावरण अनुकूल व्यापार को बढ़ावा देकर, सामाजिक जागरूकता एवं कराधान ढांचे में सुधार करके, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के उपयोग व वनों के संरक्षण एवं अधिकाधिक पौधारोपण आदि को अपनाकर हम अपनी धरती को शुद्ध हवा से युक्त बना सकते हैं। फलस्वरूप हमारी आने वाली सन्तानें स्वस्थ जीवन जी सकेंगी।

द्वितीय पुरस्कार

हरित आवास - वर्तमान समय की आवश्यकता

– स्मृति अरोड़ा
सहायक महाप्रबंधक, आईएफसीआई लि.

हरित आवास अर्थात् एक ऐसा आवास जो अपनी सरंचना, निर्माण, और संचालन के माध्यम से प्रकृति, पर्यावरण और जलवायु को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। प्राकृतिक संसाधनो के सरंक्षण और पर्यावरण को और अधिक बिगड़ने से बचाने के लिए हरित भवन समय की आवश्यकता है। हरित भवन पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ सरंचना है, जो प्रकृति के साथ भूमि, सामग्री, ऊर्जा और पानी का कुशल प्रयोग करती है। हरित भवन प्रोद्योगिकियो और सामग्रियों का कार्यान्वयन, अचल संपतियों के कार्बन चिन्ह को कम कर सकता है।

विश्व मे बढ़ते कार्बन उत्सर्जन को देखते हुए आज हर व्यक्ति को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक हो जाना चाहिए। पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली विकसित करने का समय आ चुका है। आज जनसाधारण को आवश्यकता है एक ऐसे भवन निर्माण की जो न केवल सुविधाप्रद हो अपितु पर्यावरण हितैषी भी हो। आज बढ़ते कार्बन उत्सर्जन और ग्लोबल वार्मिंग को देखते हुए हरित आवास समय की आवश्यकता बन चुका है। न केवल वर्तमान बल्कि आने वाली पीढ़ियों के सुखद भविष्य के लिए पर्यावरण का सरंक्षण आवश्यक है और इसकी प्राप्ति के लिए एक प्रयास है हरित आवास।

सूरज की किरणें जब पड़ती हैं धरती पर,
तभी होता है सवेरा,
पेड़ लगाओ, धरती बचाओ,
तभी कर पाएंगे बसेरा

आज हर मानव को उपरोक्त पंक्तियो को आत्मसात करने की आवश्यकता है। पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली विकसित करने का समय आ गया है। रिकॉर्ड छूती गर्मी पूरे विश्व में समस्याएँ पैदा कर रही है। ग्रीस, जर्मनी, हॉलैंड, लातविया, नॉर्वे, पोलैंड और स्वीडन के जंगलों में आग लगने की खतरनाक घटनाएँ घटित हुई हैं। कई देशों में अभी भी गर्मी के संबंध में चेतावनियाँ दिया जाना जारी है। आउटडोर पिकनिक पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। फिनलैंड में पिछले 30 सालों से हरे–भरे रहने वाले क्षेत्र अब सूखने लगे हैं। यह सब कुछ परिकल्पनीय है। हर साल यूरोप में गर्मी पिछले साल की तुलना में अधिक होती है। लेकिन यह कहानी केवल यूरोप की ही नहीं अपितु पूरी दुनिया की है क्योंकि जलवायु परिवर्तन हर क्षेत्र को प्रभावित कर रहा है।

- यूरोप ने यह अनुमान लगाया है कि ग्लोबल वार्मिंग को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखने के पेरिस समझौते की प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिये हर साल 180 बिलियन यूरो निवेश करने की आवश्यकता होगी। विश्व आर्थिक मंच का अनुमान है कि इस संकल्प को पूरा करने के लिये 2030 तक हर साल 5 ट्रिलियन डॉलर की ज़रूरत होगी।
- अगर भारत की बात की जाए तो 2040 तक देश को बुनियादी ढाँचे के वित्तपोषण में करीब 4.5 ट्रिलियन डॉलर निवेश करने की जरूरत है।
- इनमें से 2022 तक भारत के राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये 125 बिलियन डॉलर, इलेक्ट्रिक वाहनों के लिये 667 बिलियन डॉलर और किफायती हरित आवासों के लिये लगभग 1 ट्रिलियन डॉलर की आवश्यकता होगी।
- लेकिन हरित क्षेत्र के विकास के लिए और भी कई क्षेत्रों में निवेश किये जाने की आवश्यकता है। जैसे कि ऊर्जा दक्षता। ऊर्जा दक्षता में बहुत अधिक क्षमता है क्योंकि अकेले आवास क्षेत्र में बाज़ार का 35% और कृषि नलकूपों का 18% (सभी उपलब्ध ताज़े पानी के संसाधनों का 85% उपभोग सहित) हिस्सा शामिल हैं। अपशिष्ट प्रबंधन, जलवायु–प्रत्यास्थी शहरों, भूमि उपयोग प्रथाओं, वनीकरण और वनों की कटाई, हरित इमारतों और वायु प्रदूषण उन सभी क्षेत्रों में हैं जिन्हें वित्तपोषित करने की आवश्यकता है।

इन्हीं समस्याओं को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2001 के ऊर्जा संरक्षण कानून के अन्तर्गत देश के भवनों के लिये ऊर्जा संरक्षण कोड (ईसीबीसी) विकसित किये गए। हाल ही में ईसीबीसी में समयानुकूल संशोधन किये गए हैं ताकि पर्यावरण अनुकूलित घरों को बढ़ावा दिया जा सके।

भारत में हरित भवन का बाजार वर्तमान में विकास के प्रारंभिक चरण में है, जिसमें केवल 5% भवनों को हरे रंग के रूप में वर्गीकृत किया गया है। भारतीय हरित भवनों का बाजार 2022 तक लगभग 10 बिलियन वर्ग फुट तक पहुंचने की उम्मीद है, जिसका मूल्य 35 बिलियन अमरीकी डालर से 50 बिलियन अमरीकी डालर के बीच है। इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल (IGBC) के अनुसार, भारत ने 7.17 बिलियन वर्ग फुट 'ग्रीन बिल्डिंग फुटप्रिंट' हासिल किया है। इसमें कहा गया है कि देश में लगभग 6,000 हरित परियोजनाएं और 5.77 लाख एकड़ से अधिक बड़ी विकास परियोजनाएं हैं, जिससे मदद मिल रही है। वास्तविक लक्ष्य तिथि से दो साल पहले, हरित भवन पदचिह्न लक्ष्य का 75% प्राप्त करने की संभावना है। LEED (लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवायर्नमेंटल डिज़ाइन) –जीबीसी इंडिया सर्वे के अनुसार, महाराष्ट्र भारत में हरित भवनों में पहले स्थान पर है, इसके बाद कर्नाटक, हरियाणा, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश का स्थान है। हरित भवनों और उनके दीर्घकालिक लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ने से निश्चित रूप से हरित भवन निर्माण को बढ़ावा मिलेगा। कोविड –19 महामारी ने लोगों को स्वास्थ्य, भलाई और आराम के बारे में जागरूक किया है और लोग तेजी से उन इमारतों में रहना पसंद कर रहे हैं जिनमें बेहतर वेंटिलेशन सिस्टम, पर्याप्त दिन के उजाले और ताजा पानी हैं। पेरिस जलवायु समझौते के तहत, भारत 2030 तक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को 35% और कार्बन को लगभग तीन बिलियन टन कम करने के लिए काम कर रहा है। भारत में 'सभी के लिए आवास' योजना किफायती और हरित आवास को आत्मसात करने का अवसर प्रदान कर सकता है और इस प्रकार, भारत के आवासीय बाजार में एक स्थायी परिवर्तन पैदा कर सकता है। हरित भवनों को बढ़ाने के लिए, भारत को मानकों के मानकीकरण, आकर्षक प्रोत्साहन योजनाओं और हरित भवनों के निर्माण के लिए पर्याप्त कुशल और जानकार जनशक्ति की आवश्यकता है।

ये घर जलवायु परिवर्तन की रफ्तार को नियंत्रित करने में भी सहायता प्रदान कर सकते हैं। हम सभी जानते हैं कि सम्पूर्ण विश्व जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को महसूस कर रहा है, जिसका मुख्य कारक कार्बन डाइऑक्साइड है जो लगभग 55 प्रतिशत वैश्विक तापन के लिये जिम्मेदार है और निर्माण, अन्य उद्योगों के साथ 40 प्रतिशत मानव–निर्मित कार्बन उत्सर्जन के लिये जिम्मेदार है, अतः सरकारें और व्यक्ति दोनों पर्यावरण के अनुकूल घरों के निर्माण का कार्य अधिक गम्भीरता से ले रहे हैं।

किसी भी पर्यावरण अनुकूल घर की एक प्रमुख विशेषता कम ऊर्जा का उपयोग है। वास्तव में, हरे घर सामान्य घरों से 20 प्रतिशत कम ऊर्जा का उपयोग करते हैं। जल संरक्षण और रीसाइक्लिंग सिद्धान्तों को घर के निर्माण और इसके दैनिक कार्यों के लिये लागू किया गया है।

संक्षेप मे हरित आवास में निम्न विशेषताएँ होनी चाहिएं:

- आवास निर्माण करते समय अनुकूल सामग्री का प्रयोग करना,
- इमारतें बनाने के लिए रीसाइकल हो सकने वाली सामग्री का प्रयोग करना,
- पर्यावरण का कम से कम नुकसान हो, ऐसी प्रणाली का प्रयोग करना,
- बारिश के पानी का संग्रहण एवं उचित प्रयोग करना,
- मल निकासी की प्रक्रिया मे प्राकृतिक संसाधनो को हानि न पहुंचाना,
- सौर ऊर्जा का प्रयोग और ताप विद्युत का कम से कम प्रयोग करना।

एक अध्ययन के अनुसार हरित निर्माण मे बचाई गई 400 खरब बी.टी. यू.एस. ऊर्जा साढ़े चार लाख से अधिक घरों की ऊर्जा पूर्ति कर सकती है। हरित आवास के कुछ अन्य लाभ निम्नलिखित हैं :

- जल संसाधन की बर्बादी से बचाव,
- हवा और पानी की गुणवत्ता को बढ़ावा,
- ऊर्जा सरंक्षण,
- जैव विविधता और इको प्रणाली को सुरक्षित करना,
- स्वास्थ्य की दृष्टि से लाभप्रद होना,
- हरित उत्पादो और सेवाओं के लिए बाज़ार के दरवाजे खोलना अर्थात् आर्थिक लाभ अर्जित करना।

कुल मिलाकर एक हरित आवास पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ सरंचना है, जो प्रकृति के साथ पूर्ण रूप से तालमेल बैठाती है, रखरखाव शुल्क के मामले मे कम लागत पर भूमि, सामग्री, ऊर्जा और पानी का कुशल उपयोग करती है। एक हरित भवन ऊर्जा दक्षता को बढ़ाता है, पानी की खपत को कम करता है और पुनः नवीनीकरण, पुनःचक्रण योग्य और गैर विषैले पदार्थो का अधिकतम उपयोग करता है। यह निर्माण प्रक्रिया के दौरान कम से कम कचरा उत्पन्न करता है। हरित भवन ऊर्जा और जल का कुशल प्रबन्धन है। सौर पैनलों को दिन के उजाले का इष्टतम उपयोग करना चाहिए। आंतरिक तापमान को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त वेंटीलेशन और पर्याप्त थर्मल द्रव्यमान होना चाहिए। यह कृत्रिम प्रकाश और एयर कंडिशनिंग की आवश्यकता को कम करता है। हरित

आवास हमें प्रकृति से जोड़ता है। इसमे हरियाली, बागबानी के लिए जगह होती है। इसके अलावा पेड़ वायुमंडलीय कार्बनडाईऑक्साइड को हटाकर प्रदूषण को अवशोषित करता है, ऑक्सिजन का उत्पादन करके हवा की गुणवत्ता में सुधार करता है। हरित आवास में छत, आँगन और पिछवाड़े में बने बगीचे स्वच्छ हवा का आवागमन करते हैं। हरित आवास के रखरखाव और संचालन में लागत बहुत कम होती है। पानी और बिजली के बिलों मे कमी आती है। पर्यावरण के अनुकूल बने घर लंबे समय में और इमारत के पूरे जीवन चक्र मे प्रबन्धन के लिए बहुत सस्ते होते हैं क्योकि प्रकाश, एयर कंडिशनिंग से पानी और ऊर्जा की आवश्यकताओं को कम कर देते हैं।

हरित भवनों में रहने वाले लोग कई स्वास्थ्य लाभों का आनंद लेते हैं, क्योंकि इसके निर्माण में हानिकारक सामग्री का उपयोग नहीं किया जाता है। उदाहरण के लिए, पर्यावरण के अनुकूल निर्माण कंपनियां ऐसे उत्पादों से बचती हैं जो जहरीले पदार्थ छोड़ते हैं। इसलिए, पारंपरिक इमारतों की तुलना में इनडोर वायु गुणवत्ता अक्सर बहुत बेहतर होती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के अनुसार, खराब इनडोर वातावरण की गुणवत्ता से जुड़ी वसन और फेफड़ों की बीमारियां मौत के शीर्ष पांच कारणों में से तीन हैं। हरी इमारतों की विशेषताओं का स्वास्थ्य और कल्याण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। हरे रंग में एक स्वस्थ घर इमारत सांस की बीमारियों के खिलाफ एक प्राकृतिक रक्षा प्रदान करती है। शोध से यह भी पता चलता है कि जो लोग हरी इमारतों में काम करते हैं वे पारंपरिक इमारतों में काम करने वाले लोगों की तुलना में अधिक खुश, स्वस्थ और अधिक उत्पादक होते हैं। प्राकृतिक वातावरण को इमारतों में शामिल करने से निवासियों के मनोवैज्ञानिक, शारीरिक और सामाजिक कल्याण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

हरित भवनों को उनके संरक्षित संसाधन और ऊर्जा कुशल निर्माण सामग्री के साथ एक स्वस्थ वातावरण सुनिश्चित करने के लिये डिजाइन और निर्मित किया जाता है जो नवीकरणीय होते हैं। दुनिया भर के लोग घर में रहने का विकल्प चाहते हैं जो उनके लिये स्वस्थ, सुरक्षित और सस्ता है और साथ–ही–साथ पर्यावरण संरक्षण में भी सहयोगी हो। मौजूदा भवन निर्माण सामग्री के पुनर्नवीनीकरण और पानी का पुनः उपयोग, एक आधुनिक घर के निर्माण और चालू परिचालन के पर्यावरणीय प्रभाव को काफी कम करता है। एक हरित ढाँचा पर्यावरणीय अनुकूल इमारत है, जो कुल पर्यावरणीय प्रभावों को कम करने के लिये डिजाइन, निर्मित और संचालित किया जाता है। घर के कार्बन पदचिन्ह को कम ऊर्जा की खपत, जल संरक्षण और अपशिष्ट रीसाइक्लिंग जैसे तरीकों से कम किया जा सकता है। पारिस्थितिकी के अनुकूल ऐसी प्रथाओं को सन्दर्भित करता है जो किसी को प्राकृतिक संसाधनों के अवशोषण के प्रति अधिक जागरूक बनाता है। कम पानी, गैस और बिजली का उपयोग करने वाली दैनिक आदतों में सामान्य उदाहरण हैं कि हर कोई हरित पर्यावरण में योगदान कर सकता है। ग्रीन घरों में अपशिष्ट घटाना, रीसाइक्लिंग, स्थानीय और नवीकरणीय सामग्री का उपयोग, अक्षय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग और आवास के बेहतर तरीके के कार्यान्वयन को प्रोत्साहित करना। एक ग्रीन हाउस की मुख्य पर्यावरणीय विशेषता पीवीसी मुक्त है। पीवीसी या विनाइल, निर्माण में प्रयुक्त सबसे आम और सबसे हानिकारक सामग्री में से एक है। ये रसायन हवा, पानी और खाद्य शृंखला को दूषित कर सकते हैं, जिससे कैंसर, प्रतिरक्षा प्रणाली की क्षति और हार्मोन के व्यावधान जैसी गम्भीर स्वास्थ्य समस्याएँ हो सकती हैं।

जल, थल, वायु और आकाश
सब हो रहा प्रदूषित
पर्यावरण में घुल रहा है कार्बन और प्लास्टिक
अब तो जागो, करो बहिष्कार
नहीं तो हो जाएगा जीवन दुश्वार
पर्यावरण है सबकी जान
हरित आवास बनाकर करो इसका सम्मान

"राष्ट्रीय व्यवहार में हिंदी को काम में लाना देश की एकता और उन्नति के लिए आवश्यक है।"

– महात्मा गांधी

तृतीय पुरस्कार

भारतीय अर्थव्यवस्था में आवास वित्त क्षेत्र की भूमिका

– नरेंद्र कुमार,
सहायक महाप्रबंधक, हडको

प्रस्तावना

आवास जहाँ एक ओर बुनियादी, जरूरतों में से एक अत्यावश्यक जरूरत है, वहीं दूसरी "आवास भौतिक रूप में" आश्रय मात्र नहीं, बल्कि सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक प्रगति, बौद्धिक विकास, दक्षता उन्नयन, आय के सृजन तथा आत्म विश्वास के संचयन जैसे अनेक घटकों का 'कारक' भी है। दूसरे शब्दों में यूं भी कहा जा सकता है कि आवास, किसी राष्ट्र के सामाजिक एवं आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाला प्रमुख घटक है।

इसके अतिरिक्त देश की कुल कामकाजी आबादी का लगभग 16 प्रतिशत भाग अपनी आजीविका के लिए निर्माण गतिविधियों पर निर्भर करता है। भारतीय निर्माण उद्योग देश की 30 से 40 मिलियन आबादी को रोजगार देता है जिसमें से ज्यादातर कामगार गरीब तबके के हैं। यह राष्ट्र के लिए 200 बिलियन से अधिक की परिसम्पत्तियों का सृजन करता है। यह राष्ट्र के सकल घरेलू उत्पाद में 5 प्रतिशत का योगदान देता है और देश के सकल पूँजी निर्माण में इसका 78 प्रतिशत का सहयोग है। भारतीय निर्माण जगत में 200 निर्माण फर्म हैं और विविध सरकारी निकायों के पास "श्रेणी ए" के 1,20,000 पंजीकृत ठेकेदार हैं। इनके साथ सैंकड़ों छोटे ठेकेदार या अन्य ठेकेदार हैं, जो छोटे मोटे निर्माण का कार्य पूरा करते हैं। इसके अलावा स्टील, ईंट, सीमेन्ट और निर्माण सामग्री से जुड़े लगभग 250 अन्य उद्योग निर्माण गतिविधियों पर निर्भर करते हैं।

इस प्रकार यह आर्थिक समृद्धि का तीसरा सबसे बड़ा योगदानकर्ता घटक है। इस दृष्टि से आवास क्षेत्र का विकास, देश की अर्थव्यवस्था के विकास का अनिवार्य अंग भी बन जाता है।

आवास–वित्त प्रणाली

"आवास वित्त प्रणाली" को अपेक्षित धन व्यवस्था की संस्थागत प्रणाली तथा सभी प्रकार के मकानों को बनाने, उनमें सुधार लाने, खरीदने, उनका रख–रखाव करने तथा मरम्मत करने की सक्षमकारी उधार व्यवस्था के रूप में परिभाषित किया जाता है। आवास वित्त प्रणाली की इस बुनियादी अवधारणा के आधार पर बैंक अथवा अन्य वित्तीय संस्थान, मध्यस्थ वित्तपोषक की भूमिका अदा करते हैं और अपने अधिशेष या बचतकर्ताओं से प्राप्त जमाराशि को उधार प्राप्तकर्ता को उनकी आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए उधार के रूप में देते हैं। आवास वित्त प्रणाली प्रत्येक देश में, राष्ट्र विशेष के सरकारी दिशानिर्देशों, नीतियों एवं उधार शर्तों के आधार पर अलग–अलग हो सकती हैं।

भारतीय रिर्जव बैंक की रिपोर्ट के अनुसार सरकार की 2022 तक सबको मकान मुहैया करवाने की महत्वाकांक्षी योजना को पूरा करने के लिए भारत को 100 लाख करोड़ रुपये की जरूरत है। भारतीय रिर्जव बैंक ने इस ओर भी इशारा किया है कि यदि सरकार ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में मकान मुहैया करवाने के अपने वर्तमान प्रयास जारी भी रखे, तो भी वह मकान की दिनोंदिन बढ़ती मांग के केवल एक छोटे अनुपात को ही पूरा कर सकती है। इसके लिए निजी क्षेत्र के निवेश का व्यापक सहयोग अनिवार्य है। इस प्रकार वर्तमान बैंकों, आवास वित्त कंपनियों के साथ–साथ निजी निवेशकों और भवन–निर्माताओं सहित निजी क्षेत्र की भागीदारी नितांत आवश्यक है।

इस दृष्टि से भारतीय अर्थव्यवस्था की इस राष्ट्र व्यापी समस्या के निदान में शासकीय भूमिका और पुरजोर प्रयासों के साथ–साथ निजी आवास वित्तपोषण की सुलभता, वर्तमान मांग एवं आपूर्ति के अन्तराल को पूरा करने के लिए अपेक्षित है। ऐसे में आवास वित्त, भारतीय अर्थव्यवस्था में धन की अपेक्षित आपूर्ति कर रचनात्मक भूमिका अदा कर सकता है।

आवास वित्त व्यवस्था का अर्थव्यवस्था विकास से सह संबंध

आवास वित्त व्यवस्था का देश की अर्थव्यवस्था विकास एवं गरीबी उन्मूलन में सीधा संबंध है। किसी राष्ट्र के आवासीय स्टॉक में उल्लेखनीय वृद्धि जहाँ एक ओर राष्ट्र के लिए परिसम्पत्तियों का निर्माण करती है, वहीं दूसरी ओर आम जन–जीवन के जीवन–यापन

के सामाजिक एवं आर्थिक हालातों में भी सुधार लाती है। इससे मध्यम एवं निम्न आय वर्ग आबादी को सामाजिक तौर पर सुरक्षा की अनुभूति प्राप्त होती है और देश का सामुदायिक विकास भी होता है।

भारतीय आवास वित्त व्यवस्था पर यदि नज़र ड़ाले तो देश की बड़ी दस वित्तपोषक कंपनियों से केवल मात्र तीन बड़े आवास वित्तपोषक (LIC हाउसिंग फाइनांस लि., PNB Housing Finance Ltd. और Housing & Urban Development Corporation Ltd.) क्रमशः दूसरे, पाँचवें और छठे स्थान पर आते हैं। बाकी के सभी आवास वित्तपोषक, निजी संस्थान हैं और बाजार पर अपना खासा नियंत्रण रखते हैं, इससे आम जन–मानस को आवास वित्त की सहज सुलभता का अंदाजा भी लगाया जा सकता है। दूसरे शब्दों में इसे यूं भी कह सकते हैं कि आवास वित्त के क्षेत्र में सरकारी सहायता निजी क्षेत्र की तुलना में कमतर रही है या निजी वित्तपोषण संस्थाओं की तुलना में कम कारगर साबित हुई हैं।

योजना आयोग ने अनुमान लगाया है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान निर्माण कार्यों के लिए लगभग 14,500 बिलियन अथवा 320 बिलियन अमरीकी डालर के निवेश की आवश्यकता है। दूसरी तरफ यदि वर्तमान स्थिति देखें, तो सम्पदा निर्माताओं एवं निजी विकासकर्ताओं का रूझान, निवेश की उच्च रिटर्न को ध्यान में रखते हुए, मध्यम आय वर्ग एवं उच्च आय वर्ग की श्रेणियों पर रहा है। इसके अलावा, जमीन की बढ़ती लागतों, परियोजना अनुमोदनों में लेटलतीफी, कच्चे माल की लागतों में बढ़ोत्तरी तथा निम्न लागत मकानों से होने वाले कम मार्जन के कारण ऐसी परियोजनाएं निजी सम्पदा निर्माताओं तथा विकासकर्ताओं के लिए आकर्षण की परियोजनाएं नहीं बन सकी हैं।

ऐसे में निजी हितों के स्थान पर देश के आर्थिक विकास के उद्देश्य से निजी क्षेत्र की व्यापक भागीदारी से कम लागतों पर देश की बड़ी आबादी के लिए आवास वित्तपोषण पर ध्यान देना राष्ट्र हित में अपेक्षित हो जाता है और यह परिस्थिति आवास वित्त क्षेत्र के लिए भावी अपार संभावनाएं भी इंगित करता है।

भारत का आर्थिक परिप्रेक्ष्य और आवास वित्त की अनिवार्यता

विकासशील अर्थव्यवस्था होने के नाते भारत की व्यापक आबादी के गरीबी उन्मूलन के लिए देश को आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाना, सार्वजनिक क्षेत्र की दक्षता को कायम रखना और आर्थिक विकासशील सक्षमता को बनाए रखना, सदैव से ही भारत के लिए चुनौतिपूर्ण रहा है। 70 और 80 के दशक में भारतीय अर्थव्यवस्था के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में 62% से 65% का योगदान देने वाले कृषिकीय क्षेत्र का वर्तमान GDP योगदान 16.38% है। सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में दूसरा बड़ा योगदान, सेवा क्षेत्र के 54.27% का है, जिसमें से वित्तीय एवं सम्पदा क्षेत्र का योगदान 22.05% और इसमें से भी आवास क्षेत्र का योगदान 5% का है।

विगत कुछ वर्षों में मुद्रास्फीति दर में बढ़ोत्तरी हुई है, तथापि देश के हालात नियंत्रण में रहे हैं। उपभोक्ता कीमत इंडेक्स (CPI) पर जून, 2021 की मुद्रास्फीति दर 6.26% और औद्योगिक उत्पाद इंडेक्स (IIP) पर फैक्टरी उत्पाद, मई, 2021 में 29.3% रहा है। समेकित CPI में आवासीय लागतें तुलनात्मक रूप में बढ़ी हैं।

उपरोक्त आर्थिक हालातों को ध्यान में रखते हुए भारत जैसे विकासशील देशों में बड़ी संख्या में आबादी के लिए आवास वित्तपोषण की प्राप्ति को आम जन की पहुँच में बड़ी बाधा माना गया है। मध्यम एवं निम्न आय वर्ग के लिए जीवन–यापन हालातों में सुधार हेतु आवास वित्त की उपलब्धता में कमी, वित्तीय संस्थानों की प्रणालीगत मजबूरियों के कारण ग्राहकों की उदासीनता, चूक मामलों में बढ़ोत्तरी और इसकी सुगम प्राप्ति में कठिनाई को भारत–सरकार ने भी गंभीर समस्या के रूप में स्वयं भी समझा है। यहाँ भारतीय रिज़र्व बैंक की यह टिप्पणी भी उल्लेखनीय है, कि भारतीय अर्थव्यवस्था में आय की बढ़ोत्तरी के अनुपात में भारत में आवासीय स्टॉक में अपेक्षित सुधार एवं विस्तार भी अनिवार्य हो गया है। साथ ही संपत्ति के विधिक अधिकारों को सौंपने में मौजूदा न्यायोचित कानूनों का लचीलापन, आवास क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण स्टॉक बढ़ोत्तरी के साथ–साथ अर्थव्यवस्था में वित्त क्षेत्र भी भूमिका को व्यापक आयाम प्रदान कर सकता है।

भारतीय आवास बाजार और सुलभ वित्त की आवश्यकता

मैक किनसे रिपोर्ट–2010 (Mckinsey Report - 2010) के अनुसार वर्ष 2030 तक भारतीय आबादी का 40% भाग एक मिलियन से अधिक की आबादी के साथ शहरों के 68 नगरों में रह रहा होगा। इसी रिपोर्ट के अनुमान के अनुसार 2012 में 19 मिलियन की मांग के प्रति 2030 में 38 मिलियन आवासीय यूनिटों की मांग होगी।

भारत में रिहायशी आवास क्षेत्र को मोटे तौर पर तीन स्तरों में बांटा जाता है। पहले स्तर में उच्च आय वर्ग के गृहस्थ आते हैं, जो पूर्ण सेवायुक्त, उच्च गुणवत्ता की रिहायशी यूनिट को वहन करने में सक्षम हैं। यह वर्ग बाजार में उपलब्ध आवास वित्तपोषण की सुविधा भी लेने में सक्षम है, परन्तु आवासीय बाजार में इस वर्ग का

योगदान केवल 3% का है। इसके बाद मध्यम आय वर्ग आता है, जो आवास वित्तीय संस्थानों, बैंकों और सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों से आवास वित्त प्राप्ति का सबसे बड़ा ग्राहक है। इस वर्ग में ज्यादातर नौकरीपेशा कर्मी आते हैं। यह वर्ग आवास बाजार के 12% से 15% का प्रतिनिधित्व करता है। तीसरा स्तर, कम आय वर्ग का है और यह असंतोषजनक जीवन–यापन हालातों और प्रायः गैर–कानूनी तरीके से बने मकानों या अपूर्ण कागजातों के कारण व्यापक स्तर पर आवासीय वित्तपोषण की आवश्यकता पूर्ति के लिए निजी हाथों में जाने के लिए मजबूर हैं।

एक नवीनतम सर्वेक्षण के अनुसार भारतीय सम्पदा बाजार के वर्ष 2040 तक 65,000 करोड़ रुपये (9.30 बिलियन अमरीकी डालर) तक पहुंच जाने का अनुमान है। वर्ष 2019 में भारतीय सम्पदा बाजार 12,000 करोड़ रुपये (1.72 बिलियन अमरीकी डालर) तक सीमित रहा है। वर्ष 2017 में भारतीय बाजार में सम्पदा क्षेत्र आकार 120 बिलियन अमरीकी डालर का था, जिसके वर्ष 2030 तक एक ट्रिलियन अमरीकी डालर तक विस्तृत होने की संभावना है। इसी अनुमान के अनुसार वर्ष 2025 तक भारतीय सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में सम्पदा क्षेत्र का योगदान वर्तमान 5% से बढ़कर 13% तक हो जाएगा। इकरा (ICRA) के अनुसार वर्तमान में सम्पदा क्षेत्र से भारतीय फर्मों को आज की तारीख में 29 बिलियन अमरीकी डालर की फंड–उगाही होती है और यह तुलनात्मक रूप में वर्ष 2022 तक इन फर्मों के 3.5 ट्रिलियन (48 बिलियन अमरीकी डालर) की फंड उगाही करने की संभावनाएं है।

उपरोक्त बाजार हालात को ध्यान में रखकर ही सरकार ने इन्फ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पर खासा ज़ोर दिया है। सरकार की ओर से बने अनेक फ्लैगशिप प्रोग्राम जैसे ''स्मार्ट सिटीज़'', ''सबके लिए आवास'', तथा ''शहरी कायाकल्प एवं अंतरण का अटल मिशन'' (अमृत) चलाए गए है, ताकि भावी आवास बाजार के वित्तपोषण की आवश्यकता को सुलभ तरीके से पूरा किया जा सके। सरकार ने स्वयं बजट भाषण 2021–22 में अपनी मंशा को सार्वजनिक किया कि आवास क्षेत्र के भावी सुदृढ़ीकरण के लिए नेशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन (NIP) के लिए फंड विस्तार हेतु तीन उपायों–संस्थागत ढ़ाँचे का निर्माण, मुद्रीकरण (MONITIZATION) पर बल तथा केन्द्र एवं राज्य बजट व्यवस्था में पूँजीगत खर्च (Capital Expenditure) में बढ़ोत्तरी पर कार्य किया जाएगा। तद्नुरूप बजट 2021–22 में सरकार के इन्फ्रास्ट्रक्चर वित्तपोषण के लिए उपलब्धकर्ता, सक्षमकर्ता तथा सुविधाप्रदाता के रूप में कार्य करने के लिए ''विकास वित्त संस्थान'' (Development Financial Institute) की स्थापना की घोषणा की है। इसके लिए बजट में 20,000 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध कराई गई है। नए इन्फ्रास्ट्रक्चर निर्माण के लिए वर्तमान सार्वजनिक इन्फ्रास्ट्रक्चर परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण (MONITIZATION) को महत्वपूर्ण वित्तपोषक विकल्प समझा गया है।

इस प्रकार वर्तमान एवं संभावित बाजार हालातों को ध्यान में रखते हुए शासकीय स्तर पर प्रणालीगत प्रयास जारी है, तथापि संभावनाओं के अनुमान की तुलना में निजी निवेशकों एवं विदेशी निवेशों की अनिवार्य उपस्थिति से इंकार नहीं किया जा सकता।

भारत में आवासीय हालात तथा आवास वित्तपोषण का भविष्य

इकॉनॉमिक्स टाइम्स फाइनांस समिट (Economic Times Finance Summit) की रिपोर्ट के अनुसार भारत में प्रति 1000 आबादी के लिए अपेक्षित पाँच मकानों के निर्माण की आवश्यकता की तुलना में प्रति 1000 आबादी के लिए तीन मकान बनाए जाते हैं। भारतीय शहरी क्षेत्रों में वर्तमान में 10 मिलियन से अधिक यूनिटों की कमी का अनुमान है। देश में बढ़ते शहरीकरण को देखते हुए 2030 तक अतिरिक्त 25 मिलियन यूनिटों के वहनीय आवास की जरूरत पड़ेगी और ज्यादातर आवासीय कमी EWS एवं LIG वर्ग में है।

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO), सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय ने राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (NSS), के 76वें राउंड में पेयजल, साफ–सफाई और आवासीय हालातों का सर्वेक्षण किया है। NSO ने जुलाई–दिसम्बर, 2018 के इस सर्वेक्षण की अपनी रिपोर्ट संख्या 584 में बताया है कि इस सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य पेयजल और साफ–सफाई के साथ लोगों के जीवन–यापन हालातों के निर्धारक पर्यावरण हालातों और गृहस्थों के पास उपलब्ध आवासीय सुविधा का पता लगाना था।

सर्वेक्षण के मुख्य आवासीय निष्कर्ष निम्नानुसार हैं:–

- ग्रामीण क्षेत्रों में 96.0% गृहस्थों और शहरी क्षेत्रों में 63.8% गृहस्थों के पास अपनी रिहायशी यूनिट है।
- ग्रामीण क्षेत्रों में 89.0% गृहस्थों और शहरी क्षेत्रों में 56.4% गृहस्थों के पास अपनी स्वतंत्र रिहायशी यूनिट है।
- ग्रामीण क्षेत्रों में 76.7% गृहस्थों और शहरी क्षेत्रों में 96.0% गृहस्थों के पास पक्की रिहायशी यूनिट है।

- ग्रामीण क्षेत्रों की रिहायशी यूनिट का औसतन फ्लैट एरिया 46.6 वर्ग मीटर और शहरी क्षेत्रों में 41.1 वर्ग मीटर है।

कहना न होगा की बजटीय स्रोतों को इतने संसाधनों की अपेक्षित आवश्यकता पूर्ति की सीमा तक नहीं बढ़ाया जा सकता। अतएव सार्वजनिक निजी भागीदारी (PPP) का उपाय इस समस्या के समाधान में सराहनीय सहयोग दे सकता है। इसके अतिरिक्त मौजूदा स्रोतों का कुशल एवं संपूर्ण उपयोग अपेक्षित निर्माण आवश्यकता में सहयोगी साबित होगा।

अर्थव्यवस्था विकास में आवास वित्त की उपयुक्तता

उपरोक्त विश्लेषण से यह सत्यापित हो जाता है कि आवास–वित्त अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने, GDP को बढ़ाने तथा नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की दृष्टि से सुलभ आवास वित्तपोषण महत्वपूर्ण स्थान रखता है। आवास वित्त की सहज सुलभता देश की सकल घरेलू उत्पाद क्षमता को बढ़ाने के साथ परिसम्पत्तियों से जुड़े सहायक उद्योगों को भी लाभान्वित करती है और संबंधित अनेक छोटे–बड़े रोजगारों का सृजन करती है, जिससे अन्ततः देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है।

देश का मजबूत अवसंरचात्मक ढाँचा, गरीबी उन्मूलन का द्योतक बनने के साथ विश्व पटल पर भी राष्ट्र की धवल छवि का निर्माण करता है। आवास वित्त का संकट निश्चित तौर पर मकान की खरीद के लिए क्षेत्र विशेष के प्रति बाजार मांग को कम करने के साथ–साथ बाजार में आवासीय गतिविधियों को भी बाधित करेगा और इससे सम्पत्तियों की कीमतें भी बढ़ेंगी। मजबूत संस्थागत उधार प्रणाली और सुविधाकारी शासकीय दिशा–निर्देश देश विशेष को मजबूत संरचनात्मक ढाँचा प्रदान करने में राष्ट्र को भावी विकास के लिए सक्षम बनाते हैं। विशेषकर वित्तीय संकट के समय संस्थागत आवास वित्त की सुविधा, अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए अपेक्षित कारगर सिद्ध होती है। शोध बताते हैं कि ऋण प्रदान के लिए संस्थागत उधार प्रणाली के पास अपेक्षित फंड की प्रचुर उपलब्धता होने पर GDP में बढ़ोत्तरी का चलन देखा गया है। यही कारण है कि आर्थिक संकट के समय में सरकारें बैंकों की रेपो रेट या तो स्थिर बनाए रखती हैं, या उसे कम कर देती हैं। कोरोना काल में भी सरकार ने इसे कम कर इस अन्तराल का लाभ ग्राहकों को देने के निदेश दिए थे।

अर्थव्यवस्था विकास में आवास वित्त के महत्व की मान्यता में सरकार की पहलें

आवास को अर्थव्यवस्था के विकास के लिए जरूरी मानते हुए ही सरकार ने इस क्षेत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निम्न पहल की हैं:–

- केन्द्रीय बजट 2021–22 में आवासीय ऋण के ब्याज पर 1.5 लाख की कर कटौती का प्रावधान रखा है। इसके अतिरिक्त किफायती आवास परियोजनाओं के लिए कर मुक्ति (Tax Holiday) को वित्त वर्ष 2021–22 तक बढ़ा दिया गया है।
- नवम्बर, 2021 में सरकार ने आत्मनिर्भर भारत 3.0 पैकेज की घोषणा की थी, जिसमें 12 नवम्बर, 2020 से 30 जून, 2021 तक दो करोड़ मूल्य राशि की रिहायशी यूनिटों के प्रारंभिक खरीद/बिक्री के लिए मकान खरीददारों और सम्पदा विकासकर्ताओं के लिए आयकर छूट के उपाय शामिल हैं।
- अक्टूबर, 2020 में आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा वहनीय किराया आवास परिसर पोर्टल की शुरूआत की गई।
- 27 अक्टूबर, 2020 को सरकार ने जम्मू एवं कश्मीर के लिए रियल एस्टेट (रेग्यूलेशन एण्ड डेवलपमेन्ट) एक्ट, 2016 को लागू करने की घोषणा की जिससे किसी भी भारतीय नागरिक के लिए गैर–कृषिकीय भूमि एवं सम्पत्ति खरीदने का मार्ग प्रशस्त हुआ है। पहले इसकी पात्रता केवल स्थानीय निवासियों के पास थी।
- देश के बड़े शहरों में खड़ी लगभग 1,600 अधूरी आवासीय परियोजनाओं को पूरा करने के लिए केन्द्रीय मंत्रिमण्डल ने 25,000 करोड़ रुपये से प्रतिपूरक निवेश फंड (AIF) को स्थापित करने का अनुमोदन दिया है।
- सरकार ने राष्ट्रीय आवास बैंक (NHB) में छोटे वित्तपोषक आवास वित्त संस्थानों (HFC) के लिए बैंकों/वित्तीय संस्थानों की उधार कमीं को पूरा करने के लिए 10,000 करोड़ रुपये के प्रारंभिक कॉर्पस से वहनीय आवास फंड (AHF) सृजित किया है।
- ऋण सुरक्षा के लिए क्रेडिट रिस्क गारंटी फंड ट्रस्ट (CRGFT) की स्थापना की गई है।

तृतीय पुरस्कार

देश की प्रगति में वित्तीय समावेशन की भूमिका

– मधुमिता,
उप प्रबंधक, राष्ट्रीय आवास बैंक

स्कॉटिश दार्शनिक थॉमस रीड की एक प्रसिद्ध कहावत है,

"कोई भी श्रृंखला केवल अपनी सबसे कमजोर कड़ी के जितनी ही मजबूत होती है, क्योंकि अगर वो कड़ी टूट जाती है तो वह श्रृंखला भी विफल हो जाती है, और जिस वस्तु को उसने पकड़ रखा है वह जमीन पर गिर जाती है"

यह कहावत वित्तीय समावेशन पर बहुत ही सटीक बैठती है। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था उसकी रीढ़ की हड्डी होती हैं। अर्थव्यवस्था का बुनियादी ढाँचा देश के सर्वांगीण विकास का मुख्य आधार होता है, क्यूंकि लोगों की आर्थिक स्थिति उनके जीवन के हर एक क्षेत्र की गुणवत्ता को प्रभावित करती है। यदि बुनियादी ढाँचा ही कमज़ोर हो तो कितना भी प्रयास किया जाए व्यवस्था को मज़बूत नहीं बनाया जा सकता है। वस्तुतः यही कारण है कि "वित्तीय समावेशन" के तहत नीति निर्माताओं द्वारा यह सुनिश्चित किया जाता है कि अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति को भी आर्थिक विकास के लाभों से जोड़ा जा सके, जिससे कोई भी नागरिक आर्थिक सुधारों से वंचित न रहे। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में विकास एवं उन्नति हेतु किये जाने वाले प्रयासों को बल प्रदान करने के एक लिये एक ऐसे मार्ग का अनुसरण किया जाता है जिसके माध्यम से सरकार आम आदमी को अर्थव्यवस्था की मुख्यधारा में शामिल कर सके। इससे गरीब आदमी को बचत करने के साथ–साथ विभिन्न वित्तीय उत्पादों के औपचारिक माध्यमों का प्रयोग करने के लिये प्रोत्साहित किया जाता हैं।

वित्तीय समावेशन को वैश्विक स्तर पर विकास और सामाजिक भलाई नापने का एक महत्वपूर्ण पैमाना समझा जाता है। इसको एक विकासशील अर्थव्यवस्था की आधारशिला भी माना गया है। इस शब्द का इस्तेमाल भारत मे पहली बार भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर श्री वाई बी रेड्डी द्वारा वार्षिक नीति विवरण 2005–06 (Annual Policy Statement 2005–06) मे किया गया था। इसी के बाद से आर बी आई ने बैंको को वित्तीय समावेशन को अपने व्यवसायिक उद्देश्य का हिस्सा बनाने पर जोर दिया।

वित्तीय समावेशन समाज के निम्न आय वर्गों और बैंकिंग सुविधा से वंचित लोगों तक उचित और सस्ती दरों पर वित्तीय अथवा बैंकिंग सुविधाओं को पहुंचाना है। ऋण के संदर्भ में इसका आशय उन परिवारों को ऋण के दायरे में लाना है, जो इसका लाभ उठाना चाहते हैं लेकिन इससे वंचित हैं। साथ ही, अन्य वित्तीय सेवाएँ जैसे औपचारिक वित्तीय प्रणाली के माध्यम का उपयोग करके बचत करना, बीमा, भुगतान के साधन, धन प्रेषण इत्यादि शामिल हैं। मूल रूप से वित्तीय समावेशन के चार स्तंभ हैं :–

- **बैंकिंग** – इसमें बचत और जमा, ऑनलाइन भुगतान, ऑनलाइन हस्तांतरण, एटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, चेक आदि शामिल हैं।
- **ऋण** – उचित और सस्ती ब्याज दरों पर कर्ज़ उपलब्ध करवाना।
- **निवेश** – इक्विटी निवेश, म्यूचुअल फंड, सरकारी प्रतिभूतियों और अन्य योजनाओं में निवेश की सुविधा।
- **बीमा** – जीवन बीमा और सामान्य अथवा गैर जीवन बीमा

वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया में उन लोगों और उद्यमों तक वित्तीय सेवाओं का विस्तार किया जाता है, जिनके लिये वित्तीय क्षेत्र की सेवाएँ उपलब्ध नही हैं। इसके साथ ही जिन लोगों के पास न्यूनतम सेवाएँ उपलब्ध हैं, उन सभी के लिये वित्तीय सेवाओं को और गहन बनाने के कोशिश की जाती है। इसमें वित्तीय साक्षरता और उपभोक्ता संरक्षण में बेहतरी लाना भी शामिल है, ताकि जिन लोगों को वित्तीय उत्पादों की पेशकश की जाती है वो इसके संदर्भ में सही निर्णय ले सकें।

किसी भी देश कि अर्थव्यवस्था तभी पटरी पर आ सकती हैं जब उस देश के आम आदमी को भी देश की मुख्य धारा में शामिल किया जाए। इस दिशा में वित्तीय समावेशन काफी कारगर साबित हो सकता है। जहाँ एक तरफ इससे समाज में कमजोर तबके के लोगों को उनकी जरूरतों तथा भविष्य की आवश्यकताओं के लिए धन की बचत और आर्थिक क्रियाकलापों से लाभ प्राप्त करने का प्रोत्साहन मिलता है। वहीं दूसरी तरफ इससे देश में पूंजी निर्माण दर में भी बढ़ोतरी होगी। ऐसे

में ये जानना जरुरी हो जाता है कि वित्तीय समावेशन के उद्देश्य और विशेषताएं क्या हैं।

- **वित्तीय समावेशन के उद्देश्यः** दुनिया में वित्तीय समावेशन को आर्थिक विकास और गरीबी उन्मूलन के प्रमुख चालक के रूप में माना जा रहा है। इससे औपचारिक वित्त तक पहुँच के साथ–साथ रोज़गार सृजन को भी बढ़ावा मिलता है। आर्थिक झटके की संभावना कम होती है और मानव पूंजी में निवेश बढ़ता है।

समावेशी और समतामूलक विकास के लिये ये एक बहुत ही आवश्यक नीति है देश की प्रगति समतामूलक विकास के बिना असंभव है। समतामूलक विकास का अभिप्राय विकास कि ऐसी प्रक्रिया से है जिसके मूल में समानता का भाव हो, जो भेदभाव से रहित हो, जिसमें वर्ग–भेद ना हो, विषमता और शोषण ना हो। दूसरे शब्दों मे ऐसा समाज जिसका अंतर्निहित मूल्य समता हो। समतामूलक विकास के जरिये ही देश का स्वाभाविक सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक और बौद्धिक विकास हो सकता हैं और वित्तीय समावेशन इसे हासिल करने की दिशा में एक बड़ा और जरूरी कदम है।

- **वित्तीय समावेशन के लाभ :–**

i. वित्तीय समावेशन के अभाव में बैंकों की सुविधा से वंचित लोग मजबूरी वश अनौपचारिक बैंकिंग क्षेत्र से जुड़ने के लिये बाध्य हो जाते हैं। इन क्षेत्रों में ब्याज़ की दरें भी अधिक होती हैं और उधार दी गई राशि की मात्रा भी काफी कम होती है। चूँकि अनौपचारिक बैंकिंग ढाँचा कानून की परिधि से बाहर होता है, अतः उधार देने वालों और उधार लेने वालों के बीच उत्पन्न किसी भी प्रकार के विवाद का कानूनी तरीके से निपटान नहीं किया जा सकता है। इस के चलते गरीब, अशिक्षित और कमजोर लोग ऋण के दुष्चक्र में फँस जाते हैं। अगर ये लोग मुख्यधारा के बैंकिंग चैनल से जुड़ते हैं तो ऐसा होने की संभावना में कमी आती है। वित्तीय दृष्टि से अर्थव्यवस्था की मुख्यधारा में शामिल लोग ऋण सुविधाओं का आसानी से उपयोग कर पाते हैं, फिर चाहे वे संगठित क्षेत्र में काम कर रहे हों अथवा असंगठित क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में रहते हों अथवा ग्रामीण क्षेत्र में।

ii. वित्तीय समावेशन के परिणामस्वरूप न केवल उपलब्ध बचत राशि में वृद्धि होती है, बल्कि वित्तीय मध्यस्थता की दक्षता में भी वृद्धि होती है। बैंक जमाव में वृद्धि की वजह से बैंकों में पहले की बाबत ज्यादा धन अथवा पूंजी जमा होती है, जिससे वे विभिन्न क्षेत्रों को ऋण प्रदान कर पाते हैं। इससे आर्थिक विकास दर में वृद्धि होती है। इतना ही नहीं, नित नए व्यवसायिक अवसरों को प्राप्त करने की सुविधा और रोज़गार के अवसर भी बढ़ते हैं।

iii. वे लोग जो वित्तीय दृष्टि से विकास की मुख्यधारा में शामिल नहीं हुए हैं, प्रायः अपनी बचत अथवा निवेश को भूमि, भवन अथवा गहनें आदि जैसी अनुत्पादक चीज़ों में लगाते हैं। निवेश के अच्छे अवसर प्राप्त होने के चलते आम जनता विभिन्न वित्तीय उत्पादों में निवेश करने के लिये प्रोत्साहित होंगी और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।

iv. वित्तीय समावेशन गरीबी उन्मूलन में एक प्रमुख भूमिका निभा सकता है। यह आय के समान वितरण, सामाजिक न्याय और गरीब एवं अमीर के बीच के अंतर को कम करने में भी सहायक होगा।

v. बीमा के सुरक्षा कवच को बढ़ाने से परिवार में किसी अप्रत्याशित त्रासदी या दुर्घटना या परिवार के मुखिया की मृत्यु की स्थिति में उनकी आर्थिक मदद की जा सकती है।

vi. वित्तीय समावेशन से सरकार को सरकारी सब्सिडी तथा कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन एवं हेरा–फेरी पर रोक लगाने में भी मदद मिलती है, क्योंकि इससे सरकार उत्पादों पर सब्सिडी देने के बजाय प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के द्वारा सब्सिडी की राशि सीधे लाभार्थी के खाते में अंतरित कर सकती है।

वित्तीय समावेशन की वैश्विक अहमियत का अंदाज़ा इस बात लगाया जा सकता हैं कि यह संयुक्त राष्ट्र द्वारा तैयार सतत विकास लक्ष्य 2030 के एजेंडे का हिस्सा है। वर्तमान में दुनियाभर में तेज़ी से वित्तीय समावेशन को आर्थिक विकास के चालक और गरीबी उन्मूलन के प्रवर्तक के रूप में पहचाना जा रहा है। लिहाजा इस वैश्विक प्रवृत्ति को देखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय सलाहकार समिति (FIAC - Financial Inclusion Advisory Committee) के तत्वावधान में 2019–2024 की अवधि के लिए समावेशन हेतु राष्ट्रीय कार्यनीति यानि NSFI (National Strategy for Financial Inclusion) तैयार करने की प्रक्रिया प्रारंभ की। भारतीय रिजर्व बैंक ने इसे 10 जनवरी, 2020 को जारी किया। यह रणनीति RBI द्वारा, केंद्र सरकार और वित्तीय क्षेत्र के नियामकों मसलन SEBI, IRDA और PFRDA से प्राप्त इनपुट से तैयार की गयी है।

- वित्तीय समावेशन हेतु राष्ट्रीय कार्यनीति के निम्नलिखित उद्देश्य हैं:–

  i. मार्च 2020 तक हर गाँव के 5 कि.मी. के दायरे में तथा पहाड़ी क्षेत्रों के 500 परिवारों के समूह तक बैंकिंग पहुँच को बढ़ाना है।

  ii. प्रत्येक वयस्क की मार्च 2024 तक मोबाइल के माध्यम से वित्तीय सेवाओं तक पहुँच हो।

  iii. हर व्यस्क व्यक्ति तक वित्तीय सेवाओं की पहुँच प्रदान करने के उद्देश्य से एक लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि प्रत्येक इच्छुक और पात्र वयस्क, जिसे प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत नामांकित किया गया है, को मार्च 2020 तक बीमा योजना और पेंशन योजना के तहत नामांकित किया जाना चाहिये।

  iv. मार्च 2022 तक पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री (Public Credit Registry - PCR) को पूरी तरह से प्रारंभ करने की योजना भी है ताकि नागरिकों के साख प्रस्तावों का मूल्यांकन करने के मामले में भी अधिकृत वित्तीय संस्थाएँ इसी प्रकार का लाभ प्राप्त कर सके।

  v. मार्च 2022 तक डिजिटल वित्तीय सेवाओं को मजबूत करना।

कोविड–19 के कारण कुछ उद्देश्यों के कार्यान्वयन में देरी हुई है लेकिन अभी इसपर काम जारी है। इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिये NSFI में निम्नलिखित रणनीति का जिक्र किया गया है :–

1. वित्तीय सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुँच
2. वित्तीय सेवाओं का बेसिक बुके (गुलदस्ता) प्रदान करना
3. आजीविका और कौशल विकास तक पहुँचाना
4. वित्तीय साक्षरता और शिक्षा
5. उपभोक्ता संरक्षण और शिकायत निवारण
6. प्रभावी समन्वय

वित्तीय समावेशन की महत्ता को देखते हुए भारत सरकार ने भी इस दिशा में अनेक कदम उठाए हैं जिनका विवरण नीचे दिया गया है :–

1. **प्रधानमंत्री जन–धन योजनाः** इस योजना को 28 अगस्त, 2014 को औपचारिक रूप में शुरू किया गया। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा बैंकिंग सेवाओं की पहुँच में वृद्धि करने और यह सुनिश्चित करने के लिये कि सभी परिवारों के पास कम से कम एक बैंक खाता हो, इस योजना की शुरुआत की गयी।

   27 जनवरी, 2021 तक प्रधानमंत्री जनधन योजना (पीएमजेडीवाई) के तहत कुल 41.75 करोड़ खाते खोले गए हैं जिनमें से 35.96 करोड़ खाते ऑपरेशनल हैं। इस योजना के तहत खाता खोलने पर ग्राहक को एक रुपे (RUPAY) डेबिट कार्ड ज़ारी किया जाता है जिसमें 1 लाख रुपये का बीमा कवर होता है।

2. **बीमा स्कीमः** इसके अंतर्गत प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना इत्यादि की मदद से आम जनता को बीमा की सुविधा दी गयी है।
3. **अटल पेंशन योजना और वरिष्ठ पेंशन बीमा योजनाः** इन योजनाओं की शुरुआत आम लोगों के बीच भारत में पेंशन उत्पादों की पैठ बढ़ाने के लिए की गई है।
4. **प्रधानमंत्री मुद्रा योजनाः** इस योजना को गैर–कॉरपोरेट लघु व्यापार क्षेत्र को औपचारिक वित्तीय सुविधाएँ प्रदान करने के लिये अप्रैल 2015 में शुरू किया गया।

इसके अतिरिक्त देश में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिये और भी बहुत सी योजनाओं को शुरू किया गया, जिनमें सुकन्या समृद्धि योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, सामान्य क्रेडिट कार्ड और भीम ऐप जैसी योजनाएँ प्रमुख हैं।

वित्तीय समावेशन और डिजिटल भारत के सम्मिलित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये ही 'जैम त्रयी' (जनधन–आधार–मोबाइल) की आधारशिला रखी गई। वैश्विक महामारी COVID–19 के दौरान ज़रूरतमंदों तक सरकारी सहायता पहुँचने में जैम त्रयी की भूमिका सराहनीय रही है।

मशहूर अर्थशास्त्री और नोबेल पुरस्कार विजेता अभिजीत वी बनर्जी का कहना है कि गरीब गरीब रहते हैं क्योंकि वे पर्याप्त बचत नहीं करते। इसके अलावा वह यह भी कहते हैं कि गरीबी से केवल पैसे की कमी नहीं होती बल्कि यह एक इंसान के रूप में हमें अपनी पूरी क्षमता का एहसास करने में भी बाधा पहुँचाती है। इन दोनों वक्तव्यों को देखें तो यह समझ में आता है कि वित्तीय समावेशन ही वह कदम है जो किसी भी देश में सामाजिक और आर्थिक खाई को पाट सकता है। इसलिये सरकार को वित्तीय प्रणाली में प्रत्येक परिवार के समावेशन के लक्ष्य के प्रति पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध होना चाहिये, ताकि देश की अर्थव्यवस्था को संबल प्राप्त हो और विकास का मार्ग प्रशस्त हो सके।

भारतीय अर्थव्यवस्था में आवास वित्त क्षेत्र की भूमिका

– अमित कुमार चांडक,
डिविजनेल हेड, एडलवाइस हाउसिंग फाइनेंस

अवलोकन

आपने एक गाना जरूर सुना होगा, जिसमें घर के महत्व को बताया गया है और वह गाना है– एक महल हो सपनों का, यहां महल से हमारा अभिप्राय एक आवास से है। आवास किसी भी व्यक्ति की मूलभूत इच्छा और चिंता है। भारत जैसे विकासशील देश में विशेष रूप से यह इच्छा काफी मजबूत है। हालांकि यह सबसे महंगी बुनियादी जरूरत भी होती है, लेकिन अपना खुद का घर बनाना अब कोई सपना नहीं है। आवास सबसे बुनियादी मानवीय जरूरतों में से एक है जो भोजन और कपड़ों की आवश्यकता के बाद दूसरे स्थान पर आता है। संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि 2030 तक वैश्विक जनसंख्या 8.5 बिलियन तक पहुंच जाएगी, जिसमें लगभग 60% आबादी शहरी क्षेत्रों में रहती है। एक अनुमान के मुताबिक 3 अरब लोगों को 2030 तक नए आवास और बुनियादी शहरी ढांचे की आवश्यकता होगी। तेजी से हो रहे शहरीकरण के कारण आवास वितरण प्रणालियों पर दबाव के विपरीत कई शहरी गरीब, हाउसिंग फाइनेंस के उचित समाधान के बिना औपचारिक रुप से आवास का खर्च उठा पाने में सक्षम नहीं हो सकेंगे। यही कारण है कि आवास से जुड़ा यह मुद्दा वैश्विक विकास एजेंडे में सबसे आगे है।

यद्यपि, प्रगतिशील सरकारों द्वारा विश्वव्यापी आवास को नीतिगत निर्णयों में सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। फिर भी 1998 में राष्ट्रीय आवास बैंक के गठन के साथ, भारत में हाउसिंग फाइनेंस के लिए एक औपचारिक संस्थागत प्रणाली का उदय काफी देर से हुआ है। तब से लगातार केंद्र सरकारों द्वारा आवास को उच्च प्राथमिकता दी जा रही है। सरकार आवास के क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए कई वित्तीय और मौद्रिक उपायों, आवास के लिए उच्च बजटीय परिव्यय, आवास वित्त लाभार्थियों के लिए कर प्रोत्साहन आदि प्रदान करती है, जो सरकार की विभिन्न नीतियों से स्पष्ट भी है।

आवास वित्त और भारतीय अर्थव्यवस्था

जैसा की आप सभी जानते हैं कि आर्थिक शक्ति किसी भी राष्ट्र की रीढ़ होती है, क्योंकि मजबूत और स्थिर अर्थव्यवस्था लाखों नागरिकों को आजीविका प्रदान करती है। देश की आर्थिक प्रगति एक व्यक्ति की प्रति व्यक्ति आय का उत्थान सुनिश्चित करती है साथ ही व्यक्ति को विभिन्न उत्पादों और सेवाओं पर खर्च करने के लिए प्रेरित करने के अलावा विभिन्न वित्तीय उत्पादों में निवेश को बढ़ावा देकर पैसे बचाने के लिए भी प्रोत्साहित करती है। इसलिए किसी राष्ट्र के विकास के लिए आर्थिक प्रगति महत्वपूर्ण है और यह भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी लागू होती है।

आर्थिक प्रगति में वित्तीय संस्थान की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आवास वित्त संस्थान, वित्तीय संस्थान के प्रमुख घटकों में से एक है। यह घर की खरीद, घर का निर्माण और इससे संबंधित जरूरतों के लिए फाइनेंस की सुविधा प्रदान करता है। आज अपना घर खरीदने के इच्छुक लाखों भारतीय को आसान फाइनेंस सुविधा प्रदान करने में एचएफसी सबसे आगे हैं।

सीआईआई के अनुसार एनबीएफसी और एचएफसी वित्तपोषण का एक महत्वपूर्ण स्रोत हैं और भारतीय अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन डॉलर तक ले जाने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। वित्त वर्ष–19 के आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार बैंकों और एनबीएफसी/एचएफसी का योगदान 70:30 के अनुपात में था। व्यक्तिगत ऋण में एनबीएफसी की हिस्सेदारी 15 प्रतिशत और ऑटो ऋण में 30 प्रतिशत है, जबकि आवास ऋण में एचएफसी की हिस्सेदारी 42 प्रतिशत है।

सीआरआईएफ हाई मार्क की एक अन्य रिपोर्ट के मुताबिक, देश में आवास ऋण बाजार में एक पलटाव देखा गया और रिपोर्ट के मुताबिक कोविड–19 के बावजूद वित्त वर्ष 2021 की तीसरी तिमाही में बकाया पोर्टफोलियो (पीओएस) के मामले में साल–दर–साल 9.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। दिसंबर 2019 तक इस क्षेत्र का बकाया पोर्टफोलियो 22.26 लाख करोड़ रुपये था, जबकि दिसंबर 2019 तक यह 20.31 लाख करोड़ रुपये था। इन सभी आंकड़ों से पता चलता है कि एक अर्थव्यवस्था में हाउसिंग फाइनेंस कंपनी विशेष रूप से क्रेडिट ग्रोथ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस शानदार प्रदर्शन के कई कारण हैं और इनमें प्रमुख रुप से उधारकर्ताओं को कर में रियायत, डिस्पोजेबल आय में वृद्धि, आयु प्रोफ़ाइल में बदलाव, ऋण की आसान उपलब्धता, एकल परिवार और शहरीकरण जैसे विभिन्न कारक शामिल हैं।

आवास वित्त कंपनी और बैंकिंग संस्थान से ऋण प्रवाह, रियल एस्टेट क्षेत्र को आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान करता है, जो भारत में कृषि के बाद सबसे अधिक रोजगार पैदा करता है। भारत में रियल एस्टेट क्षेत्र के 2030 तक 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। इसी तरह 2025 तक, यह देश के सकल घरेलू उत्पाद में 13 प्रतिशत का योगदान देगा। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च के अनुसार, भारतीय रियल एस्टेट सेक्टर वित्त वर्ष 2022 में के–आकार की रिकवरी कर सकता है। हालांकि, वित्त वर्ष 2022 में कुल बिक्री अभी भी वित्त वर्ष 2020 के स्तर से 14 प्रतिशत कम हो सकती है।

भारत सरकार की पहल, सभी के लिए आवास से 2025 तक आवास क्षेत्र में 1.3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश आने की उम्मीद है। दिसंबर 2019 तक, प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) (पीएमएवाई (यू)) के तहत, शहरी क्षेत्रों में 1.12 करोड़ घरों को मंजूरी दी गई थी, जिसके जरिए 1.20 करोड़ रोजगार सृजन भी होना था। इस योजना से देश में किफायती आवास और निर्माण को आगे बढ़ाने और रियल एस्टेट क्षेत्र को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। 09 जुलाई, 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शहरी प्रवासियों और गरीबों के लिए एक उप योजना के रुप में पीएमएवाई–यू के तहत किफायती किराया आवास कॉम्प्लेक्स (एएचआरसीएस) के विकास को मंजूरी दी।

पीएमएवाई के तहत हाउस लोन की क्रेडिट मांग को पूरा करने के लिए किफायती हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। आईसीआरए की रिपोर्ट के अनुसार किफायती आवास वित्त कंपनियां सकारात्मक बनी हुई हैं और अगले वित्त वर्ष में इस खंड में 12 प्रतिशत से 15 प्रतिशत की वृद्धि की संभावना है। 30 सितंबर, 2020 तक, किफायती आवास क्षेत्र में नई किफायती हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों का कुल पोर्टफोलियो 55000 करोड़ रुपये था, जिसमें साल–दर–साल 9 प्रतिशत की मामूली वृद्धि भी दर्ज हुई।

भारत में हाउसिंग फाइनेंस के प्रमुख विकास चालक

- **भारत, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाला देश है**

2011 की जनगणना के अनुसार, भारत की जनसंख्या लगभग 1.2 बिलियन थी, और इसमें लगभग 246 मिलियन परिवार शामिल थे। वर्ष 2001 और 2011 में जनसंख्या में जो 18 प्रतिशत की वृद्धि हुई, और आने वाले दशकों में इसमें 11 प्रतिशत से ज्यादा की बढ़ोतरी का अनुमान है। इस तरह 2021 तक इसके 1.4 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। इसी तरह 2031 तक जनसंख्या के 1.5 बिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है और इसी अवधि में घरों की संख्या लगभग 376 मिलियन तक पहुंचने का अनुमान है।

- **अनुकूल जनसांख्यिकी**

अगर वर्ष 2020 तक, देखें तो भारत, दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी वाला देश है, जिसकी औसत आयु 28 वर्ष है। कैलेंडर वर्ष 2021 तक लगभग 90 प्रतिशत भारतीय अभी भी 60 वर्ष से कम आयु के होंगे। क्रिसिल रिसर्च का अनुमान है कि उनमें से 63 प्रतिशत की आयु 15 से 59 वर्ष के बीच होगी। इसकी तुलना में, 2020 में, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और ब्राजील में 60 वर्ष से कम आयु के लोगों की जनसंख्या क्रमशः 74%, 62% और 78% थी।

- **शहरीकरण**

शहरीकरण भारत के सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक विकास चालकों में से एक है, क्योंकि शहरीकरण के कारण बुनियादी ढांचे के विकास में पर्याप्त निवेश को बढ़ावा मिलेगा, जिसके परिणामस्वरूप रोजगार सृजन, आधुनिक उपभोक्ता सेवाओं का विकास और बचत जुटाने की क्षमता में वृद्धि की उम्मीद है। भारत की शहरी आबादी में दशकों से लगातार बढ़ोतरी हो रही है। वर्ष 1950 में, यह कुल जनसंख्या का 17 प्रतिशत था। इसी तरह वर्ष 2018 में विश्व शहरीकरण की संभावनाओं में संशोधन के अनुसार, भारत के लिए यह 34% अनुमानित था। 2025 तक इसके 37% तक पहुंचने की उम्मीद है, जिससे अधिक मांग को बढ़ावा मिलेगा।

- **प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि**

जीडीपी प्रति व्यक्ति आय वित्त वर्ष 2020 में 3.1 प्रतिशत बढ़ने का अनुमान है, जो पिछले वित्त वर्ष में 5.8 प्रतिशत थी। जीडीपी वृद्धि और निरंतर कम मुद्रास्फीति के साथ प्रति व्यक्ति आय में धीरे–धीरे सुधार होने का अनुमान है। यह घरेलू खपत के लिए भी मददगार साबित होगा। आईएमएफ के अनुमान के अनुसार, भारत की प्रति व्यक्ति आय (स्थिर कीमतों पर) वित्तीय वर्ष 2020 से 2025 तक 6.7 प्रतिशत की सीएजीआर से बढ़ने की उम्मीद है।

- **वित्तीय उत्पादों की जागरूकता में वृद्धि के साथ वित्तीय पैठ बढ़ाना**

वित्तीय साक्षरता में वृद्धि, मोबाइल तक पहुंच, जागरूकता और

प्रधानमंत्री जन धन योजना बैंक खातों के साथ, बैंकिंग में गैर–मेट्रो शहरों के व्यक्तियों की भागीदारी में वृद्धि हुई है। ज्यादा से ज्यादा लोगों के औपचारिक बैंकिंग क्षेत्र से जुड़ने के कारण, हाल के वर्षों में छोटे शहरों में वित्तीय उत्पादों की मांग में भारी वृद्धि देखने को मिली है।

- **अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए प्रौद्योगिकी द्वारा सहायता प्राप्त डिजिटलीकरण**

छोटे बाजारों तक पहुंचने की लागत को उत्तरोत्तर कम करने में प्रौद्योगिकी के एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की उम्मीद है। पिछले कुछ वर्षों में भारत में फिनटेक अपनाने की दिशा में जबरदस्त वृद्धि देखने को मिली है, और उनमें से, एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूपीआई) वित्तीय समावेशन की दिशा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। यह बैंक खातों से जुड़े स्मार्टफोन के लिए पूरे सिस्टम में सिंगल–क्लिक डिजिटल इंटरफेस प्रदान करता है और एक साधारण प्रमाणीकरण पद्धति के उपयोग के साथ व्यक्ति–से–व्यक्ति लेनदेन की आसान सुविधा प्रदान करता है। यूपीआई को अपनाने के बाद पिछले कुछ वर्षों में डिजिटल लेनदेन की मात्रा में भी वृद्धि देखी गई है।

- **ग्रामीण अर्थव्यवस्था संरचनात्मक रूप से अधिक लचीली होती जा रही है**

लगातार दो वर्षों के अच्छे मानसून, मनरेगा और सिंचाई कार्यक्रमों के तहत खर्च में वृद्धि, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, पीएम–किसान योजना, रसोई गैस के लिए पीएम उज्ज्वला योजना, आवास के लिए पीएम आवास योजना और स्वास्थ्य के लिए आयुष्मान भारत योजना के कारण ग्रामीण अर्थव्यवस्था आज कहीं अधिक लचीली हो गई है। इस दिशा में और बेहतरी के लिए ग्रामीण बुनियादी ढांचे जैसे बिजली और सड़कों की स्थिति में निरंतर सुधार हुआ है। इन सरकारी पहलों से ग्रामीण जनता की आय में भी जबरदस्त वृद्धि हुई है। इस कारण उनकी क्षमता और विवेकाधीन उत्पादों और सेवाओं पर खर्च करने की इच्छा में भी वृद्धि हुई है। एक वृहद और सकारात्मक वातावरण के साथ संरचनात्मक परिवर्तन से ग्रामीण व्यापार की संभावनाओं में सुधार होगा, बैंकिंग और वित्तीय सेवा क्षेत्र के लिए व्यवसायिक अवसर मिलेंगे और अर्थव्यवस्था के दीर्घकालिक विकास को गति मिलेगी।

यद्यपि पिछले 3–4 वर्षों में बाजार में धीमी गति से बढ़ोतरी हुई है, हालांकि निम्नलिखित कारणों से भविष्य में वृद्धि की उम्मीद है :

- कोविड–19 के बाद के निचले स्तर से अर्थव्यवस्था के धीरे–धीरे सुधरने की उम्मीद है
- आवास और रियायतों पर सरकार द्वारा दिए जा रहे ध्यान के बाद कुछ राज्य सरकारों द्वारा आवास की मांग में सहायता के लिए स्टाम्प शुल्क को कम करने जैसे प्रयास भी किए जा रहे हैं
- किफायती घरों की आपूर्ति में वृद्धि
- कोविड–19 के बाद विश्व में उपभोक्ताओं की किफायती घरों की बढ़ती मांग के बाद टियर 2/3/4 शहरों में काम चल रहा है
- ऐसा लगता है कि कोविड–19 के बाद लोगों में अपने घर का मालिक होने की चाह बढ़ी है, तथा
- होम लोन की ब्याज दरें आकर्षक स्तरों पर बनी हुई हैं।

निष्कर्ष

अपने तेज विकास के कारण, एचएफसी ने बकाया ऋण के मामले में मार्च 2015 तक अपनी बाजार हिस्सेदारी 36 प्रतिशत से बढ़ाकर मार्च 2019 तक 39 प्रतिशत कर ली। संवितरण के संबंध में, वित्तीय वर्ष 2019 में एचएफसी 41% की बाजार हिस्सेदारी हासिल करने में सक्षम था, जो कि वित्त वर्ष 2015 में 38% से अधिक है (क्रिसिल रिपोर्ट)

हाउसिंग फाइनेंस वित्त का एक विशिष्ट रूप है और किसी देश में हाउसिंग फाइनेंस सिस्टम की दक्षता उसकी अर्थव्यवस्था के विकास के बुनियादी संकेतकों में से एक है। इसलिए हाउसिंग फाइनेंस सिस्टम की दक्षता और प्रभावशीलता को समझना बहुत जरूरी और प्रासंगिक हो जाता है। भारत जैसे देश में, जो स्वतंत्रता के 75 वर्षों के बाद भी अभी भी विकासशील अवस्था में है, केवल सुदृढ़ हाउसिंग फाइनेंस सिस्टम ही गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों की आवास आवश्यकताओं के संबंध में उनकी जरूरतों को पूरा कर सकता है।

देश में बढ़ता शहरीकरण : वरदान या अभिशाप

– मृदुल रंजन शर्मा,
सहायक, भारतीय रिजर्व बैंक

शहरीकरण का अर्थ

"शहरों के बारे में मुझे यही पसंद है कि यहाँ सब कुछ विशाल है: सुंदरता भी और कुरूपता भी"– जोसेफ ब्रोड्स्की ("What I like about cities is that everything is king & size, the beauty and the ugliness-" & Joseph Brodsky)।

शहरीकरण आर्थिक विकास के पहलुओं में अग्रणी है। यह ग्रामों से शहरों की ओर लोगों के प्रव्रजन तथा उसके परिणामस्वरूप शहरी क्षेत्रों के जनसंख्या में क्रमिक वृद्धि को दर्शाता है। शहरीकरण आज की दुनिया में काफी लोकप्रिय प्रवृत्ति बन गया है। अर्थव्यवस्था के विकास के साथ, सामाजिक और आर्थिक कारणों से, पिछड़े गांवों के ज्यादातर लोग नौकरी की तलाश में और बेहतर जीवन स्तर के कारण शहर की तरफ रुख करने लगे। विशेषज्ञों के अनुसार, 2050 तक, विकासशील देशों के 64% और विकसित देशों के 86% का शहरीकरण हो जाएगा।

देश में शहरीकरण की नयी प्रवृत्ति

दक्षिण एशियाई क्षेत्र मुख्य रूप से ग्रामीण है (2010 तक 69.9% ग्रामीण आबादी), लेकिन यहीं पर शहरी आबादी की वार्षिक वृद्धि बहुत अधिक दर्ज की गई है। भारत में भी पिछले कुछ दशकों में शहरी आबादी में अभूतपूर्व वृद्धि देखी गई है।

1901 की जनगणना के अनुसार, भारत में शहरी क्षेत्रों में रहने वाली जनसंख्या केवल 11.4% थी, जो 2011 में बढ़कर 31.16% हो गई, 1901 के 2.58 करोड़ से लगभग 14 गुना बढ़कर 2011 में 37.7 करोड़ हो गई।

यह वृद्धि देश के किसी एक शहर में केंद्रित नहीं है। 1971 में देश के केवल 150 शहर की आबादी एक लाख से अधिक थी, अब यह आंकड़ा 500 से ऊपर हो गया है। फिलहाल देश के 100 सबसे अधिक आबादी वाले शहरों में से आधे केवल 5 राज्यों, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश तक ही सीमित हैं। संयुक्त राष्ट्र के एक सर्वेक्षण के अनुसार, 2030 में देश की 40.76% आबादी शहरी क्षेत्रों में रहने की उम्मीद है।

शहरीकरण बढ़ने के कारण

देश के कुछ बड़े शहरों, कस्बों और उसके आसपास के विभिन्न हिस्सों में तेजी से शहरीकरण हो रहा है। इस कारण कुछ बड़े शहरों में आबादी के बड़े भाग एकत्रित हो रहे हैं। ऐसे तेजी से होते शहरीकरण के लिए जिम्मेदार प्रमुख कारक नीचे दिए अनुसार हैं:

(i) **जनसंख्या में प्राकृतिक वृद्धि:** जनसंख्या में प्राकृतिक वृद्धि तब होती है जब जन्म दर मृत्यु दर से अधिक हो जाती है। चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा की बेहतर उपलब्धता, सुरक्षित पेयजल आपूर्ति और बेहतर स्वच्छता सुविधाओं के कारण शहरी आबादी की प्राकृतिक वृद्धि दर ग्रामीण की तुलना में अधिक है।

(ii) **नगरों के सीमा परिवर्तन:** शहरों और कस्बों की सीमाओं के विस्तार के साथ, अधिक से अधिक ग्रामीण क्षेत्रों को धीरे–धीरे शहरी क्षेत्रों में शामिल किया जा रहा है। इन नए विस्तारित क्षेत्रों में जीवन शुरू में ग्रामीण रहता है लेकिन इन क्षेत्रों को इन कस्बों और शहरों में शामिल करने से शहरी आबादी की संख्या में वृद्धि होती है।

(iii) **प्रव्रजन:** भारत में तेजी से बढ़ते शहरीकरण के लिए ग्रामीण–शहरी प्रव्रजन को सबसे महत्वपूर्ण कारक माना जाता है। स्वतंत्रता के बाद की अवधि में कई कारणों से ग्रामों से शहर की ओर प्रव्रजन हुआ है। अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं, बेहतर रहने की स्थिति जैसे "खींचने वाले कारकों (Pull Factor)" ने बड़ी संख्या में ग्रामीण लोगों को शहरी क्षेत्रों की ओर खींच लिया। कुछ "धकेलने वाले कारक (Push Factor)" भी हैं, जहां खराब परिस्थितियों के कारण कई ग्रामीण लोगों को गांवों से बाहर निकलना पड़ता है। प्रव्रजन के प्रमुख कारकों की चर्चा नीचे की गई है:

- प्रव्रजन का पहला कारण आर्थिक है। गरीबी ग्रामीण क्षेत्रों में व्याप्त है। इस कारण, किसानों को पर्याप्त पैसा कमाने और जीवनयापन करने में बहुत मुश्किल हो रही है। कभी–कभी राजनीतिक और अन्य अशांति लोगों को बाहर कर देती है। इस कारण, ग्रामीण लोग रोजगार के अवसरों की तलाश में शहरी क्षेत्रों में चले जाते हैं।

- शिक्षा प्रव्रजन का एक प्रमुख कारण है। शहरी क्षेत्र उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्राप्त करने के अवसर प्रदान करते हैं और विश्वविद्यालयों एवं तकनीकी कॉलेजों में अध्ययन के अवसर प्रदान करते हैं। इस तरह के आकर्षक शिक्षा अवसर ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को शहरी क्षेत्रों में जाने के लिए आकर्षित करते हैं।

- पर्यावरण क्षरण भी ग्रामीण से शहरी प्रव्रजन में योगदान करने में अहम भूमिका निभाता है। वनों की कटाई, खनन और औद्योगिक विस्तार कृषक परिवारों के प्राकृतिक आवास को नुकसान पहुंचाते हैं। रासायनिक उर्वरकों के व्यापक उपयोग से भूमि की प्राकृतिक उर्वरता भी कम हो रही है। इन सब कारणों से ग्रामीणों को अपने आवास एवं जीविका, दोनों ही बदलने पड़ रहे है।

- शहरी क्षेत्र अधिक आसान तथा उदार जीवन शैली प्रदान करते हैं। कई युवा बेहतर जीवन शैली की तलाश में और कई युवा ग्रामीण क्षेत्रों की रूढ़िवादी संस्कृति से बचने के लिए शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन करते हैं।

शहरीकरण के लाभ

"शहरीकरण में आप बड़ा सोचते हैं क्योंकि आप दशकों आगे की सोच रहे हैं"– कुशल पाल सिंह ("In urbanization, you think big because you are thinking decades ahead."- Kushal Pal Singh)।

सबसे पहले, शहरी क्षेत्रों में ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में अधिक संसाधन उपलब्ध हैं। शहरी क्षेत्रों में आवास, स्वच्छ पानी, बिजली जैसी महत्वपूर्ण और बुनियादी सुविधाएं आसानी से उपलब्ध हैं। ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा, विशेषज्ञ स्वास्थ्य सुविधा, परिवहन, मनोरंजन आदि सेवाएं उपलब्ध नहीं हैं। इसके अलावा, औद्योगीकरण और व्यवसायीकरण के परिणामस्वरूप शहरी क्षेत्रों में रोजगार के बेहतर अवसर मिलते हैं। शहरी क्षेत्रों में विचारों के प्रसार सहजता से हो सकते है। शहरी लोग नवीनतम तकनीक के संपर्क में जल्दी आ जाते हैं। इसके विपरीत, कई ग्रामीण व्यक्ति कई प्रकार की तकनीकों से अनभिज्ञ रहते हैं। संक्षेप में, शहरीकरण निवासियों को वित्तीय लाभ के साथ एक आसान और स्वस्थ जीवन शैली प्रदान करता है।

ग्रामीण से शहरी प्रवास के परिणामस्वरूप होने वाले कुछ सकारात्मक प्रभाव उन समुदायों में भी होते हैं जिनसे प्रवासी आए थे। घर पर छोड़े गए परिवार के सदस्य, आमतौर पर बुजुर्ग और बच्चे, वित्तीय दबाव से मुक्त हो जाते हैं क्योंकि उनके रिश्तेदार अपने आश्रितों को उच्च जीवन स्तर प्रदान करने के लिए काम करते हैं। प्रवासी द्वारा भेजे जाने वाले प्रावधानों से उनके जीवन स्तर में अक्सर सुधार होता है।

शहरीकरण के नकारात्मक प्रभाव

"शहरीकरण भारत के गांवों और ग्रामीणों के लिए एक धीमी लेकिन निश्चित मौत है"– महात्मा गांधी ("Urbanization in India is a slow but sure death for her villages and villagers." & Mahatma Gandhi)।

गांव भारत के प्राण हैं। शहरीकरण उन्हें धीरे–धीरे खत्म करते जा रहे हैं।

इसके अलावा भी, भारत में शहरी आबादी में तेजी से वृद्धि कई समस्याओं को जन्म दे रही है जैसे बढ़ती झुग्गी–झोपड़ी, शहरी क्षेत्रों में जीवन स्तर में गिरावट, पर्यावरणीय क्षति आदि।

भारत में लगभग 40 करोड़ लोग महानगरीय क्षेत्रों में रहते हैं। इसने आवास की समस्याओं में बढ़ोत्तरी की है। कई लोग असुरक्षित परिस्थितियों में रहने को मजबूर हो जाते हैं। पानी की लाइनों, सड़कों और बिजली की गुणवत्ता में कमी के परिणामस्वरूप जीवन स्तर में गिरावट आ रही है। यह प्रदूषण के मुद्दों में भी बढ़ोत्तरी कर रहा है। बढ़ती आबादी की मांगों और संघर्षों के कारण शहरीकरण से असमानता भी आती है।

यह कहा जा सकता है कि शहरीकरण स्वयं प्रवासियों को कई स्तरों पर प्रभावित करता है। एक तेज़ वातावरण में काम खोजने के संघर्ष में एक नौकरी खोजने के लिए महीनों या साल भी लग सकते हैं। प्रवासी शहर में और घर पर छोड़े गए परिवार, दोनों के लिए जिम्मेदार होते हैं।

दूसरी ओर, ग्रामीण से शहरी प्रव्रजन विकासशील शहरों के लिए एक बड़ी चुनौती है। संसाधन, भूमि और स्थान के मामले में शहर इसका समाधान कैसे कर पाएंगे? ऐसे ही सामने आने वाले कुछ प्रमुख समस्या नीचे दिए गए है:

i) नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया (नीति आयोग) ने जून 2018 में 'समग्र जल प्रबंधन सूचकांक' रिपोर्ट जारी किया है और कहा है कि भारत के 21 प्रमुख शहर (दिल्ली, मुंबई और चेन्नई सहित) बहुत जल्द भूजल से खाली हो जाएंगे।

ii) नवीनतम डेटाबेस में तीन भारतीय शहर, मुंबई, पुणे और

कोलकाता को, दुनिया के सबसे खराब यातायात वाले शीर्ष 10 शहरों में सूचीबद्ध किया गया है।

iii) जनसंख्या वृद्धि और तेजी से बढ़ते शहरीकरण भारतीय शहरों के लिए बड़ी चुनौतियां पैदा कर रहे हैं। मैकिन्से (Mckinsey) के अनुसार, देश के शहरों की जनसंख्या 2030 में 59 करोड़ तक पहुंचने की संभावना है। इन शहरों में सेवाओं की मांग को पूरा करने के लिए अगले 20 वर्षों में 1.1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश की आवश्यकता होगी। सही डिजाइन और योजना के बिना, यह विशाल शहरी विकास भीड़भाड़, प्रदूषण और यातायात की मौजूदा समस्याओं को कई गुना बढ़ा सकता है।

iv) ब्रूकिंग्स इंस्टीट्यूशन (Brookings Institution) के अनुसार, दिल्ली को अब दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर माना जाता है, जबकि पूरे देश में कम से कम 25 लाख मौतों के लिए खराब गुणवत्ता के वायु को जिम्मेदार बताया जाता है।

v) भारत की आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2017–18 ने अनुमान लगाया कि कुल कार्यबल के कृषि श्रमिकों का प्रतिशत 2001 में 58.2 प्रतिशत से 2050 तक घटकर 25.7 प्रतिशत हो जाएगा। यह जानना दिलचस्प है कि ग्रामीण इलाकों से शहरों में प्रव्रजन के कारण, शहरों में बेरोजगारी बढ़ रही है और ग्रामीण इलाकों में घट रही है। ग्रामीण क्षेत्रों से काम करने वाले आबादी के इतने बड़े पैमाने पर प्रव्रजन के परिणामस्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादकता का नुकसान होगा, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था की स्थिति खराब होगी और आगे चलकर पूरे देश में खाद्य अभाव हो जाएगा। इस प्रकार शहरीकरण, एक निश्चित बिंदु से आगे, नकारात्मक परिणाम देगा।

शहरीकरण को सही राह देने के लिए कुछ सुझाव

तेज शहरीकरण के नकारात्मक परिणामों को ध्यान में रखते हुए, एक नीति तैयार करना काफी महत्वपूर्ण है जो शहरी विकास के अवांछनीय प्रभाव को कम कर सके। ऐसे उपायों में शामिल हैं:

1) विनिर्माण सेवाओं और बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए देश की विकास योजनाओं के साथ शहरीकरण प्रक्रिया को एकीकृत करना,

2) चयनात्मक शहरी विकास की व्यवस्था करना ताकि बड़े शहरों की कमियों को कम किया जा सके,

3) अत्यधिक ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्रों का विकास करना,

4) बड़े शहरों में और उसके आसपास सैटेलाइट टाउनशिप विकसित करना; तथा

5) छोटे कस्बों तथा नगरों में जीवन को शांतिपूर्ण तथा सुखद बनाने के लिए पर्याप्त मात्रा में सुविधाओं का विकास करके बड़े शहरी केंद्रों पर दबाव कम करना, आदि।

उपसंहार

शहरीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो निरंतर बढ़ रही है। शहरीकरण ग्रामीण जीवन का शहरी जीवन में परिवर्तन सुनिश्चित करता है। लेकिन क्या यह बदलाव इतना आसान है? जब कोई परिवर्तन अनियंत्रित तेजी से होता है तो यह नए व्यवस्था को कुशल बनाए बिना ही मौजूदा व्यवस्था को नष्ट कर देता है। शहरीकरण के कई फायदे हो सकते हैं, पर अगर नियंत्रण और निगरानी नहीं की गई तो यह फायदे से ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है– वरदान के स्थान पर अभिशाप बन सकता है। एक पूरी तरह से शहरीकृत दुनिया भविष्य की नियति की तरह दिखती है। नुकसान को दरकिनार कर शहरीकरण का लाभ उठाने के लिए जनता और सरकार दोनों को साथ–साथ काम करना होगा। अनियंत्रित प्रव्रजन से होते शहरीकरण के बजाय हमें ग्रामीण आबादी के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराकर ग्रामीण क्षेत्रों के विकास की दिशा में मिलकर काम करना चाहिए। औद्योगीकरण के साथ हमें कृषि पर भी ध्यान देना होगा क्योंकि यही खाद्य और कच्चे माल का उत्पादन करने वाला मुख्य क्षेत्र है। बस शहरी आबादी बढ़ने का मतलब यह नहीं है कि हम नागरिकों के जीवन और आजीविका में सुधार करने में सक्षम हैं। यदि हम शहरी क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे और सभी संबद्ध सुविधाओं को नहीं बढ़ा सके, तो यह बढ़ते दबाव में ढह जाएगा और शहर की ओर हो रही अंधी भागादौड़ी में हमारा ग्रामीण जीवन भी अस्त–व्यस्त हो जाएगा।

"शहरीकरण केवल शहरी निवासियों की संख्या बढ़ाने या शहरों के क्षेत्र का विस्तार करने के बारे में नहीं है। इससे भी महत्वपूर्ण यह है कि यह उद्योग संरचना, रोजगार, रहने के माहौल और सामाजिक सुरक्षा के मामले में ग्रामीण से शहरी शैली में पूर्ण परिवर्तन करे"– ली केकियांग

देश की प्रगति में वित्तीय समावेशन की भूमिका

– मंजुला वाधवा,
सहायक महाप्रबंधक, नाबार्ड

आज जब भारत जीडीपी के हिसाब से दुनिया की पांचवीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के कगार पर है, तो विकास की प्रक्रिया को बरकरार रखने के लिये ज़रूरी हो जाता है कि विकास में समाज के सभी वर्गो की भागीदारी सुनिश्चित की जाए, संसाधनों का बँटवारा इस तरह हो कि सभी तबकों को इनका लाभ मिल सके और यह तभी संभव है जब भारतीय समाज के कमज़ोर और उपेक्षित तबकों के आम जन, जो अब तक औपचारिक बैंकिंग के दायरे से बाहर हैं, का वित्तीय समावेश किया जाए। यूएनडीपी की परिभाषा के अनुसार, वित्तीय समावेशन से अभिप्राय है आर्थिक और सामाजिक विकास की वह प्रक्रिया जिसमें देश के हर वर्ग के लोग भाग लें और जिसका लाभ उन सभी को मिले। भारत के हालात पर नज़र डालें तो स्पष्ट हो जाता है कि हमारी सरकार, चारों नियामक–आरबीआई, सेबी, आईआरडीए, पीएफआरडीए सभी को समझ आ चुका है कि औपचारिक बैंकिंग के दायरे से बाहर के आमजन को बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से जोड़ना निर्धनता उन्मूलन और संतुलित विकास के लिए अनिवार्य शर्त है, लिहाज़ा बचत, रोज़गार, सामाजिक सुरक्षा, पेंशन, बीमा जैसी सुविधाएं सभी वर्गों को मुहैया करवाने के प्रयोजन से चलाई जा रही बहुविध योजनाओं के साथ ही रिजर्व बैंक ने 2019–2025 हेतु **'राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन रणनीति'** तैयार की है, विज़न देखें:–

हालांकि भारत जैसे विशाल देश में यह लक्ष्य केवल सरकारी प्रयासों से हासिल नहीं किया जा सकता बल्कि निजी क्षेत्र को भी पुरज़ोर कोशिशें करने की ज़रूरत है। दरअसल, अगर सरकारी और निजी क्षेत्र आपसी तालमेल से वित्तीय समावेशन के महत्वाकांक्षी लक्ष्य की पूर्ति की दिशा में ठोस कदम उठाएं तो नतीजे बेहतरीन साबित हो सकते हैं।

वस्तुतः भारत की तेज़ी से बढ़ती जीडीपी ग्रोथ–रेट ने असली भारत के दो चेहरों पर मानों नकाब डाल दिया है–एक ओर है–वैश्वीकरण, तकनीकी तरक्की और बड़े पैमाने की बचतों का फ़ायदा उठाते हुए देश–दुनिया की मीडिया का ध्यान अपनी और खींचता हुआ **'उजला चमकता भारत'** और दूसरी तरफ है–गरीबी अशिक्षा और अज्ञान के अँधेरों मे किसी तरह जीवन की गाड़ी ठेलता हुआ –**'गिरता पड़ता भारत'**। इन दो चेहरों को मिलाना आज हमारे नीति निर्माताओं के सामने सबसे महत्वपूर्ण एजेंडा बन चुका है। भारत, जिसका ध्यान पिछले 50 सालों से गरीबी हटाने के लक्ष्य पर केंद्रित था, ने कुछ वर्षों से दो सबसे अहम उद्देश्यों की ओर अपना ध्यान मोड़ा है–आर्थिक विकास की गति बढ़ाना और इसे सर्व–समावेशी बनाना।

नीति में बदलाव क्यों ?

पिछले 20 सालों के दौरान, भले ही भारत ने आर्थिक विकास की नयी ऊंचाईयों को छुआ है लेकिन जिस गति से एशिया महाद्वीप की गरीबी घटी है, भारत की नहीं। दक्षिण एशियाई देशों, खासकर भारत को छोड़कर ज़्यादातर एशियाई देश यूएनओ द्वारा निर्धारित निर्धनता उन्मूलन का 'मिलेनियम डेवलेपमेंट गोल' पहले ही पूरा कर चुके हैं। विश्व बैंक द्वारा तयशुदा '1$ हर रोज़' की गरीबी रेखा का मानदंड मानते हुए 1990 से 2005 के बीच एशियाई देशों की गरीबी दर 43.5% से घटकर 35% हो गयी परंतु 21.22% भारतीय आज भी गरीबी रेखा से नीचे जीवन गुज़ार रहे हैं।

क्यों आवश्यक है वित्तीय समावेशन ?

बुद्धिजीवियों का मानना है कि दीर्घकालिक विकास एवं धन के समान व निष्पक्ष वितरण के लिये ज़रूरी है देश का सर्वसमावेशी विकास परंतु भारत जैसे लोकतांत्रिक देश जहाँ आज भी लगभग 65% जनसंख्या गाँवों में बसती है, को विकास की मुख्य धारा में लाना उतना आसान नहीं है। विकास को दूरदराज़ के कस्बों–गांवों, गली चौपालों तक पंहुचाना भारत सरकार के लिये बड़ी चुनौती है क्योंकि आज भी लगभग 19% भारतवासियों का बैंक में खाता ही नहीं खुला है।

वित्तीय समावेशन के प्रयासों पर एक नज़र:–

हालांकि भारत में वित्तीय समावेशन के प्रयास 1904 में सहकारिता आंदोलन की शुरूआत से ही होने लगे थे, 1969 में देश के प्रमुख सरकारी बैंकों का राष्ट्रीयकरण होने से इन्हें और बल मिला लेकिन समस्या की ओर सरकार का ध्यान सही अर्थों में 2008 में गया जब रिजर्व बैंक के गर्वनर डॉ सी रंगाराजन की अध्यक्षता में **'वित्तीय समावेशन समिति'** का गठन किया गया। तब से लेकर देश भर की राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (SLBC) की बैठकों में इस मुद्दे पर नियमित रूप से लक्ष्य निर्धारित करके उनकी पूर्ति हेतु गंभीर प्रयास किए जाने लगे हैं। रिजर्व बैंक ने अनेक सार्थक प्रयास किए हैं जैसे 1972 में बैंकों के लिए **प्राथमिकता क्षेत्रों को कर्ज देने के लक्ष्य तय करना,** देश के संतुलित क्षेत्रीय विकास को ध्यान में रखते हुए 1976 में **क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना,** कृषि और ग्रामीण विकास के लिए समर्पित देश के शीर्षस्थ विकास बैंक–नाबार्ड द्वारा 1992 में **स्वयंसहायता समूह–बैंक लिंकेज योजना** चलाकर समूहों को बैंकों से जोड़कर बचत, बीमा, ऋण आदि की सुविधाएं मुहैया करवाना, 2004 में **संयुक्त देयता समूह योजना** चलाकर समाज के कमज़ोर तबकों को आय अर्जक गतिविधियों के लिए बैंकों से गैर–ज़मानती कर्ज़ दिलवाना आदि।

भारत सरकार और भारतीय बैंक संघ (IBA) ने 2011 में शहरी और देहाती भारत के बीच की खाई पाटने के उद्देश्य से **स्वाभिमान योजना** चलाई जिसका मकसद था 2000 तक की जनसंख्या वाले सभी गांवों को 2012 तक औपचारिक बैंकिंग के दायरे में लाना और अब तक उपेक्षित ग्रामवासियों के 'नो फ्रिल्स खाते' खुलवाकर उन्हें बचत, बीमा, धन–प्रेषण जैसी बुनियादी बैंकिंग सेवाएं मुहैया करवाने का बीड़ा उठाया गया। 2014 में केन्द्र सरकार ने **'प्रधानमंत्री जन–धन योजना'** चलाकर इसे मुहिम का रूप दिया। आज तक इसके तहत लगभग 43 करोड़ खाते खोले जा चुके हैं जिनमें 146231 करोड़ रु. की जमाराशि उपलब्ध है और 31.2 करोड़ रूपे–कार्ड जारी हो चुके हैं। हाल ही में सरकार ने बीमा कवर की राशि 1 से 2 लाख और ओवरड्राफ्ट राशि 5000 से 10000 करके इस योजना को और आकर्षक बना दिया है। **प्रधानमंत्री मुद्रा योजना** भी इस दिशा में मीलस्तम्भ साबित हो रही है जिसके तहत बैंकों द्वारा सूक्ष्म उद्यमियों को 10 लाख रु. तक का ऋण बिना कोलेटरल के दिया जाता है। नीचे चार्ट में 25 अगस्त 2021 तक की स्थिति देखें (रू करोड़ में):–

बैंक का नाम/ प्रकार	ग्रामीण/अर्धशहरी बैंक शाखाओं में लाभार्थियों की संख्या	ग्रामीण/अर्धशहरी बैंक शाखाओं में लाभार्थियों की संख्या	कुल लाभार्थियों की संख्या	खातों में जमाराशि	जारी किए गए रूपे कार्डों की संख्या
सार्वजनिक बैक	21.24	12.83	34.06	112759.93	26.79
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	6.85	0.97	7.81	28166.99	3.37
निजी बैंक	0.69	0.57	1.27	4288.01	1.11
कुल	28.78	14.37	43.14	145214.94	31.27

स्रोत प्रधानमंत्री जन–धन योजना वेबसाइट

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत मात्र 12/– और 330/– रु. के सालाना प्रीमियम पर बीमा देकर कमज़ोर तबकों को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध करवाई जाती है।

बैंकों के बीच चल रही गलाकाट स्पर्धा, बढ़ती लागत, घटते लाभ आदि की असलियत के मद्देनज़र देश के हर गली नुक्कड़ में बैंक शाखा खोलना व्यावहारिक नहीं, समझकर रिज़र्व बैंक ने जन–जन तक बैंकिंग सुविधाएं पंहुचाने के मकसद से 2006 में बैंको को **बिज़नेस कॉरसपोंडेंट तथा बिज़नेस फैसिलिटेटर** नियुक्त करने की अनुमति दी। आज लगभग 6 लाख से ज़्यादा बिज़नेस कॉरसपोंडेंट बैंक कार्यरत हैं। अगली पहल है–प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना (DBT), जिसके तहत निर्धन वर्गों को मिलने वाली सरकारी सब्सिडी सीधे उनके खातों में जमा की जाने लगी है। डिजिटल भारत के सपने को साकार करने हेतु, रिजर्व बैंक ने नए मॉडल के बैंक खोले– **भुगतान बैंक और लघु वित्त बैंक**–छोटे किसानों, दस्तकारों और प्रवासी मज़दूरों को भुगतान और अन्य वित्तीय सेवाएं सूचना तकनीक के ज़रिए पँहुचाकर तथा उन्हें काम–धंधों के लिए छोटे कर्ज देकर वित्तीय समावेशन को और गति देने के लिए। नयी पहलकदमी है वित्तीय समावेशन में आईटी खिलाड़ियों जैसे फिनो, ईको, ए–लिटल वर्ल्ड, नोकिया, इन्टेग्रा को जोड़ना। जगजाहिर है कि भारत जैसे विशाल देश में आम जन की देहरी पर बैंकिंग सुविधाएं पंहुचाने

का काम सूचना तकनीक के ज़रिये ही तेज़ गति से किया जा सकता है। हर खोला गया खाता ऑनलाइन करना, उसकी ई–केवाईसी करना, आधार–समर्थित भुगतान प्रणाली से छोटे भुगतान तेज़ी से करवाना, गांववासियों को वित्तीय साक्षर बनाने के लिए **'वित्तीय साक्षरता केन्द्र'** (Centre for Financial Literacy) खोलना, बैंकिंग तकनीक के डेमो देना, सहकारी और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सीबीएस से जोड़कर एनीटाइम और एनीवेयर बैंकिंग सुविधाएं जैसे कदमों की फेहरिस्त लंबी हैं. बेशक इस लक्ष्य की पूर्ति की राह में रोड़ा है मात्र 24 फीसदी भारतीयों का वित्तीय साक्षर होना, लिहाज़ा शुरूआत में जहाँ रिजर्व बैंक ने केवल 80 ब्लॉक में साक्षरता केन्द्र खोलने की अनुमति दी थी, अब मार्च 2024 तक देश के सभी ब्लॉक में ऐसे केन्द्र चलाने का फैसला किया है। भारत के 15 शिक्षा बोर्डों ने भी अपने पाठ्यक्रम में वित्तीय साक्षरता शामिल करने की सहमति दे दी है। सरकार और रिजर्व बैंक के प्रयासों के कारण ही कोविड काल में 319 सरकारी योजनाओं के तहत 5.53 लाख करोड़ रु. की राशि डीबीटी के ज़रिए लाभार्थियों के खातों में सीधे जमा करना संभव हो पाया है।

आरबीआई का नया कदम है–97 संकेतकों के आधार पर तीन मानदंडों–पँहुच (35%), प्रयोग (45%) तथा गुणवत्ता (25%) और बैंकिंग, निवेश, बीमा, पेंशन जैसे पहलुओं को शामिल करते हुए वित्तीय समावेशन सूचकांक (FII) बनाना, यह इंडैक्स मार्च 2017 के 43.4 के मुकाबले मार्च 2021 में बढ़कर 53.9 हो गया है। कोरोना की चुनौतियों से निपटने के लिए वित्तीय समावेशन को आगे भी पॉलिसी एजेंडा में रखने का भी निर्णय लिया है। प्राथमिकता–क्षेत्र ऋण वितरण के मानदंडों को 2020 में संशोधित करना और नीति आयोग द्वारा देश के 115 आकांक्षी जिलों का विकास भी वित्तीय समावेशन के लक्ष्य तक पँहुचने के सोपान हैं।

2020 से नाबार्ड ने **वित्तीय समावेशन की अलग नीति** बनाकर 358 जिलों की पहचान 'स्पैशल फोकस डिस्ट्रिक्ट' के रूप में की है जिनमें वित्तीय साक्षरता केन्द्र खोलने, नयी बैंकिंग तकनीकें अपनाने, बुनियादी सुविधाओं के सृजन, क्नेक्टिविटी, पावर और डिजिटलीकरण आदि तक पँहुच बढ़ाने जैसे 5 मानदंडों पर खास ध्यान दिया जा रहा है। इसके अलावा, 3 आयामों–परंपरागत बैंकिंग उत्पाद, आधुनिक बैंकिंग उत्पाद और भुगतान प्रणाली के आधार पर 'नैफिण्डेक्स' (NAFINDEX) नामक वित्तीय समावेशन इंडेक्स बनाया है जो फिलहाल औसतन 0.337 है और बताता है कि अभी देश की जनता को बैंकों व वित्तीय संस्थाओं से जोड़ने के लिए भागीरथ प्रयास किए जाने की ज़रूरत है। शुरूआत से लेकर अब तक नाबार्ड इन प्रयासों पर 4592 करोड़ रु. की राशि मंजूर कर चुका है।

पिछले तीन सालों के केन्द्रीय बजट इसका प्रमाण हैं कि सरकार वित्तीय समावेशन का लक्ष्य पाने के प्रति किस कद्र गंभीर है। इन बजटों का केन्द्र हैं 'गांव, गरीब और किसान'। ये बजट विकास और सर्व–समावेश के स्तम्भों पर खड़े किए गए हैं किंतु अच्छा बजट बनाने, ज्यादा आबंटन का फायदा तभी मिल सकता है जब वित्तीय समावेशन की राह के रोड़ों को हटाने की ईमानदार कोशिशें तहेदिल से की जाएं। आज 80% से ज्यादा भारतीयों के बैंक खाते खुल चुके हैं किंतु उनमें से ज्यादातर निष्क्रिय पड़े हैं, कोई शेष राशि नहीं। खाताधारकों में से भले ही महिलाओं की संख्या अधिक है परंतु खातों को ऑपरेट करने, बीमा और लोन लेने वाली महिलाओं का नम्बर पुरूषों के मुकाबले काफी कम है। मोबाइल बैंकिंग बड़े काम की सुविधा है पर हमारी व्यस्क महिला जनसंख्या में से आधी के पास मोबाइल ही नहीं हैं। मौजूदा भुगतान गेटवे खर्चीले हैं, कार्यकुशल बिजनिस कॉरसपौंडेट्स और फैसिलिटेटर्स की कमी है, सेवाओं के एवज़ में मिलने वाले कम रिटर्न के कारण वे हतोत्साहित होने लगे हैं। एसएचजी/जेएलजी योजनाओं को टिकाऊ बनाने हेतु काफी कुछ किया जाना है। डिजिटल तकनीकों के इस्तेमाल से समावेशन बढ़ाने की स्थिति देखें, बेशक कोविड ने 79% भारतीयों को डिजिटल पेमैंट करना सिखा दिया है लेकिन डिजिटल वित्तीय उत्पाद मंहगे, अनुपयुक्त तथा निम्न आय वर्गों की पँहुच से बाहर होने और सामान्य और वित्तीय साक्षरता की कमी के कारण कमज़ोर तबकों का आत्मविश्वास डिजिटल उत्पादों के इस्तेमाल के प्रति अभी कम है। केवाईसी मानदंड आज भी दकियानूसी और कड़े हैं जिन्हें पूरा करने की जानकारी व क्षमता न होने के कारण उनमें डिजिटलीकरण के प्रति झिझक हैं।

समस्याएं हैं तो हितधारकों को मिलकर समाधान भी खोजने होंगे। राजकोषीय स्थिति को नियंत्रण में रखने, बुनियादी ढांचे के विकास और रोजगार बढ़ाने के लिए विदेशी व निजी निवेश बढ़ाने, बैंकिंग, एनबीएफसी व आवास क्षेत्र की अड़चनें दूर करने और अर्थव्यवस्था को डिजिटल बनाने जैसे मुद्दों पर विशेष ज़ोर देना होगा। जरूरत है लीक से हटकर चलने की, सभी हितधारकों द्वारा आपसी तालमेल से ईमानदार कोशिशें करने की। यदि सरकार इस मोर्चे पर सफल रहती है तो मोदी 2.0 सरकार के कार्यकाल में भारत वैश्विक पटल पर महाशक्ति के रूप में उभर सकता है। अंततः–

अगर देश को है गांव–देहात की तरक्की की चाह
हर कदम बढ़े वित्तीय समावेशन और साक्षरता की राह

विश्व में कार्बन उत्सर्जन में बढ़ोत्तरी के कारण एवं इसे कम करने के उपाय

– निखिलेश कुमार
प्रबंधक, आईआईएफसीएल

कार्बन उत्सर्जन/फुटप्रिंट से तात्पर्य किसी एक संस्था या व्यक्ति द्वारा की गई कुल कार्बन उत्सर्जन की मात्रा से है। यह उत्सर्जन कार्बन डाइऑक्साइड या ग्रीनहाउस गैसों के रूप में होता है। ग्रीन हाउस गैसों के प्रति व्यक्ति या प्रति औद्योगिक इकाई उत्सर्जन की मात्रा को उस व्यक्ति या औद्योगिक इकाई का कार्बन फुटप्रिंट कहा जाता है। कार्बन उत्सर्जन को कार्बन डाइऑक्साइड के ग्राम उत्सर्जन में मापा जाता है। कार्बन उत्सर्जन को ज्ञात करने के लिये 'लाइफ साइकल असेसमेंट' (Life Cycle Assessment - LCA) विधि का प्रयोग किया जाता है। इस विधि में व्यक्ति तथा औद्योगिक इकाईयों द्वारा वातावरण में उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य ग्रीन हाउस गैसों की कुल मात्रा को जोड़ा जाता है।

वैश्विक समझौते और वास्तविकता

पिछले कुछ दशकों से मानवजनित गतिविधियों के चलते कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरे ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन प्रति वर्ष 1 फ़ीसदी की दर से बढ़ा है। इससे ग्लोबल वार्मिंग का ख़तरा हमारे पर्यावरण को लगातार नुक़सान पहुंचा रहा है। जबकि दुनिया के अस्तित्व के लिए कार्बन उत्सर्जन को कम से कम प्रति वर्ष 3–6 फ़ीसदी की दर से कम करना होगा जिससे धरती के बढ़ते तापमान पर अंकुश लगाया जा सके। हालांकि पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के दौरान इसके सदस्य देशों ने धरती के तापमान को इस शताब्दी के अंत तक 2 डिग्री सेल्सियस कम करने का संकल्प लिया था लेकिन इसे लागू होने के पांच साल के बाद भी इस दिशा में कोई खास प्रगति नहीं हुई है। जिन संप्रभु देशों ने साल 2050 तक कार्बन उत्सर्जन के स्तर को शून्य करने की प्रतिबद्धता दुहराई थी दुनिया में 25 फ़ीसदी कार्बन उत्सर्जन की वजह ऐसे ही मुल्क हैं। और तो और ज्यादातर देशों ने अभी तक पेरिस समझौते में बनी सहमति के मुताबिक़ अपने यहां पर्यावरण नीति तक को लागू नहीं किया है। ऐसे में जबकि वक्त तेजी से बीतता जा रहा है तो संप्रभु राष्ट्र और कॉरपोरेट्स किस प्रकार पर्यावरण संकट की समस्या से निपटेंगे, यह आज भी एक प्रश्न है।

अब जबकि हर बीते दिन के साथ ग्लोबल वार्मिंग का असर ज्यादा से ज्यादा साफ दिखने लगा है तो वैश्विक स्तर पर आम सहमति से तैयार की गई एक नीति की यहां ज़रूरत को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता है। हालांकि, ऐसे समय में जब अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण वार्ता असफल हो रही है तो व्यक्तिगत सरकारें और व्यापार संगठन एकतरफा और समन्वित पहल कर उदाहरण पेश कर सकते हैं। ऐसी गतिविधियों में क्षमता में बढ़ोतरी लाकर कार्बन उत्सर्जन में कमी लाना, व्यावहारिक पर्यावरण जोख़िमों के विश्लेषण और प्रबंधन उपायों, नवीनीकरण की प्राथमिकता और पर्यावरण स्थिरता मुख्य रूप से शामिल हैं। जाहिर है ग्लोबल वार्मिंग की चुनौतियों से निपटना एक सामूहिक कोशिश है। फिर भी उद्योग आधारित अर्थव्यवस्था और वैसे कॉरपोरेशन जिनकी वैश्विक मौजूदगी है उनके द्वारा उठाए गए कदम निश्चित तौर पर इस पर बहुआयामी प्रभाव डाल सकते हैं।

ऐसे समय में जब अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण वार्ता असफल हो रही है तो व्यक्तिगत सरकारें और व्यापार संगठन एकतरफा और समन्वित पहल कर उदाहरण पेश कर सकते हैं। ऐसी गतिविधियों में क्षमता में बढ़ोतरी लाकर कार्बन उत्सर्जन में कमी लाना, व्यावहारिक पर्यावरण जोख़िमों के विश्लेषण और प्रबंधन उपायों, नवीनीकरण की प्राथमिकता और पर्यावरण स्थिरता मुख्य रूप से शामिल हैं।

कार्बन उत्सर्जन को कम करने के उपायः

जैसा कि दुनिया भर में ऊर्जा की मांग तेजी से बढ़ रही है और दुनिया में कई अर्थव्यवस्थाएं कार्बन आधारित प्रोजेक्ट की ओर अग्रसर हैं, तब ऐसे समय में सरकारों को कार्बन उत्सर्जन के शून्य स्तर तक पहुंचने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निर्णायक भूमिका अख़्तियार करने के साथ घरेलू स्तर पर इसे लेकर प्रतिबद्धता निभाने की ज़रूरत है। इसे लेकर ना सिर्फ विधायिका का हस्तक्षेप बल्कि सामाजिक परिप्रेक्ष्य में आम राय बनाने की भी ज़रूरत है। इन बदलावों को बढ़ावा देने के लिए उद्योग विशेष संबंधी चर्चा और स्वतंत्र नियामक ढांचा तैयार करने की भी ज़रूरत है। रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए कार्बन टैक्स जैसे प्रगतिशील कदम के साथ साथ पर्यावरण के लिए अनुकूल औद्योगिक समाधान को बढ़ावा देने की भी ज़रूरत है। इसके साथ ही यह भी ज़रूरी है कि ऐसे आर्थिक विकास को सुनिश्चित किया जाए जिसकी बदौलत सरकारें टैक्स ढांचे और सब्सिडी की पहल कर मुल्क के अंदर लाखों गरीबों के जीवन में बदलाव ला सकें।

उदाहरणस्वरूप, मोरक्को ऐसा देश है जिसने अपनी ऊर्जा की मांग को पूरा करने के लिए सोलर फार्म को स्थापित किया जिसके जरिए बहुत हद कार्बन उत्सर्जन की दर को कम किया गया। इसके साथ ही दुनिया भर में ऊर्जा संबंधी उत्सर्जन का 70 फ़ीसदी शहरों के द्वारा किया जाता है। ऐसे में कार्बन उत्सर्जन की दर में कमी लाने की अवधारणा को स्थानीय और नगर निगम के स्तर पर भी बढावा देने की ज़रूरत है।

स्वाभाविक तौर पर व्यवसाय सामाजिक संस्थाएं होती हैं और अपने मूल्यों के चलते स्थानीय और वैश्विक तौर पर सामाजिक–आर्थिक प्रगति को बढावा देते हैं। ऐसे में कार्बन उत्सर्जन के ज़ीरो लक्ष्य को प्राप्त करने में किसी भी देश में इसकी अहम भूमिका होती है। हालांकि ग्रीन इकोनॉमी की ओर बदलाव में इन कारकों की भूमिका बेहद अहम है जिसे नीति निर्माताओं को अपने व्यापारिक रणनीति में शामिल करना पड़ेगा। इसके लिए आपूर्ति श्रृंखलाओं की अधिक से अधिक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, कार्बन के व्यावहारिक मूल्य के लिए व्यापारिक विकल्प तैयार करने के साथ ग्रीन कारोबारी अवसरों की खोज करना आवश्यक है जिससे दुनिया भर में कार्बन रहित विश्व के सपने को साकार किया जा सके। दुनिया भर में 200 बड़े कॉरपोरेशन को मौसम की चरम घटनाओं को लेकर करीब 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का जोख़िम उठाना पड़ता है। लिहाज़ा जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों को लेकर अब कोई भी सरकार हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकती। कंपनियों के लिए सिर्फ कार्बन उत्सर्जन के स्तर को ही कम करने की प्राथमिकता नहीं होनी चाहिए बल्कि जहां तक संभव हो इसके लिए परीक्षण और इसे और युक्तिसंगत बनाने के लिए नीति और तकनीक को भी बढावा देने की आवश्यकता है।

हम नई पीढ़ी को क्या देंगे

रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए कार्बन टैक्स जैसे प्रगतिशील कदम के साथ साथ पर्यावरण के लिए अनुकूल औद्योगिक समाधान को बढ़ावा देने की भी ज़रूरत है। इसके साथ ही यह भी ज़रूरी है कि ऐसे आर्थिक विकास को सुनिश्चित किया जाए जिसकी बदौलत सरकारें टैक्स ढांचे और सब्सिडी की पहल कर मुल्क के अंदर लाखों गरीबों के जीवन में बदलाव ला सकें।

हालांकि, ज़ीरो कार्बन उत्सर्जन भविष्य की दिशा में फायदे को बनाए रखने और समय के साथ जलवायु पैटर्न में ग्लोबल वार्मिंग से प्रेरित बदलावों को कम करने के लिए दुनिया भर में सार्वजनिक और निजी संस्थाओं के लिए वर्तमान कार्बन मूल्य निर्धारण मॉडल में निहित कमी को जोरदार तरीके से उठाने की ज़रूरत है। अपर्याप्तता को निर्णायक रूप से संबोधित करना ज़रूरी है। साल 1997 के क्योटो प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 17 में पहले से ही कार्बन–तटस्थ या वैसी संस्थाएं जो अतिरिक्त उत्सर्जन वाली इकाइयों को इस बात की इजाज़त देता है कि वो अपनी सहमति से बनाए गए दायरे में इसे उन्हें बेच सकता है जो अपनी कार्बन उत्सर्जन सीमा को कम करना चाहते हैं जिससे दुनिया भर में कार्बन उत्सर्जन का बाज़ार स्थापित हो सके।

कंपनियों के लिए सिर्फ कार्बन उत्सर्जन के स्तर को ही कम करने की प्राथमिकता नहीं होनी चाहिए बल्कि जहां तक संभव हो इसके लिए परीक्षण और इसे और युक्तिसंगत बनाने के लिए नीति और तकनीक को भी बढावा देने की आवश्यकता है।

मुद्दे पर गंभीर होने की आवश्यकता

पिछले कुछ सालों में कार्बन उत्सर्जन को लेकर ट्रेडिंग स्कीम के मूल्य व्यवस्था की खोज काफी मुश्किल हो गई है। इसकी वजह दुनिया भर में कार्बन बाज़ार के राजनीतिक अर्थशास्त्र की नई व्यवस्था है। विश्व भर में कार्बन की कीमतों को उसके मापदंड के नीचे रखने के पीछे एक नहीं कई ताकतें ज़िम्मेदार हैं। इसे सुधारने के लिए इन्हें प्रोत्साहित करने की ज़रूरत है। यही नहीं भूराजनीतिक और आर्थिक शक्तियों द्वारा कार्बन उत्सर्जन को शून्य स्तर तक पहुंचाने के लक्ष्य से समझौता किया जा रहा है। ऐसे में कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए ग्रीन इकोनॉमी में बदलाव की राजनीति को सामाजिक और पर्यावरण संबंधी सही फैसले लेकर पूरा किया जा सकता है। कार्बन उत्सर्जन के बढ़े स्तर की अदूरदर्शी व्यावयसायिक तरीकों को छोड़ना भी इसके प्रतिस्पर्धात्मक फायदे हासिल करने का तरीका नहीं हो सकता है। वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट की मानें तो कम कार्बन विकास साल 2030 तक 26 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के आर्थिक मौकों को पैदा कर सकता है।

हम जितनी तेजी से प्रतिक्रिया दे रहे हैं उसकी तुलना में वैश्विक पर्यावरण ज्यादा तेजी से बदल रहा है जिसका प्रभाव इंसानी अस्तित्व पर पड़ने वाला है। अगर हम बेरोक–टोक बढ़ते हुए कार्बन उत्सर्जन के स्तर की इंसानी कीमत के बारे में सोचें तो कार्बन उत्सर्जन की सीमा को शून्य करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दुनिया की सहमति अपेक्षित नहीं होगी। इस वक्त हालात ऐसे हैं कि दुनिया को कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने के लिए एक निर्णायक और विकेंद्रित कार्रवाई की ज़रूरत है। इस लक्ष्य में शामिल सभी देश और इससे संबंधित निजी या सार्वजनिक संस्थाएं हों – उनके लिए यह अनोखा मौका है जिससे कि वो आने वाले भविष्य को ज्यादा से ज्यादा हरा भरा बना सकें।

बैंक के प्रधान कार्यालय में 14 सितंबर, 2021 को हिन्दी मास पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन

बैंक के प्रबंध निदेशक, मुख्य अतिथि व हिंदी लेखिका सुश्री अनामिका जी का स्वागत करते हुए

मुख्य अतिथि दीप प्रज्ज्वलित करते हुये

बैंक के प्रबंध निदेशक महोदय दीप प्रज्ज्वलित करते हुये

बैंक के प्रबंध निदेशक, सुश्री अनामिका जी एवं वरिष्ठ अधिकारीगण बैंक की हिन्दी गृह पत्रिका के नवीनतम अंक का विमोचन करते हुए

समापन समारोह की कुछ झलकियां

बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा हिन्दी सप्ताह/पखवाड़े का आयोजन

कोलकाता क्षेत्रीय कार्यालय

लखनऊ क्षेत्रीय कार्यालय

अहमदाबाद क्षेत्रीय कार्यालय

हैदराबाद क्षेत्रीय कार्यालय

मुम्बई क्षेत्रीय कार्यालय

देश में बढ़ता शहरीकरण : वरदान या अभिशाप

– प्रेम रंजन प्रसाद सिंह,
महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक

मैंने शहर को देखा और मैं मुस्कराया
वहाँ कोई कैसे रह सकता है
यह जानने मैं गया
और वापस न आया

सुविख्यात हिन्दी कवि मंगलेश डबराल की यह छोटी सी कविता शहरों से जुड़े सारे निहितार्थ और अंतर्द्वंद्व अपने भीतर समेटे हुए है। शहर का अपना एक आकर्षण और कौतुक होता है जो बरबस अपनी ओर खींचता है। किन्तु साथ ही एक हिचक, संकोच और यह चिंता का भाव भी उठता है उस शहर से अपरिचित व्यक्ति के भीतर, कि वहाँ कोई कैसे रह सकता है ? लेकिन सच यह भी है कि एक बार जो शहर के मोहपाश में पड़ता है, अक्सर वहाँ से लौट कर नहीं जाता या जा पाता : **'ले के आये थे टिकट जो वापसी का/वे भी इस जादूनगर से कब फिरे हैं !** महान कवि जायसी ने संभवतः इसीलिए दिल्ली को **'निबहुर देश'** कहा था – अर्थात ऐसी जगह जहाँ से वापस फिरा न जा सके। 'कौन जाये ज़ौक़, पर दिल्ली की गलियाँ छोड़ कर' यह शेर कहने वाले मशहूर शायर ज़ौक़ भी वहाँ से कहाँ जा पाये और वहीं के होकर रह गये !

शहरीकरण क्या है ?

शहरी क्षेत्रों के भौतिक विस्तार (क्षेत्रफल, जनसंख्या आदि का विस्तार) शहरीकरण या नगरीकरण (Urbanisation) कहलाता है। यह भारत समेत पूरी दुनिया में होने वाला एक वैश्विक परिवर्तन है। संयुक्त राष्ट्र संघ की परिभाषा के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों का शहरों में जाकर रहना और काम करना 'शहरीकरण' है। यह वह प्रक्रिया है जिसमें किसी राष्ट्र की जनसंख्या का बढ़ता हुआ आकार शहर की तरफ निवास के लिए प्रवृत होता है। सरल रूप में शहरीकरण का तात्पर्य शहरी आबादी में वृद्धि है। यह कोई बहुत आधुनिक या औपन्यासिक अवधारणा नहीं है। शहरीकरण उस समय से पहले की प्रक्रिया है जब हड़प्पा और कालीबंगा जैसी जगहें विकसित हो रही थीं। यह भविष्यवाणी की गई है कि वर्ष 2050 तक विकासशील दुनिया का लगभग 64 प्रतिशत और विकसित दुनिया का 86 प्रतिशत शहरीकृत होगा, जो मुख्यतः अफ्रीका और एशिया में होगा।

जहाँ तक शहरी क्षेत्र के मानक आधार हैं, भारतीय समाज में किसी क्षेत्र को शहरी क्षेत्र माने जाने के लिये आवश्यक है कि वहाँ 5000 या इससे अधिक व्यक्ति निवास करते हों, जिनमें कम से कम 75% लोग गैर–कृषि व्यवसाय में संलग्न हों तथा जनसंख्या घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी. से कम न हो। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य विशेषताओं; मसलन उद्योग, बड़ी आवासीय बस्तियाँ, बिजली और सार्वजनिक परिवहन जैसी व्यवस्था को भी शहर की परिभाषा के अंतर्गत माना जाता है।

ऐतिहासिक साक्ष्यों को देखा जाये तो पुरातात्विक अवशेष हमारे यहाँ प्राचीनतम सिंधु घाटी सभ्यता काल में भी विकसित और सुनियोजित नगरों की उपस्थिति प्रमाणित करते हैं, जो अपने देश और इतिहास के लिए गौरव का विषय है। पौराणिक आधार पर, महाभारत में पांडवों द्वारा इंद्रप्रस्थ की स्थापना का विवरण एक नये नगर के निर्माण की प्रक्रिया को हमारे सामने रखता है – उसकी आवश्यकता, उसके निर्माण की चुनौतियाँ और उसके पूरी यंत्रणा भी। नवप्रस्तावित नगर इंद्रप्रस्थ के निर्माण के लिए खाण्डव वन की आहुति देनी होती है और उस अग्निकांड से पूरे वन प्रदेश के सिर्फ छह प्राणी उस दावाग्नि से बच पाते हैं – मय दानव, अश्वसेन सर्प और चार शाङ्र्ग पक्षी ! अनिमेष की पंक्तियाँ बरबस स्मरण हो आती हैं : **दश्त में गर न हादसे होते, शहर कैसे भला बसे होते ?** यह दर्शाता है कि नगरीकरण किसी स्थान की प्रकृति और उसके मूल अधिवासियों के लिए कैसी विस्थापन और पीड़ा का कारण होता है ! इस संदर्भ में दुष्यंत कुमार की ये पंक्तियाँ बरबस याद आती हैं : **तुम्हारे शहर में ये शोर सुन सुन कर तो लगता है, कि इंसानों के जंगल में कोई हाँका हुआ होगा !**

शहरीकरण के कारण

विश्व स्तर पर शहरीकरण तेजी से बढ़ रहा है। विश्व बैंक के आंकड़ों के मुताबिक़, दुनिया की 54% से अधिक आबादी अब शहरी क्षेत्रों में निवास करती है, जो वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में 80% का योगदान करती है और दो–तिहाई वैश्विक ऊर्जा का उपभोग करती है, साथ ही 70% ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन के लिये भी जिम्मेदार है। अनुमान है कि साल 2030 तक संसार की जनसंख्या बढ़कर 1700 करोड़ हो जायेगी। इस शहरीकरण का असर सबसे अधिक एशिया और अफ्रीका में होगा। 90% शहरीकरण इन दोनों महाद्वीपों में होगा।

शहरों की ओर बढ़ते कदमों की मजबूरी को आरिफ़ शफ़ीक़ ने बड़े सीधे सादे शब्दों में बयान किया है : **जो मेरे गाँव के खेतों में भूख बिकने लगी, मेरे किसानों ने शहरों में नौकरी कर ली !** भारत में शहरीकरण के विभिन्न कारक हैं। विकर्ष या पुश कारक ऐसे कारक हैं जिनकी वजह से लोगों को

ग्रामीण क्षेत्रों को छोड़कर शहरी क्षेत्रों में जाना पड़ता है, उदाहरण के लिए, बेरोजगारी, गरीबी, बुनियादी सुविधाओं की कमी और सीमित संसाधन। कृषि मंत्रालय के मुताबिक़ खेती पर निर्भर लोगों में से 40 फीसदी लोग ऐसे हैं जिनको अगर विकल्प मिले तो वे तुरंत खेती छोड़ देंगे, क्योंकि खेती करने में धन की लागत बढ़ती जा रही है। आकर्षक कारक वे कारक हैं जो लोगों को शहरी क्षेत्रों में जाने के लिए प्रेरित करते हैं। रोजगार के अवसर, बेहतर शिक्षा, बुनियादी ढाँचा विकास, व्यवसायीकरण, स्वास्थ्य और चिकित्सा देखभाल आदि इनमें शामिल हैं।

देश में बढ़ता शहरीकरण

औद्योगिक क्रांति के परिणामस्वरुप शहरी क्षेत्रों में भौतिक सुख–सुविधाओं में वृद्धि हुई। द्वितीय विश्व युद्ध के परिणामस्वरूप शहरी क्षेत्रों में तीव्र गति से सरकारी सेवाओं में विस्तार हुआ, जो गाँव से शहरों की ओर प्रवासन में एक प्रमुख उत्प्रेरक बना। वर्ष 1990 के बाद निज़ी क्षेत्र का विकास हुआ, जिससे बड़े कारखाने व फ़ैक्टरियों का विकास शहरों तथा महानगरों में ही हुआ।

देश में शहरीकरण के उत्तरोत्तर प्रसार के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण आँकड़े ग़ौर करने लायक हैं। भारत में, शहरी आबादी का हिस्सा वर्ष 1911 में 11% से बढ़कर वर्ष 2011 में 28% हो गया है। वर्ष 2011 तक यह 31.16% और वर्ष 2018 में यह आँकड़ा बढ़कर 33.6% हो गया। नेशनल कमीशन ऑन पॉपुलेशन (NCP) का अनुमान है कि अगले 15 वर्षों में यानी 2036 तक 38.6 फीसदी भारतीय, शहरी इलाकों में रहेंगे यानी तब 60 करोड़ लोगों का बसेरा इनमें हो जाएगा। संघ की रिपोर्ट के अनुसार, वर्तमान में दुनिया की आधी आबादी शहरों में रह रही है और 2018 से 2050 के बीच भारत की भी शहरी आबादी 46.1 करोड़ से बढ़कर 87.7 करोड़ यानी लगभग दोगुनी हो जायेगी और इस तरह देश की आधी आबादी महानगरों व शहरों में निवास करने लगेगी। ऑक्सफोर्ड इकॉनोमिक के अध्ययन के मुताबिक वर्ष 2019 से लेकर वर्ष 2035 के बीच सबसे तेज़ी से बढ़ने वाले सभी शीर्ष दस शहर भारत के ही होंगे।

प्रतिशत के लिहाज से तो अपने यहाँ शहरों में रहने वालों का प्रतिशत जापान, ब्राजील, अमेरिका, रूस, इंडोनेशिया और चीन से कम है परंतु संख्या के लिहाज से भारत सिर्फ चीन से कम है। 2011 से 2030 तक वैश्विक शहरी आबादी में 140 करोड़ की वृद्धि का अनुमान है, जिसमें 27.6 करोड़ वृद्धि चीन में और 21.8 करोड़ भारत में होगी। ये दोनों देश नई शहरी आबादी में 37 प्रतिशत का योगदान देंगे। वहीं 2030 से 2050 तक विश्व की शहरी आबादी में 130 करोड़ की अनुमानित वृद्धि होगी जिसमें सबसे बड़ी 27 करोड़ की हिस्सेदारी भारत की होगी। 2030 तक भारत में दस लाख से अधिक आबादी वाले करीब 70 शहर होंगे। मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलूर और पुणे में एक करोड़ से अधिक आबादी होगी तथा मुंबई व दिल्ली विश्व के सबसे बड़े पाँच शहरों में शामिल होंगे। यह अति–शहरीकरण अत्यंत चुनौतीपूर्ण है और चिंताजनक भी। संयुक्त राष्ट्र के आकलन के मुताबिक भारत के शहरी क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति निवेश मात्र 17 डॉलर है जो चीन के निवेश का सातवाँ और न्यूयॉर्क का 17वाँ हिस्सा है। यही नहीं, गलत संसाधन आवंटन और खराब क्रियान्वयन के कारण देश में इस व्यय के भी अपेक्षित परिणाम नहीं आए हैं।

शहरीकरण का महत्व

इसमें भी कोई शक नहीं कि शहरीकरण से देश की वृद्धि में मदद मिलती है और एक बड़ा वर्ग गरीबी की दलदल से बाहर निकल पाता है। भारत ने भी पिछले दो दशकों में जबरदस्त वृद्धि हासिल की। 1994 से 2012 के दौरान गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले लोगों का अनुपात 45% से घटकर 22% हो गया। लगभग 13 करोड़ से अधिक भारतीय गरीबी के दुष्चक्र से मुक्त हुए हैं। सरकार गरीबी उन्मूलन के लिए प्रतिबद्ध है जिसे प्रधानमंत्री ने "20 वीं शताब्दी का सबसे बड़ा अपूर्ण कार्य" कहा है। इस दिशा में ग्रामीण क्षेत्रों व कृषि एवं अनुषंगी उद्योगों के साथ साथ उत्तरोत्तर औद्योगिक, तकनीकी एवं इसके परिणामस्वरूप हुए शहरी विकास की भी अत्यंत महत्वपूर्ण भागीदारी है।

स्विट्ज़रलैंड के दावोस में विश्व आर्थिक मंच (World Economic Forum - WEF) सम्मेलन आयोजित हुआ। इसमें यह बात उभर कर सामने आई कि शहरों के विकास को ही भारत के विकास की धुरी माना जा रहा है। यह सही भी है क्योंकि किसी भी आधुनिक और विकासशील अर्थव्यवस्था में शहरों को विकास का सबसे बड़ा वाहक माना जाता है। भारत में नवीन भारत (New India) की पहल के विचार को आगे बढ़ाने की कड़ी में शहरी बुनियादी ढाँचों में सुधार के लिये शहरीकरण के प्रति समग्र दृष्टिकोण अपनाने की प्रक्रिया अपनाई गई है। शहरीकरण के कारण आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलता है, प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी के चलते लोगों के रहन–सहन का स्तर बेहतर होता है, उत्पादकता बढ़ती है और विशेष रूप से यह निर्माण (मैन्युफैक्चरिंग) और सेवाओं में रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करता है। शहरीकरण और शिक्षा के विकास के कारण जाति–प्रथा जैसी रूढ़ियाँ भी ध्वस्त होती हैं।

शहरीकरण के लाभ

शहरीकरण किसी देश के समग्र विकास में मदद करता है क्योंकि इससे स्थानीय प्रतिभाओं को सभी क्षेत्रों में अवसर मिलते हैं। शिक्षा, खेल, मनोरंजन, व्यवसाय, पर्यटन आदि के ज़रिये देश की समग्र अर्थव्यवस्था भी बढ़ती है। शहरीकरण के कारण, देश में अंतरराष्ट्रीय उपस्थिति रखने वाली बाहरी कंपनियों का प्रसार होता है और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को भी बढ़ावा

मिलता है। यह भी कहा जा सकता है कि शहरों के अंदर बने बनाए खांचे और खाने टूटते हैं और बाल विवाह, दहेज, लिंग भेदभाव जैसी सोच भी कम होती जाती है तथा लोग अपनी रूढ़ियों और अपने प्रतिगामी रवैये से बाहर आने लगते हैं। शहरीकरण सांस्कृतिक और सामाजिक संलयन को बढ़ावा देता है। विभिन्न धर्मों, जातियों और लिंगों के लोग सामाजिक और सांस्कृतिक बाधाओं के मानदंडों को तोड़ते हुए एक साथ काम करते हैं।

शहरीकरण की प्रक्रिया ने महिलाओं की सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों में व्यापक बदलाव किया है और उन्हें शिक्षा, व्यवसाय, नौकरी, आत्मनिर्भरता और सर्वांगीण विकास के लिए नये अवसर प्रदान किये हैं। शहरीकरण ने जाति व्यवस्था पर भी प्रभाव डाला है। वर्तमान में जातीयता के प्रति कटुता में कमी आई है। शहरीकरण ने धार्मिक क्षेत्र पर भी प्रहार किया है। ध्यान देने वाली बात यह है कि शहरों में लोगों की धर्म से आस्था होती है लेकिन वे धर्म के नाम पर आडंबर पर विश्वास नहीं करते हैं।

शहरीकरण की समस्याएँ

जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, जहाँ शहरीकरण के सकारात्मक प्रभाव हैं, वहीं इसके कई दुष्प्रभाव भी देखे जा सकते हैं। शहरीकरण की जिन समस्याओं–यंत्रणाओं के चलते वह एक बड़े जनसाधारण वर्ग के लिए अभिशाप तुल्य प्रतीत होता है, उसे जाने माने शायर शहरयार ने अपने इन अल्फ़ाज़ में बखूबी पिरोया है : **सीने में जलन आँखों में तूफ़ान सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है ?** प्रेमचंद के उपन्यास 'गोदान' या विमल राय निर्देशित 'दो बीघा ज़मीन' एवं सत्यजीत राय के 'महानगर' जैसे चलचित्रों में गाँव से शहर आये आम आदमी की त्रासदियों का जो चित्रण है, वे प्रगति–उन्नति के समस्त समीकरणों के बावजूद समय के साथ और विकट–विकराल ही होती गयी हैं।

शहर की यह विडंबना ही शहरीकरण का अभिशाप है, जिसे हबीब सोज़ ने कुछ ऐसे बयान किया है : **शहर में मज़दूर जैसा दर– ब–दर कोई न था/जिसने सबका घर बनाया उसका घर कोई न था !** तरक्की ज़रूर हुई है और सुविधायें भी बढ़ी हैं मगर सबके लिए नहीं। शहरों के पुराने इलाकों में सड़कें, गलियाँ, रोशनी, फुटपाथ, खुली जगहें, ड्रेनेज, सीवेज और सैनिटरी सिस्टम अक्सर बदहाल दिखते हैं। बिजली की अंधेरगर्दी का जो सच दुष्यंत ने बताया था उसे आज़ादी के इतने सालों बाद भी झुठलाया नहीं जा सका है – **कहाँ तो तय था चिराग हर एक घर के लिए/कहाँ चिराग़ मयस्सर नहीं शहर के लिए !**

शहरीकरण से संबंधित समस्याओं में चाहे बंगलूरू की प्रदूषित झीलें हों या गुरुग्राम का ट्रैफिक जाम और मुंबई की बारिश हो या फिर दिल्ली का वायु प्रदूषण, शहरीकरण का नकारात्मक प्रभाव अलग–अलग तरीके से देखा जा सकता है। फ़ारूक़ मुज्तर के शब्दों में – **न पानियों का इज्तिरार शहर में/न मौसमों का एतबार शहर में !** शहरी जनसंख्या में हो रही वृद्धि ने अनेक समस्याओं को जन्म दिया है जिसमें आवास की समस्या प्रमुख है। यह समस्या आवास की गुणवत्ता और मात्रा दोनों में देखने को मिलती है : **मैं उस मकान में रहता हूँ और ज़िंदा हूँ, 'वसीम' जिसमें हवा का गुज़र नहीं होता (वसीम बरेलवी) !** भारत की शहरी आबादी का लगभग 17.4% झुग्गी–झोपड़ी में रहता और प्रत्येक छह परिवारों में से एक परिवार गंदी बस्तियों यानी स्लम्स में रहता है। शहरों की झुग्गियों–खोलियों के सँकरे कोनों में गुज़ारा करने वालों की तकलीफ़ बशीर बद्र की याद दिलाती है : **ज़िंदगी तूने मुझे कब्रों से कम दी है ज़मीं/पाँव फैलाऊँ तो दीवार से सर लगता है।** वहीं महानगरों की अजनबीयत, जिसमें पड़ोसी भी पड़ोसी को नहीं जानता कुछ इस तरह आगाह करती है – **कोई हाथ भी न मिलायेगा जो गले मिलोगे तपाक से, ये नये मिजाज का शहर है ज़रा फ़ासले से मिला करो।** भावनाशून्यता, संवादहीनता और व्यक्तिवादिता की प्रवृत्ति शहरी जनसंख्या के जीवन का हिस्सा बन गई है : **अजनबी शहर के अजनबी रास्ते मेरी तनहाई पर मुसकुराते रहे।** आदमियों से भरे शहर में आदमीयत ढूँढ़ पाना मुश्किल हो जाता है : **घरों पे नाम थे, नामों के साथ ओहदे थे, बहुत तलाश किया कोई आदमी न मिला।** फिर आदमी खुद से कुछ ऐसे सवाल करता है : **भीड़ों में अकेले हैं, हम किस शहर में हैं/ सब आग से खेले हैं, हम किस शहर में हैं ?**

आर्थिक असमानता, संपत्ति व सुविधाओं का असंतुलन व निम्न–मध्यवर्गीय निर्धनता के अलावा सामाजिक सुरक्षा का अभाव, बेरोजगारी, भीड़भाड़, पानी की आपूर्ति में कमी, प्रदूषण, कचरा निपटान के मुद्दे बेतरतीब यातायात, अधिक तनाव, पारिवारिक विघटन, विवाह–विच्छेद, विधवाओं का शोषण, वृद्धों के साथ दुर्व्यवहार, स्वास्थ्य समस्याएँ, अस्वास्थ्यकर आहार, शारीरिक अकर्मण्यता, शहरी अपराध, और महामारियों के फैलने से जुड़ी आशंकाएँ शहरीकरण के बाद और विकट हुई अनेक समस्याओं में से कुछ हैं। भारतीय शहरों में आर्थिक असमानता विकसित देशों की तुलना में अधिक है। विडम्बना यह है कि इस आर्थिक अंतर के परिणामस्वरूप भी ग्रामीण शहरों की ओर आकर्षित होते हैं ! नवउदारवाद और वैश्वीकरण के बाद अब गाँव केवल खाद्य, श्रम एवं कच्चे उत्पादों के आपूर्तिकर्त्ता बनकर रह गए हैं और अधिकांश गाँव अपने अस्तित्व के लिये इन शहरों से जुड़े हुए हैं।

चुनौतियाँ

भारत के अधिकांश शहर अतिशहरीकरण के शिकार हैं। जब शहरी आबादी इतना बढ़ जाए की शहर अपने निवासियों को अच्छा जीवनशैली देने में

असफल हो जाए तो वह स्थिति अतिशहरीकरण कहलाती हैं। क़ैसर–उल जाफ़री जैसा कोई कोई शायर ही किसी किसी शहर के लिए कभी कभार यह कह पाता है कि **तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे, मैं एक शाम चुरा लूँ अगर बुरा ना लगे !** असंतुलित शहरी विकास के कारण आज शहरीकरण का प्रबंधन सबसे जटिल समस्या है। शहरों की चकाचौंध के वशीभूत आसपास के इलाकों में रहने वाले उनकी ओर पलायन कर जाते हैं, जहाँ पहले से ही लोगों की भरमार होती है। वहाँ वे भी पहले से ही मौजूद उन गंभीर समस्याओं के शिकार हो जाते हैं जिस तरफ़ निदा फ़ाज़ली ने इशारा किया है : **हर तरफ़ हर जगह बेशुमार आदमी, फिर भी तन्हाइयों का शिकार आदमी / सुबह से शाम तक बोझ ढोता हुआ, अपनी ही लाश का खुद मज़ार आदमी/ हर तरफ़ भागते दौड़ते रास्ते, हर तरफ़ आदमी का शिकार आदमी / रोज़ जीता हुआ रोज़ मरता हुआ, हर नये दिन नया इंतज़ार आदमी !** नोबल पुरस्कार प्राप्त वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग ने तो यहाँ तक कह दिया कि **"हम अपने लालच और बेवकूफी के कारण अपनी बर्बादी के चौखट पर खड़े हैं। बेतरह प्रदूषण और द्रुत जनसंख्या वृद्धि के साथ इस छोटे ग्रह पर हम खुद को निहारते नहीं रह सकते...नहीं बच सकते !'**

आगे की राह

देश में शहरीकरण की प्रक्रिया का समुचित प्रबंधन एवं ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों का साथ–साथ एवं सतत, संतुलित एवं समेकित विकास सभी नीति निर्माताओं एवं पालनकर्ताओं की मुख्य प्राथमिकता होनी चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार पैदा करने के साथ–साथ पलायन को कम करने के लिये ग्रामीण कृषि अर्थव्यवस्था का विविधीकरण करने की ज़रूरत है। इस मामले में, मनरेगा जैसी योजनाओं ने गाँवों से शहरों की ओर पलायन कम करने में अहम भूमिका निभायी है। वहीं, शहरी इलाकों के लिए केंद्र और राज्य स्तर पर कायाकल्प और शहरी रूपान्तरण तथा अवसंरचना को मज़बूत करने हेतु अटल मिशन फॉर रिजूवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन यानी अमृत योजना, हाउसिंग फॉर ऑल, स्मार्ट सिटीज, स्वच्छ भारत, PURA और श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन, स्मार्ट सिटी मिशन, डिजिटल इंडिया, जन धन योजना और मेक इन इंडिया सरीखी जो कई योजनायें चल रही हैं, उनके ज़रिये देश के शहरीकरण को अच्छी तरह से प्रबंधित किया जा सकता है। साथ ही, ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं के विकास तथा पर्यावरण के अनुकूल शहरीकरण के लिए बेहतर प्रबंधन, हरित क्षेत्र या ग्रीन पैचेज के विकास, आर्द्रभूमि, उचित अपशिष्ट प्रबंधन आदि पर और ज़ोर देने आवश्यकता है।'

देश के आधे से अधिक लोगों का जीवन खेती पर निर्भर है, इसलिये यह कल्पना करना बेमानी होगा कि गाँव के विकास के बिना देश का विकास किया जा सकता है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के उत्थान के लिये भी बुनियादी सुविधाएँ तथा तकनीकी विकास मुख्य वाहक हैं। मानव जाति का नैसर्गिक इतिहास लाखों वर्षों का रहा है, जबकि शहरों का अस्तित्व कुछ हज़ार साल का। काउपर ने संभवतः इसी संदर्भ में यह कहा है कि **शहर मनुष्य का बनाया संसार है और गाँव ईश्वर का !**

नयी पहल

इस क्षेत्र में अलग–अलग देशों में जो काम चल रहा है, उनके जरिये शहरों के स्तर पर की जाने वाली पहल के असर को समझा जा सकता है। बर्लिन और सिंगापुर में अलग–अलग यातायात व्यवस्था शहर के कई इलाकों को जोड़ती है, यूरोप में कई देश शहरों में सड़कों पर मोटरगाड़ियों की संख्या घटा रहे हैं, डरबन में लोग आसपास स्थित अपने दफ्तरों में चलकर जाना पसंद करते हैं, मॉस्को यातायात और स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है, ताकि बेहतर ढंग से काम कर सके, अबू धाबी में शानदार अर्बन प्लानिंग और डिवेलपमेंट दिखता है और जापानी शहर ग्रीन हाउस गैसों के निकास और ध्वनि प्रदूषण को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। इस संदर्भ में मैनुअल कैसेल द्वारा प्रस्तुत 'नेटवर्क सोसायटी' की अवधारणा का ज़िक्र भी प्रासंगिक होगा, जिसे इसे 'स्मार्ट सिटी' के संदर्भ में भारत में समझे जाने की आवश्यकता है।

उपसंहार

उपरोक्त बिंदु यह स्पष्ट करते हैं कि शहरीकरण अभिशाप के साथ–साथ वरदान भी है। यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि लोग अवसर का उचित उपयोग कैसे करते हैं। यह सच है कि इसने प्रकृति के साथ मनुष्य का संतुलन बिगाड़ दिया है, लेकिन अगर शहरीकरण की प्रक्रिया एक संगठित तरीके से होती है तो ऐसी समस्याओं से निपटा जा सकता है। अत्यधिक शहरीकरण पर नियंत्रण हेतु संतुलित और समवेशी विकास, स्थायी उद्योगों, पर्यावरण के अनुकूल बुनियादी ढाँचे और पर्यावरण के अनुकूल प्रौद्योगिकी नियोजन और निवेश, जनता के बीच ऐसे उत्पादों और प्रौद्योगिकी के उपयोग को प्रोत्साहित करना तथा ग्रामीण और सुदूर अंचलों में भी रोज़गार के अवसर उपलब्ध कराना अत्यंत महत्वपूर्ण है। कुछ अब्बास ताबिश की तरह कहें तो :

पानी आँख में भर कर लाया जा सकता है
अब भी जलता शहर बचाया जा सकता है

देश में बढ़ता शहरीकरण : वरदान या अभिशाप

– संजय कुमार,
प्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक

बीसवीं सदी की शुरुआत में जब महात्मा गाँधी ने कहा था कि 'भारत गाँवो में बसता है' तो शायद ही किसी ने कल्पना की होगी कि एक सदी के बाद सूरत इतनी बदल जाएगी कि एक आम गाँववासी भी शहर का वासिंदा होने को बेताब हो उठेगा। यदि आंकड़ों पर गौर किया जाए तो वर्ष 1901 में जहाँ भारत की 89.20% जनसंख्या गाँवों में निवास करती थी, वहीं वर्ष 2011 में यह अनुपात घटकर 68.84% रह गया। दूसरे शब्दों में कहें तो वर्ष 1901 में जहाँ 10.8% लोग शहरों में निवास करते थे, वहीं वर्ष 2011 में यह अनुपात बढ़कर 31.16% हो गया, जो इस बात का गवाह है कि शहरीकरण की प्रवृत्ति किस तरह दिनों–दिन बलवती हुई है। शहरी आबादी में वृद्धि के आंकड़ों पर दृष्टिपात करने पर विदित होता है कि स्वतंत्रता के पूर्व तक शहरी आबादी मंथर गति से बढ़ रही थी लेकिन स्वतंत्रता के उपरांत; विशेषकर वर्ष 1991 में शुरु हुए उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के पश्चात इसमें सरपट वृद्धि देखी गई। यदि 2001 से 2011 के बीच संख्या के आधार पर शहरी जनसंख्या में वृद्धि का विश्लेषण करें तो विदित होता है कि इस दौरान ग्रामीण आबादी में जहाँ 90.4 मिलियन लोग जुड़े, वहीं शहरी आबादी में 91.0 मिलियन लोगों का इज़ाफा हुआ। जनसंख्या के अलावा शहरी इकाइयों में भी वृद्धि देखी गई जो वर्ष 2001 की 5161 से बढ़कर वर्ष 2011 में 7935 हो गईं। शहरीकरण के नफा–नुकसान पर चर्चा के पूर्व शहरीकरण का आशय और शहरीकरण के मूल कारणों पर विहंगम दृष्टि डाल लेना प्रासंगिक होगा।

शहरीकरण क्या है?

शहरीकरण को नगरीकरण भी कहा जाता है, जिसका आशय नगरीय क्षेत्र के विस्तार और नगरीय जनसंख्या में वृद्धि से है। जनगणना–2011 के वर्गीकरण अनुसार–नगर पालिका, नगर निगम, छावनी बोर्ड वाले सभी स्थान अथवा अधिसूचित शहर तथा अन्य मानव बस्तियाँ, जिनकी न्यूनतम आबादी 5000/– से अधिक हो और जहाँ 75% पुरुष कामगार गैर–कृषि गतिविधियों में लगे हों तथा जहाँ जनसंख्या का घनत्व कम से कम 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो, शहर कहे जा सकते हैं। शहरीकरण वस्तुतः औद्योगिकीकरण से प्रादुर्भूत संकल्पना है। शहर बसाए नहीं जाते, बस जाते हैं। किसी क्षेत्र विशेष में औद्योगिक इकाइयों की स्थापना और व्यवसायिक गतिविधियों में विस्तार के साथ ही दूर–दूर से लोगों का रोजगार के लिए वहाँ आगमन होता है और कालांतर में वे वहीं बस जाते हैं। लोगों की इस बसावट के कारण उनकी रोजमर्रा की जरूरतों (रोटी, कपड़ा, मकान, परिवहन आदि) से जुड़े अन्य अनुषंगी कारोबार भी पनपने लगते हैं जिससे वहाँ की आबादी में धीरे–धीरे और लोग जुड़ते जाते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, बिजली, पानी आदि की बेहतर बुनियादी संरचना भी लोगों को शहरों की ओर आकर्षित करती है। जोत का घटता आकार और कृषि क्षेत्र का फायदेमंद न रहना भी शहरीकरण को बढ़ावा देता है।

शहरीकरण वरदान है या अभिशाप

शहरीकरण वरदान है या अभिशाप; पर मंथन के पूर्व 'वरदान' और 'अभिशाप' का आशय समझ लेना प्रासंगिक होगा। हिंदू धर्मशास्त्रों के अनुसार 'वरदान' हम उस चीज को कहते हैं जो हमारे लिए लाभप्रद और हितकर होती हैं। जिन चीजों से हमें नुकसान होता है, उन्हें हम 'अभिशाप' कहते हैं। जहाँ तक शहरीकरण के वरदान अथवा अभिशाप का प्रश्न है तो यह विभिन्न पक्षों के अपने–अपने हितों के अनुसार तय होता है; क्योंकि जो चीज किसी के लिए वरदान है, वही अन्य के लिए अभिशाप भी है। उदाहरण के लिए रोजगार की तलाश करने वालों के लिए शहरीकरण जहाँ वरदान है, वहीं शुद्ध हवा में सांस लेने की चाहत रखने वालों के लिए यह अभिशाप है।

शहरीकरण एक वरदान है : शहरीकरण वरदान क्यों है, को निम्नलिखित कारकों के माध्यम से समझा जा सकता है:

रोजगार के प्रचुर अवसर

शहरों में तरह–तरह की व्यवसायिक गतिविधियाँ संचालित होती हैं जिसके कारण वहाँ रोजगार की प्रचुर संभावनाएं रहती हैं। कुशल मजदूर से लेकर अकुशल मजदूर तक सभी को काम मिल जाता है और मजदूरी भी उचित मिलती है। रोजगार और स्वरोजगार दोनों तरह के अवसर वहाँ मौजूद रहते हैं। मसलन, फैक्टरियों, दुकानों,

कार्यालयों एवं अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में लोगों को जहाँ रोजगार मिल जाता है, वहीं रिक्शा चलाने वालों, फेरी लगाने वालों, सब्जी बेचने वालों, ठेला लगाने वालों, पंचर बनाने वालों को स्वरोजगार मिल जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वहाँ व्यवसायिक कार्यों के साथ–साथ घरेलू कार्यों में भी रोजगार उपलब्ध रहता है और स्त्री तथा पुरुष दोनों को काम मिल जाता है। आज शहरों में झाड़ू–पोछा, बर्तन, किचेन आदि के लिए नौकरानियों की भारी मांग है और इन कार्यों में पर्याप्त पैसा भी मिलता है। इससे पति–पत्नी दोनों अर्जक बन जाते हैं। इस दोहरी आमदनी से शहर में उनका जीवन–यापन और भी सुगम हो जाता है। शहरों में रोजगार के पर्याप्त अवसर होने का एक अन्य कारण वहाँ बहुराष्ट्रीय कंपनियों के कार्यालय, संयत्र आदि का होना भी है। आज चेन्नै, बंगलूरू, पुणे, गुड़गाँव, नोएडा जैसे शहरों में निजी और विदेशी कंपनियों के तमाम कार्यालय हैं, जहाँ देशभर से पेशेवर नौकरी करते हैं।

शिक्षा का बेहतर ढाँचा

शहरों में साक्षरता दर अधिक होने के साथ–साथ शिक्षा का बुनियादी ढाँचा भी बेहतर होता है। बच्चों के लिए अच्छे स्कूल, कालेज, ट्यूशन, कोचिंग, हॉबी क्लासेज़ जैसी सभी सुविधाएं उपलब्ध रहती हैं। भारत जैसे देश में जहाँ शिक्षा का मुख्य उद्देश्य रोजगार पाना है, हर आदमी अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा के खातिर शहर भेजना चाहता है। आज दिल्ली, जयपुर, कोटा जैसे तमाम शहर हैं, जहाँ दूर–दूर से बच्चे आकर विभिन्न प्रतियोगिताओं की तैयारी करते हैं। जब नौकरियाँ बेहद कम हों और दावेदार बहुत अधिक हों, तो योग्यतम बनना ही सफलता का पैमाना है। शहरों का मजबूत शिक्षा ढाँचा लोगों को योग्य और कुशल बनाने में कारगर है, जो अच्छे कैरियर की ख्वाहिश रखने वालों के लिए वरदान से कम नहीं है।

बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं

स्वास्थ्य सुविधाओं के लिहाज से शहरों की स्थिति गाँवों से कई गुना बेहतर है। गाँवों में जहाँ दूर–दूर तक कोई स्वास्थ्य केंद्र अथवा डॉक्टर नहीं होता, वहीं शहरों में सरकारी और निजी अस्पतालों के साथ–साथ डॉक्टर, विशेषज्ञ, पैथॉलॉजी, मेडिकल स्टोर्स आदि आसानी से उपलब्ध रहते हैं। किसी भी आकस्मिक स्थिति में लोगों की स्वास्थ्य सुविधाओं तक आसान पहुँच रहती है। उन लोगों के लिए जिन्हें नियमित चिकित्सीय जाँच, थेरेपी आदि की जरूरत रहती है, शहर का स्वास्थ्य ढाँचा वरदान है।

परिवहन की बेहतर व्यवस्था

ग्रामीण क्षेत्रों में अगर किसी को एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो उसके पास खुद का साधन होना आवश्यक है। वहाँ सार्वजनिक और निजी परिवहन के साधन सीमित होते हैं, फ्रीक्वेंसी काफी कम होती है और भाड़ा भी अधिक रहता है। इसके बनिस्पद शहरी क्षेत्रों में रिक्शा, आटो, टेम्पो, ओला, उबर, बस, मेट्रो, रेल जैसे तमाम साधन उपलब्ध रहते हैं जो न केवल किफायती होते हैं, बल्कि आने–जाने में समय भी कम लगता है। मुम्बई में रोज करोडों लोग लोकल ट्रेन से शहर के एक छोर से दूसरे छोर तक सफर करते हैं, जिसमें उनका समय भी बचता है और पैसा भी। यही हाल भारत की राजधानी और देश के दूसरे सबसे बड़े शहर दिल्ली का है। दिल्ली में मेट्रो रेल का नेटवर्क इतना सघन है कि आप शहर के किसी भी भाग में रहते हों, हर जगह आपके करीब है। शहरों की बेहतर परिवहन व्यवस्था शहर–सीमा के विस्तार को भी प्रोत्साहित करती है। विगत में हमने देखा है कि दिल्ली एनसीआर में जहाँ–जहाँ मेट्रो लाइन पहुँचती गई, वहाँ तेजी से शहरीकरण हुआ।

बिजली, पानी, संचार आदि का बेहतर बुनियादी ढाँचा

शहरों की बिजली, पानी, संचार आदि की बेहतर व्यवस्था लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। बिजली जीवन की मूलभूत आवश्यकता है। टीवी, फ्रिज़, एसी, पंखे, कंप्यूटर, मोबाइल, वाशिंग मशीन, मिक्सी, माइक्रोवेव, गीज़र जैसी रोजमर्रा उपयोग की सभी वस्तुएं बिजली से संचालित होती हैं। चूँकि शहरी क्षेत्र में गाँवो के मुकाबले बिजली की आपूर्ति बेहतर होती है, अतएव, लोगों के लिए न केवल घरेलू जीवन–यापन सुगम रहता है, अपितु औद्योगिक इकाइयाँ, कार्यालय, व्यवसायिक प्रतिष्ठान चलाना भी आसान रहता है। बिजली और संचार सुविधाओं (ब्रॉड बैण्ड सहित) के कारण शहरों के कार्य–समय में भी विस्तार हुआ है। बच्चे देर रात तक पढ़ाई कर सकते हैं, फैक्टरियों और कार्यालयों में देर तक काम हो सकता है, लोग देर रात तक आवागमन कर सकते हैं। इन सुविधाओं के कारण आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलता है, जो शहर और उनके निवासियों के लिए एक वरदान है।

पैसा देने से सब कुछ सुलभ है

गाँवों के मुकाबले लोग शहरों को इसलिए तरजीह देते हैं क्योंकि वहाँ पैसा फेंकने पर हर चीज सुलभ है। किसी के सहारे नहीं रहना पड़ता। आज गाँव में यदि आपको कोई काम कराना है, तो मजदूर

मिलना मुश्किल है। मजदूर सिर्फ उन्हें मिल पाते हैं जिनका व्यवहार अच्छा है अथवा जिनका मजदूरों पर प्रभाव या दबाव है। जबकि शहरों में मजदूरों की मण्डियाँ लगती है, आप पैसा खर्च करिए और काम करा लीजिए। गाँव में घरेलू काम के लिए नौकर–नौकरानियाँ मिलना कठिन है, जबकि शहरों में यह सर्व सुलभ है। यही हाल दूध, दही जैसी उपभोग की वस्तुओं का है। दूध गाँवों से ही शहर में आता है, लेकिन अगर गाँव में आपके घर में दूध की व्यवस्था नहीं है, तो अधिक पैसे देने पर भी मिलना मुश्किल है। जबकि शहर में आप इन चीजों को हर समय खरीद लेंगे। गाँवों में आपके पास पैसा होते हुए भी जीवन निर्वाह के लिए औरों के सहयोग एवं सहारे की आवश्यकता होती है, जबकि शहर में आप भोजन, पेय से लेकर हरेक उपभोक्ता वस्तु ऑनलाइन ऑर्डर पर प्राप्त कर सकते हैं।

पेशवर प्रवृत्ति

शहरों में लोगों के अंदर पेशेवराना प्रवृत्ति पाई जाती है। उन्हें दुनियादारी की बजाए अपने काम से काम रहता है। गाँव जैसा ईर्ष्या–द्वेष, मनमुटाव अथवा ओछी राजनीति का वहाँ प्रायः अभाव रहता है, जिसके कारण लोग अपनी रोजी–रोटी पर बेहतर ध्यान केंद्रित कर पाते हैं।

बहुसांस्कृतिक समाज

शहरों में देश के विभिन्न हिस्सों से आए और अलग–अलग जाति–संप्रदाय से ताल्लुक रखने वाले लोग एक जगह रहते हैं, जिससे वहाँ एक बहुसांस्कृतिक समाज की झाँकी देखने को मिलती है। लोग एक दूसरे की परंपराओं, रीति–रिवाज़ों, खान–पान, रहन–सहन आदि से परिचित होते हैं और गुण–दोष के आधार पर उन्हें आत्मसात भी करते हैं। इससे उन्हें अपनी रूढ़ियों को तोड़ने, जाति–पाँति से ऊपर उठने और खुले समाज की अवधारणा में जीने का अवसर मिलता है, जो अंततोगत्वा उनके व्यक्तित्व के विकास में सहायक होता है।

व्यवस्थित बाजार

शहरों में हर चीज का व्यवस्थित बाजार होता है। वस्त्र, आभूषण, किराना, स्टेशनरी, फर्नीचर, क्रॉकरी, हार्डवेयर, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल्स जैसी सभी आवश्यक वस्तुओं के अलग–अलग मार्केट होते हैं। बड़े–बड़े मॉल्स में आप एक ही छत के नीचे जरूरत की सभी वस्तुएं खरीद सकते हैं। इससे आपका समय बचता है और उत्पाद भी आपकी पसंद के मिल जाते हैं। उपभोक्ता वस्तुओं के अलावा शहरों में 'रेडी टू मूव' वाले मकान, फ्लैट भी चंद मिनटों में खरीदे जा सकते हैं, जो गाँवों में संभव नहीं है।

शहरीकरण एक अभिशाप है

शहरीकरण यदि कई मायनों में वरदान है तो कुछ ऐसे भी कारक हैं जो इसे अभिशाप बनाते हैं। इन कारकों का विश्लेषण हम निम्नानुसार करेंगे:

अनियमित और अनियोजित शहरीकरण

सुनियोजित शहरीकरण कभी अभिशाप नहीं होता, लेकिन जब अंधाधुंध बस्तियाँ बगैर किसी मास्टर प्लान के बसने लगती हैं तो यह अभिशाप बन जाता है। आग, बाढ़, भूकम्प, महामारी जैसी त्रासदियों में सबसे अधिक जान–माल का नुकसान इन्हीं बस्तियों में होता है। चूँकि बड़े–बड़े महानगरों में मजदूरों और कम आय वर्ग को आवास जैसी बुनियादी जरूरत का इंतजाम करना मुश्किल होता है, ऐसे में वे झुग्गी झोपड़ियाँ बनाकर रहने लगते हैं। भारत की शहरी आबादी का लगभग 17.4% झुग्गी–झोपड़ियों में रहता है। ये झोपड़ियाँ मलिन जगहों पर स्थित होती हैं, शौचालय, स्नानघर आदि का प्रायः अभाव होता है, लोग खुले में शौच करते हैं और आसपास के परिवेश को और भी गंदा बना देते हैं। ऐसी परिस्थितियों में निवास करना न केवल अस्वास्थ्यकर होता है, अपितु अमानवीय भी है।

प्रदूषण का बढ़ता स्तर

वायु, जल और ध्वनि तीनों तरह के प्रदूषण के मामले में शहरों की स्थिति गाँवों से बदतर है। औद्योगिक इकाइयों और वाहनों से निकलते जहरीले धुँए के कारण शहरों की हवा दूषित हो जाती है। नए–नए निर्माण हेतु जमीन की आवश्यकता के चलते पेड़–पौधों की अंधाधुंध कटाई की जाती है जिसके कारण हवा को शुद्ध रखने का प्राकृतिक जरिया भी खत्म हो जाता है। विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार 70% ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के लिए शहरी आबादी जिम्मेदार है। वाहनों के हॉर्न, कारखानों और निर्माण गतिविधियों में लगी मशीनों के शोर से लोगों की सुनने की क्षमता, कार्यक्षमता और एकाग्रता में कमी आने लगती है तथा वे मानसिक बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। कुछ शहरों में ड्रेनेज की मुकम्मल व्यवस्था न होने के कारण घरों और फैक्टरियों का गंदा पानी जल स्रोतों को मलिन कर देता है, जो उदर संबंधी बीमारियों का कारण बनता है। आज यदि गंगा मलिन हो रही है तो इसमें हरिद्वार, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, फर्रूखाबाद, हावड़ा जैसे शहरों का

बड़ा योगदान है। कुल मिलाकर कहें तो शहरीकरण लोगों को 'वृक्ष, जल और शुद्ध हवा, जीवन की अनमोल दवा' से वंचित कर देता है।

ट्रैफ़िक जाम

शहरों में बढ़ती आबादी के कारण सड़कों पर वाहनों का दबाव दिनोंदिन बढ़ रहा है और मौजूदा सड़क संरचना इतने बड़े यातायात को संभालने में नाकाफी साबित हो रही है। आए दिन लगने वाले लम्बे–लम्बे जाम से जूझने में लोगों का कीमती समय बर्बाद होता है जो उनके वर्क–लाइफ बैलेंस को भी प्रभावित करता है।

उजड़ते गाँव और मजदूरों की किल्लत से कृषि का बुरा हाल

शहरीकरण के कारण गाँवों में मजदूरों की कमी हो गयी है। कृषि जो कभी सबसे बड़ा रोजगार देने वाला क्षेत्र हुआ करता था, तमाम यंत्रीकरण के बावजूद मजदूरों की कमी से जूझ रहा है। चूँकि अब खेती की बजाए शहरों में मजदूरी करके अधिक कमाया जा सकता है, अतएव लोग कृषि से विरत हो रहे हैं। मजदूरी हेतु शहरों की ओर पलायन से गाँव उजड़ रहे हैं। गाँवों का खुशनुमा माहौल, तीज़–त्योहारों पर जुटती भीड़, शाम की चौपालें, कहकहे लगाते लोग, हँसी–ठिठोली करती महिलाओं की टोलियाँ अब गुजरे दिनों की बात हो चली है।

मशीन बना आदमी

शहरीकरण ने आदमी को सामाजिक प्राणी की बजाए मशीन बना दिया है। कमाई के चक्कर में वह न दिन देख रहा है, न रात। रिश्तों–नातों और अन्य मानवीय मूल्यों से बढ़कर पैसा हो गया है। हर व्यक्ति को अपने काम से मतलब है। कोई दुर्घटना हो जाने पर लोग मुँह चुराकर निकल जाते हैं, किसी के पास किसी के लिए समय ही नहीं है। शहरीकरण ने मानवीय संवेदनाओं को कुंद करने के साथ–साथ सहकारिता की भावना को भी नुकसान पहुँचाया है।

संस्कृति और भाषा–बोली पर आघात

शहरीकरण का असर लोगों की भाषा और संस्कृति पर भी पड़ा है। आधुनिक बनने की होड़ में लोग अपनी पुरातन संस्कृति से दूर हो रहे हैं। बड़े–बुजुर्गों की सेवा करना, बड़ों की बात मानना, सामाजिक शिष्टाचार अब गौण हो चुका है। जीवनमूल्यों को विकसित करने की बजाए हैसियत बढ़ाना प्राथमिकता हो गया है। शहरीकरण के कारण 'सर्वे भवंतु सुखिनः' और 'वसुधैव कुटुम्बकम' की हमारी चिर परंपरा को भी ठेस पहुँची है। मिलावटखोरी, ठगी, दलाली ने पेशे का रूप ले लिया है। परिवार की अवधारणा सिमटकर मैं और मेरा तक आ पहुँची है। सबसे बुरा हाल तो बुजुर्गों का है, जिनसे कोई बात करने वाला नहीं है। शहर का एकाकी जीवन उनके लिए नजरबंदी से कम नहीं है।

शहरीकरण ने हमारी बोलियों के लिए भी खतरा उत्पन्न किया है। लोग बोलियों का दामन छोड़कर शहर की भाषा अथवा अंग्रेजी अपना रहे हैं। कुछ तो ऐसा संप्रेषण के प्रयोजन से कर रहे हैं, तो कुछ अपने को औरों से योग्य और शिक्षित दिखाने के लिए। बोलियों में जो नेह का पुट रहता है, वह भाषा में कहाँ, लिहाजा अपनत्व का भाव भी तिरोहित हो रहा है।

अपराध

शहरीकरण का एक अभिशाप वहाँ बढ़ता अपराध भी है। शहरों में देश के कोने–कोने से लोग आकर बस जाते हैं, जिनकी मूल पहचान और गतिविधियों के बारे में आस–पास के लोग प्रायः अनजान रहते है, इसी का फायदा उठाते हुए कुछ लोग आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देते हैं और अक्सर पकड़ से बाहर रहते हैं। आज चैन स्नैचिंग, पिक्क पॉकेटिंग, वाहन–चोरी जैसी घटनाएं शहरों में इसलिए बढ़ रही हैं, क्योंकि घटना को अंजाम देकर भीड़ में गुम हो जाना आसान है।

निष्कर्ष

शहरीकरण के गुण–दोषों के उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर यह निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि शहरीकरण उत्पादकता को बढ़ाता है, प्रतिभाशाली कामगारों को आकर्षित करता है और नवाचार को प्रोत्साहित करता है। देश के सकल घरेलू उत्पाद में शहरी क्षेत्र का योगदान लगभग 65% है। 21वीं सदी विकास की सदी है और आज दुनियाँ में जो भी विकसित देश हैं, वहाँ अविकसित और अल्प विकसित देशों की तुलना में शहरीकरण अधिक है। हालांकि, शहरीकरण के कतिपय दुष्परिणामों से इनकार नहीं किया जा सकता है, किंतु इससे शहरीकरण के तमाम फायदों को नजरंदाज नहीं किया जा सकता। एक सुनियोजित शहरीकरण जनता और देश की अर्थव्यवस्था दोनों के लिए वरदान है। यदि शहरीकरण केवल अभिशाप होता तो फिर शहरों की ओर लोगों का अंधाधुंध पलायन न हो रहा होता। आखिर शहरों में कुछ तो ऐसा है जिसके कारण लोग अपने गाँव की माटी छोड़कर शहरों की ओर खिंचे चले जा रहे हैं।

भारतीय अर्थव्यवस्था में आवास वित्त क्षेत्र की भूमिका

– नौशाबा हसन,
सहायक महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक

आर्थिक समीक्षा 2020–21 के अनुसार वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था नॉमिनल जी.डी.पी. के हिसाब से विश्व की छठवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जिसमें सेवा क्षेत्र 53.89% की अपनी हिस्सेदारी के साथ सबसे प्रमुख योगदानकर्ता है। समीक्षा में यह भी बताया गया है कि वर्ष 2020–21 में वित्त, भू–संपदा व पेशेवर सेवा क्षेत्र ने अर्थव्यवस्था के समग्र जी.वी.ए. (ग्रॉस वैल्यू एडेड/ सकल मूल्य वर्धित) में 22% से अधिक का योगदान दिया है। किफायती आवास पर आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की एक रिपोर्ट के अनुसार आवास क्षेत्र भारत की जी.डी.पी. वृद्धि–दर को एक से डेढ़ प्रतिशत तक बढ़ाने की क्षमता रखता है और यही वजह है कि इसे देश की आर्थिक प्रगति का इंजन माना जाता है। आवास क्षेत्र ढाई सौ से भी अधिक उद्योगों के साथ अपनी मजबूत पश्चगामी और अग्रगामी सहलग्नता से अर्थव्यवस्था को संबल प्रदान करता है। यह क्षेत्र सामाजिक एवं सांस्कृतिक वातावरण में परिवर्तन के लिए एक उत्प्रेरक के रूप में तो कार्य करता ही है साथ ही मैक्रो स्तर पर बड़ी संख्या में रोजगार उत्पन्न कर आर्थिक गतिविधियों को व्यापक भी बनाता है। आई.आई.एम. अहमदाबाद के एक अध्ययन के अनुसार आवास क्षेत्र का अर्थव्यवस्था में निवेश और रोजगार सृजन पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। आवास निर्माण पर होने वाले कुल व्यय में एक ईकाई की वृद्धि से अर्थव्यवस्था में अतिरिक्त आय सृजित होती है जो कुल मिलाकर इस क्षेत्र में होने वाली सीधी आय से लगभग पाँच गुना अधिक होती है। साथ ही आवास के निर्माण में कुल व्यय की एक अतिरिक्त इकाई से अर्थव्यवस्था में कुल मिलाकर इतना रोजगार सृजित हो जाता है जो एक हद तक स्वयं निर्माण क्षेत्र में होने वाले सीधे रोजगार का लगभग आठ गुना होता है। रोजगार सृजन के हिसाब से देखा जाये तो यह क्षेत्र वर्तमान में कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है। राष्ट्रीय कौशल विकास परिषद के "मानव संसाधन और भू–संपदा सेवा क्षेत्र में कौशल अपेक्षाएं" प्रतिवेदन के अनुसार आवास क्षेत्र 145 मिलियन लोगों को रोजगार प्रदान करता है जिसके वर्ष 2022 तक आते–आते 160 मिलियन का आंकडा छू जाने की आशा की जा रही है। आर्थिक परिप्रेक्ष्य में ही नहीं, सामाजिक क्षेत्र के उन्नयन में भी आवास क्षेत्र अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। आवास मनुष्य की बुनियादी आवश्यकता मात्र ही नहीं बल्कि मानव विकास के रूप में एक राष्ट्र की प्रगति का संकेतक भी होता है। आवासीय क्षेत्र तक आबादी के एक बड़े वर्ग की पहुँच जहाँ समतामूलक विकास को बढ़ावा देकर वित्तीय समावेशन को सुविधापरक बनाती है वहीं गरीबी उन्मूलन व मानव–विकास सूचकांक में सुधार को भी इंगित करती है। अर्थव्यवस्था में आवास क्षेत्र के इतने महत्वपूर्ण योगदान को देखते हुए अब तक लागू की गई बारह पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से आवासीय क्षेत्र को प्रोत्साहन देने हेतु अनेक प्रावधान किये गए हैं जिनमें से कुछ उल्लेखनीय हैं–

क्र. सं.	आवास नीति/कार्यक्रम	वर्ष
i.	राष्ट्रीय आवास नीति	1988
ii.	राष्ट्रीय आवास एवं पर्यावास नीति	1998
iii.	जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नचीकरण मिशन	2005
iv.	राष्ट्रीय शहरी आवास एवं पर्यावास नीति	2007
v.	शहरी गरीबों के आवास हेतु ब्याज सब्सिडी योजना (इशप) राजीव ऋण योजना (आरआरवाई)	2008 2013
vi.	राजीव आवास योजना	2009
vii.	भागीदारी में किफायती आवास	2013
viii.	प्रधानमंत्री आवास योजनाः 2022 तक सबके लिए आवास	2015

बीते कुछ वर्षों के दौरान भी भारत सरकार ने आवास क्षेत्र को मज़बूती देने हेतु अनेक नीतिगत पहलें की हैं, जिनमें प्रमुख रूप से शामिल हैं:

भारतीय आवास वित्त बाज़ारः एक विहंगावलोकन–

किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए आवास क्षेत्र के विकास की अपनी चुनौतियां होती हैं, जिसमें सबसे बड़ी चुनौती वित्त तक पहुंच की होती है। केंद्र सरकार की राष्ट्रीय आवास नीति में आवास वित्त हेतु संस्थागत प्रणाली के विकास और उन तक आम आदमी की पहुँच पर सबसे अधिक बल दिया गया है। आवास में निवेश ऐसा एकल सबसे बड़ा निवेश होता है जो व्यक्ति अपने जीवन–काल में करता है। इस प्रयोजन हेतु उसे अपनी बचत के साथ–साथ संस्थागत स्रोतों से वित्तपोषण की भी आवश्यकता पड़ती है।

एक बेहतर संचालित आवास सेक्टर अर्थव्यवस्था के संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए निर्णायक होता है और जैसे–जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती जाती है, वैसे–वैसे ही आवास वित्त बाजार की गहनता में भी वृद्धि होती जाती है। भारतीय आवास वित्त क्षेत्र की यात्रा का पहला महत्वपूर्ण पड़ाव था वर्ष 1988 में राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना। यह वह समय था जब भारतीय अर्थव्यवस्था में आवास वित्त क्षेत्र की भूमिका लगभग नगण्य थी तथा कुछ गिने–चुने खिलाड़ी जैसे एच.डी.एफ.सी., हुडको आदि ही इस क्षेत्र में सक्रिय थे। राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना एवं आवास वित्त सम्बन्धी विभिन्न प्रोत्साहनकारी नीतियों ने लोगों का ध्यान इस क्षेत्र की तरफ आकर्षित किया। फलतः कई प्रमुख वित्तीय संस्थानों ने प्रत्यक्षतः या अपनी आनुषांगिक कंपनियां बनाकर आवास वित्त क्षेत्र में प्रवेश किया। सन नब्बे के दशक के अंतिम वर्षों में भारतीय बैंकों ने भी आवास वित्त क्षेत्र में प्रवेश किया जिसके बाद इस क्षेत्र का व्यापक विस्तार हुआ। सरफेसी एक्ट, 2002 का लागू होना आवास वित्त क्षेत्र में एक मील का पत्थर साबित हुआ जिसके फलस्वरूप बड़े–बड़े औद्योगिक समूह जैसे टाटा, रिलायंस, इण्डिया बुल्स, आदि भी स्वयं को आवास वित्त क्षेत्र से दूर नहीं रख पाये।

भारत सरकार की नीतियों तथा आर.बी.आई. एवं राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा जारी दिशा–निर्देशों एवं हस्तक्षेप के फलस्वरूप भारतीय आवास वित्त क्षेत्र आज एक मज़बूत क्षेत्र के रूप में उभरा है। हमारे देश में आवास वित्त की आपूर्ति मुख्यतः अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों एवं राष्ट्रीय आवास बैंक के साथ पंजीकृत आवास वित्त कंपनियों द्वारा की जाती है। यह संस्थाएं एक दूसरे की अनुपूरक एवं वर्धक मानी जाती हैं। यद्यपि इन संस्थाओं के अलावा भारतीय राष्ट्रीय सहकारी आवास संघ, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एन.बी.एफ.सी.) और सूक्ष्म वित्त संस्थान (एम.एफ.आई) जैसी संस्थाएं भी आवास ऋण उपलब्ध करवाती हैं तथापि बैंकों एवं आवास वित्त कंपनियों की तुलना में इनकी भागीदारी काफी कम है।

आज भारत में लगभग 20 लाख करोड़ रूपए का वैयक्तिक आवास वित्त बाजार है जिसमें अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एस.सी.बी.) और आवास वित्त कंपनियों (आ.वि.कं.) की हिस्सेदारी क्रमशः 66% और 33% है। ''भारत में आवास की प्रवृति एवं प्रगति रिपोर्ट 2020'' के अनुसार यथा 30 जून, 2020 को एस.सी.बी. की विभिन्न शाखाओं का वैयक्तिक आवास ऋण पोर्टफोलियो रूपए 13.37 लाख करोड़ रहा तो वहीं राष्ट्रीय आवास बैंक के साथ पंजीकृत कुल 101 आ.वि.कं. का सकल बकाया ऋण पोर्टफोलियो रूपए 7.47 लाख करोड़ रहा। यद्यपि देखने में यह प्रदर्शन संतोषप्रद लगता है तथापि विकसित देशों की तुलना में देखें तो आज भी हमारे देश में जी.डी.पी. के प्रतिशत के रूप में आवास ऋणों का प्रतिशत काफी कम, लगभग 9.9% मात्र ही है। जी.डी.पी. के प्रतिशत के रूप में आवास वित्त वृद्धि देश में आवास वित्त क्षेत्र की गहराई का विश्लेषण करने का एक अच्छा उपाय माना जाता है और भारत में इसका न्यून स्तर बताता है कि हमारे यहाँ आवास वित्त क्षेत्र में उन्नति के बहुत से अवसर उपलब्ध हैं, आवश्यकता है तो केवल उस दिशा में अर्थपूर्ण प्रयास करने की।

भारतीय अर्थव्यवस्था में आवास वित्त क्षेत्र में मांग और आपूर्ति जनित कई कारक हैं, जिनमें मुख्य रूप से शामिल हैं–

आवास वित्त क्षेत्र में मांग जनित कारक	आवास वित्त क्षेत्र में आपूर्ति जनित कारक
अनुकूल जनसांख्यिकी पेटर्न	नीतिगत और विनियामक सुधार
विशाल और सतत वृहत आर्थिक विकास	अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण
एकल परिवारों में बढ़ोतरी	विकासकों को राजकोषीय प्रोत्साहन
बढ़ता शहरीकरण	शहरी विकास संबंधी दिशानिर्देशों का सरलीकरण

बढ़ता हुआ मध्यम आय–वर्ग का समूह एवं बढ़ती जनाकांक्षाएं	भारत सरकार द्वारा अवसंरचनात्मक सहयोग
उपभोक्ताबाद में अत्यधिक वृद्धि, लोगों की बढ़ती क्रय–शक्ति	सस्ती ब्याज दरों पर अनेक वित्तीय बिकल्पों की उपलबधता

कोरोना परिदृश्य और भारतीय आवास वित्त बाज़ार–

कोविड–19 महामारी से उपजे लॉकडाउन और सुस्त उपभोक्ता भावना के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था ने अभूतपूर्व व्यवधानों का सामना किया है। इससे आवास क्षेत्र में निवेश गतिविधियों को भी बड़ा झटका लगा है। ग्राहकों की ई.एम.आई. देने की क्षमता का प्रभावित होना, एन.बी.एफ. सी. और आवास वित्त कंपनियों के तुलनपत्रों में तनाव आदि ने आवासीय इकाईयों में निवेश को प्रतिकूल तौर पर प्रभावित किया है। भारत सरकार और आर.बी.आई. ने आर्थिक सुधार हेतु कई उपाय किये हैं जिससे आवास वित्त क्षेत्र भी लाभान्वित हुआ है। राष्ट्रीय आवास बैंक ने भी अपने पुनर्वित्त, संवर्धनात्मक एवं विकासात्मक पहलों और प्रधानमंत्री आवास योजना, ऋण आधारित सब्सिडी योजना जैसी योजनाओं हेतु केंद्रीय नोडल एजेंसी के तौर पर आवास क्षेत्र को अपेक्षित सहायता प्रदान की है। सरकार द्वारा घोषित आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत वर्ष 2020–21 में पहले से आवंटित रू. 8,000 करोड़ के अतिरिक्त पी. एम.ए.वाई. (शहरी) के लिए रू. 18,000 करोड़ की राशि प्रदान की गई। इन घोषणाओं के तत्वाधान में आशा की जा रही है कि आवास क्षेत्र में रू. 70,000 करोड़ का निवेश होगा, स्टील और सीमेंट जैसे उत्पादों की मांग बढ़ेगी, निर्माण कार्य में तेजी आएगी, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर को लाभ मिलेगा और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।

अर्थव्यवस्था के दोबारा खुलने के साथ ही आवास वित्त गतिविधियां भी धीरे–धीरे पटरी पर आने लगी हैं। यथा सितंबर 2020 में बैंकों और आवास वित्त कंपनियों ने क्रमशः 8.5% और 3% की वर्ष–दर–वर्ष वृद्धि दर्ज करते हुए अपने–अपने बकाया आवास ऋणों के साथ ही आवास वित्त बाजार की सकारात्मक चाल को बनाए रखा है। सरकार द्वारा किये गए प्रावधानों जैसे किफायती आवासों को बुनियादी ढांचा दर्जा दिये जाने, समर्पित किफायती आवास निधि और राष्ट्रीय शहरी आवास निधि की स्थापना, प्रवासी श्रमिकों/ शहरी गरीबों हेतु सस्ते किराये के आवास परिसरों की योजना, पी.पी.पी. मॉडलों के तहत निजी सेक्टर को प्रोत्साहन आदि से भी आवास वित्त क्षेत्र में निरंतर वृद्धि के अवसर बने हुए हैं। अब तो आवास वित्त संवितरण की गति बढ़ाने हेतु आ.वि.कं. और बैंकों के सह–उधारवाले मॉडल को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। यह मॉडल बैंकों और आ.वि.कं. की विशेषताओं जैसे बैंकों के कम लागत वाले ऋण उत्पादों और आ.वि.कं. की गहन पहुंच का लाभ उठाते हुए आवास वित्त क्षेत्र को और गति देगा। वर्तमान परिदृश्य में कुछ उभरते हुए रुझान जो आवास वित्त क्षेत्र को आकार देंगे, निम्नानुसार हैं–

- टियर–I और टियर–II शहरों में बढ़ती आवास की मांगः कोविड के कारण हुआ उल्टा प्रवास अपनी तरह का एक सामूहिक प्रवास था जिसने टियर–I और टियर–II शहरों में आवास वित्त हेतु व्यापक संभावनाएं पैदा की हैं। इसके अलावा वर्क फ्रॉम होम के अब नया सामान्य (new normal) होने से इन शहरों के पेशेवर अपने गृहनगर से ही अपना काम जारी रख सकते हैं, जिससे इन इलाकों में आवास की मांग बढ़ रही है।
- तैयार आवास की मांगः आवास ऋण की ब्याज–दर कम होने से मकान खरीददारों की मांग बदल रही है और वे निर्मित होने वाली संपत्तियों का इंतजार करने की बजाए तैयार मकान को अधिक वरीयता दे रहे हैं।
- किफायती किराया आवासः आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने शहरी प्रवासियों/गरीबों हेतु किफायती किराया आवास परिसर (ए.आर.एच.सी.) की शुरूआत की है। यह पहल भी आवास वित्त क्षेत्र को मजबूती प्रदान करेगी।
- पूंजी निर्माण एवं वित्तीय समावेशनरू मासिक आवास ऋण किस्त की चुकौती दीर्घकालिक वचनबद्धता और बचत पूंजी निर्माण को बढ़ावा देती है। गृह–निर्माण में निवेश करने से ग्राहक विशेषकर निम्न आय–वर्ग ऐसी ईक्विटी संचित करते हैं जो आगे चलकर समर्थक जमानत के रूप में प्रयुक्त हो सकती है जिससे वह ग्राहक औपचारिक माध्यमों के द्वारा वित्त प्राप्त करने के लिए अधिक ऋण–पात्र भी बनता है। इस पृष्ठभूमि के कारण आवास वित्त की उपलब्धता वित्तीय समावेशन की दिशा में हमारी राष्ट्रीय नीति का एक अभिन्न बन रही है।

भारतीय आवास वित्त क्षेत्रः कुछ सुझाव–

- आवासीय वित्त का वित्तीय स्थायित्व से सीधा संबंध होता है तथा आवासन में होने वाले उतार–चढ़ाव अक्सर प्रणालीगत वित्तीय दबावों से संबंधित होते हैं। आवासन क्षेत्र में लोगों की जीवनभर की जमापूंजी दांव पर लगी होती है अतएव आवास वित्त बाजार में पारदर्शिता लाने के लिए इस क्षेत्र के सभी खिलाड़ियों पर समान नियमों का मानकीकरण आवश्यक है।

- आवास वित्त संस्थाएं लोगों को आवास वहन करने में समर्थ बनाने हेतु खंड–विशिष्ट उत्पाद जैसे बचत–प्रेरित आवास ऋण, आवास ऋण–जमा, हरित–भवन निर्माण जैसे नवोन्मेषी उत्पाद विकसित कर सकती हैं।

- आवास वित्त की प्रक्रियाओं एवं दस्तावेज़ीकरण को सरल बनाया जाना चाहिए। कम राशि के आवास ऋणों के लिए भिन्न मूल्यांकन और जोखिम प्रबंधन पद्धतियाँ अपनाई जानी चाहिए। अल्प–परिमाण (लो–टिकट) आवास खंड में उत्पन्न होने वाली ऋण जोखिमें भी उपयुक्त बीमा योजनाओं के माध्यम से आंतरिकीकृत (इंटर्नलाइज) की जानी चाहिए।

- आवासीय गतिविधियों से संबंधित डाटा एकत्रित करने के लिए सुव्यवस्थित प्रणाली होनी चाहिये ताकि आवास वित्तीयन संबंधी नीतिगत निर्णय सूचनाओं और अनुसंधान के आधार पर ही लिए जाएँ।

- कतिपय ग्राहकों, खासकर सुदूर क्षेत्र के ग्राहकों को केवल आवास वित्त ही नहीं चाहिए होता है बल्कि उन्हें सहायक सेवाओं और ऋण–संबंधी आवश्यक परामर्श आदि की भी आवश्यकता होती है। अतएव आवास वित्त उपलब्ध करवाने वाली संस्थाओं को वित्तीय साक्षरता के प्रसारक की भी भूमिका निभानी चाहिए।

- अनुमोदन की प्रक्रियाओं और ई–गवर्नेस अर्थात् भू–धारिता के लिए इलैक्ट्रॉनिक अभिलेख मेंटेन करने के कामों में और तेज़ी लानी होगी। खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्र में गृह ऋण नहीं देने की मुख्य वजह वहां जमीन का स्वत्व स्पष्ट नहीं होना होता है, अतः इस दिशा में भूमि दस्तावेजों तथा रिकार्ड के डिजिटलाईजेशन पर विशेष ध्यान देना चाहिए।

और अंत में–

आवास वित्त क्षेत्र अत्यधिक दक्ष एवं जीवंत क्षेत्र के रूप में भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रगति में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हुए प्रगति के पथ पर निरंतर अग्रसर है। आवास वित्त क्षेत्र की महती भूमिका के परिणामस्वरूप ना केवल गतिशील जनसंख्या की बढती आकांक्षाओं की पूर्ति ही सुनिश्चित की जा सकेगी अपितु प्रत्येक देशवासी को गरिमामय आवास प्रदान करने का स्वप्न भी साकार किया जा सकेगा। आवास वित्त क्षेत्र के योगदान से भारतीय अर्थव्यवस्था का बदलता, निखरता स्वरूप जहां एक ओर देश की आर्थिक और सामाजिक उन्नति का संवाहक बनेगा वहीं सरकारी प्रोत्साहन, सूचना–प्रौद्योगिकी उन्नयन और बढ़ती मांग भारतीय आवासीय क्षेत्र को तेज़ी से बढ़ने का सामर्थ्य भी प्रदान करेगी।

"हिंदी द्वारा सारे भारत को एक सूत्र में पिरोया जा सकता है।"

– स्वामी दयानंद

शहरी आवासीय गतिविधियों के माध्यम से कार्बन मुक्त विश्व हेतु तरीके एवं रणनीतियाँ

– पम्मी कुमारी,
लिपिक, बैंक ऑफ इंडिया

साक्ष्यसिद्ध प्रलेखित इतिहास के लंबे कालखंड में हड़प्पाकालीन कस्बों से लेकर वर्तमान शहरों तक के नगरीय परिवर्तन की इस यात्रा में आवासीय गतिविधियां क्रमशः सकारात्मक विकास करती रही हैं। तीव्र औद्योगिकरण एवं तकनीकी अनुसंधानों ने मानवीय जनजीवन को अधिक स्थाई, सहज, सरल तथा सुविधापूर्ण बनाया है। गागर में सागर समेटे आधुनिक नगरीय व्यवस्थाएं हमें नैसर्गिक अनुभव तो दे रही हैं, किंतु विश्व इसकी एक बहुत बड़ी कीमत जलवायु परिवर्तन के रूप में चुका रहा है। प्रत्येक घर में खड़े वाहनों से लेकर प्रत्येक खिड़की से टंगे वातानुकूलन यंत्रों तक सभी इस में अपना योगदान दे रहे हैं। वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में शहरीकरण का यह मॉडल सतत विकास हेतु अनुकरणीय नहीं कहा जा सकता। सुविधाजनक संसाधनों के बढ़ने से प्रति व्यक्ति कार्बन फुटप्रिंट्स भी बढ़ रहे हैं। रोजगार के अवसर एवं बेहतर जीवन की तलाश में लोग शहरों की तरफ आते ही रहेंगे। अतः शहरों के विस्तार को नियंत्रित तो नहीं किया जा सकता, परंतु एक सजग एवं जिम्मेदार पीढ़ी के तौर पर हमें शहरी आवासीय गतिविधियों में आवश्यक परिवर्तन कर एक कार्बन मुक्त विश्व बनाने के लिए नवीन रणनीतियां तलाशनी होंगी। आखिर हम अपने विकास के लिए पृथ्वी एवं प्रकृति का नुकसान तो सहन नहीं कर सकते हैं। पृथ्वी को तो सदा ही माता का दर्जा दिया गया है – **"माता भूमिः पुत्रोऽहं पृथिव्याः"**।

मौजूदा समस्याएँ

मानवीय चेतना इच्छाओं को जन्म देती है और इच्छाएं आवश्यकताओं को। भारत में कृषि भूमि पर बढ़ रहे जनसंख्या दबाव एवं वैकल्पिक रोजगार अवसरों की आवश्यकता ने शहरों की ओर लोगों के पलायन को तेज किया है। इससे मौजूदा शहरों में उपलब्ध संसाधनों एवं सुविधाओं का आनुपातिक ह्रास हुआ है। उदाहरणस्वरूप आवास की समस्याएं, अपशिष्ट प्रबंधन, पेयजल की कमी एवं स्वच्छता में कमी आदि समस्याएं आम होती जा रही हैं। जिस अनुपात में शहरों पर जनसंख्या दबाव बढ़ा है, उस अनुपात में सड़क, सार्वजनिक परिवहन, हरित क्षेत्र, पार्किंग एवं यातायात प्रबंधन जैसी नागरिक सुविधाओं का विस्तार नहीं हो पाया है। इन सुविधाओं के अभाव में अनियोजित उपनगरीय क्षेत्र बनने लगे हैं, जिसमें कहीं गलियों से पृथक होते मकानों का झुंड मिलता है तो कहीं झुग्गियां। जलवायु परिवर्तन पर दुनियाभर के अग्रणी जलवायु वैज्ञानिकों ने अपनी आकलन रिपोर्टों में बार–बार यह बताया है कि किस प्रकार अधिकांश जलवायु समस्याओं का मूल शहरी क्षेत्रों में ही केंद्रित है। दुनियाभर के कुल कार्बन उत्सर्जन का 70 प्रतिशत से अधिक केवल शहरों से हो रहा है। इसी को देखते हुए यूएन–हैबिटेट के कार्यकारी निदेशक मैमुनाह मोहम्मद शरीफ ने कहा, **'जलवायु परिवर्तन, जो सतत विकास के लिए सबसे बड़ा खतरा है, के खिलाफ लड़ाई शहरों में ही जीती या हारी जाएगी।'**

समाधान एवं चुनौतियाँ

1. **स्थान का चुनाव एवं भवन डिजाइन :–** बढ़ती जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए ऐसे सस्टेनेबल शहरों के निर्माण की आवश्यकता है, जो भावी विस्तार और विकास के अनुरूप हों। शहरों में आवासीय बसाव का क्षेत्र निर्धारण करने मे सार्वजनिक परिवहनतंत्र से निकटता एवं पर्याप्त हरित परिवेश की उपलब्धता आदि को ध्यान में रखा जाना चाहिए। आवासीय क्षेत्रों से बस या रेल स्टेशन, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, पार्क, जिम और कैफेटेरिया आदि की निकटता कार और मोटरसाइकल जैसे व्यक्तिगत वाहनों के उपयोग को घटाती है। साथ ही, आवासों का डिज़ाइन बनाते समय ही ऊर्जा साधन, जल तथा अपशिष्ट प्रबंधन आदि के प्रति–यूनिट पर्यावरणीय प्रभाव का मूल्यांकन करना भी आवश्यक है।

2. **एच०वी०एसी० (हीटिंग, वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग) :–** आवासीय इमारतों, व्यवसायिक भवनों, होटलों या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स आदि में कुल कार्बन उत्सर्जन का 40 प्रतिशत केवल एच०वी०एसी० (हीटिंग, वेंटिलेशन और एयर–कंडीशनिंग) से ही होता है। अतः ऐसे सिस्टम का कुशल संचालन और समयबद्ध रखरखाव कार्बन फुटप्रिंट को कम करता है। इस प्रणाली को और भी बेहतर करने के लिए पूर्व–निर्धारित घंटों के दौरान शेड्यूलिंग हीटिंग और कूलिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जा

सकता है। अंदर की हवा को ताजा और गंध मुक्त रखने के लिए अधिकांश इमारतों में वेंटिलेशन सिस्टम हर समय चलता रहता है। ऊर्जा बर्बादी से बचने के लिए इसका नियमन भी आवश्यक है। इसके अलावा, सेंसर आधारित प्रणालियाँ इनडोर वायु गुणवत्ता को माप सकती हैं और यह निर्धारित कर सकती हैं कि कब कितने वेंटिलेशन की आवश्यकता है।

3. **ऊर्जा नियंत्रण तकनीकों का प्रयोग :–** किसी व्यवसायिक भवन में उपयोग की जाने वाली ऊर्जा का लगभग 35 से 40 प्रतिशत उपयोग प्रकाश संबंधी उपकरणों के लिए होता है। इस दृष्टिकोण से ओपन प्लान ऑफिस एक बेहतर विकल्प है। हल्के रंग का इंटीरियर फिनिश इमारत के भीतर दिन के उजाले को और अधिक वितरित करने में मदद करता है। गर्मियों के मौसम में ज्यादा सोलर गेन ओवरहीटिंग का कारण बनता है और कूलिंग की जरूरत को बढ़ाता है। इसके नियंत्रण के लिए सोलर कंट्रोल विंडो फिल्मों का उपयोग किया जा सकता है, जो ऊर्जा व्यय में कटौती करके कार्बन फुटप्रिंट्स को कम कर सकते हैं। इसके अलावा स्टील–फ्रेम वाली इमारतों में "थर्मल शॉर्ट्स कैविटी–इंसुलेटेड वॉल सिस्टम" (निरंतर इन्सुलेशन) ऊर्जा की बचत करने मे मदद करता है।

4. **पुनर्नवीनीकृत (रिसायकल्ड) निर्माण सामग्रियों का उपयोग :–** रिसाइकिल करने योग्य निर्माण सामग्री का चुनाव पर्यावरण के लिए हितकर होने के साथ हमारे खर्च को भी कम करता है। उदहरणस्वरूप, पुनर्चक्रण के माध्यम से स्टील का उत्पादन पारंपरिक इस्पात निर्माण की तुलना में काफी कम ऊर्जा का उपयोग करता है। पुनर्नवीनीकरण स्टील खनन के कचरे से लेकर वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण तक को कम करता है।

5. **जल प्रयोग संबंधी नीतियाँ :–** किसी भी इमारत के कार्बन फुटप्रिंट को बढ़ाने वाला एक प्रमुख कारक है – पानी की आपूर्ति, उपचार और उपयोग के लिए खर्च की गई ऊर्जा। जल संरक्षण और उसके पुनः उपयोग के लिए आवश्यक डिजाइनिंग आधुनिक भवन निर्माण का एक महत्वपूर्ण पहलू है। पानी का लीक होना एक बड़ी समस्या है, जिसे सामान्य उपकरणों के प्रयोग तथा सही रखरखाव द्वारा आसानी से कम किया जा सकता है। पारंपरिक शौचालयों के स्थान पर फ्लश वॉल्यूम जैसे उच्च दक्षता वाले शौचालयों का प्रयोग भी जल संरक्षण मे मदगार हो सकते हैं। आधुनिक इमारतों मे वर्षा जल के संचय के लिए आवश्यक सिस्टम डिजाइन किया जाना चाहिए। इस संचित जल का उपयोग शौचालयों में, बागवानी में और वाशिंग मशीन आदि के लिए किया जा सकता है।

6. **अपशिष्ट जल उपचार व प्रबंधन :–** अपशिष्ट जल उपचार व प्रबंधन संबंधी यूनिफ़ाइड गाइडलाइंस के अभाव मे यह गंदगियाँ शहरों मे प्रदूषण का प्रमुख कारक बन चुकी हैं। रिवर्स डम्पिंग और नदियों मे अनुपचरित अपशिष्ट प्रवाह वर्जित होने पर भी उद्योगों की मनमानी का चलन बढ़ता जा रहा है। अतः इस दिशा मे नीतिगत स्तर पर सरकारों द्वारा ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय मानकों का निर्धारण एवं उनका कड़ाई से अनुपालन करके ही हम एक स्वच्छ परिवेश अगली पीढ़ियों को दे सकेंगे।

7. **अक्षय ऊर्जा के उपयोग पर बल :–** बेहतर बिल्डिंग प्लान वही है जिसमें ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पवन–विद्युत, ताप–ऊर्जा, सौर–विद्युत, फोटोवोल्टाइक सिस्टम आदि को शामिल किया गया हो। सौर जल तापन सिस्टम को भी भवन की दीवारों या छत पर आसानी से स्थापित किया जा सकता है, जिससे पारंपरिक ऊर्जा की मांग कम होती है।

8. **मानदंडों का निर्धारण एवं रेटिंग प्रणाली का विकास :–** अबू धाबी में शहरी नियोजन और नगर पालिका विभाग द्वारा 2010 में "एस्टिडामा पर्ल कार्यक्रम" लॉन्च किया गया था। यह रेटिंग प्रणाली अलग–अलग कारकों पर आधारित होती है, जैसे पानी और ऊर्जा की खपत मे कमी, अपशिष्ट पुनर्चक्रण में सुधार और निर्माण के लिए स्थानीय पर्यावरण के अनुकूल सामग्री का उपयोग आदि। इसी प्रकार यू.ए.ई., सिंगापुर और चीन जैसे कई देशों ने नए शहरों को बसाने में ग्रीन बिल्डिंग मानदंड और विनियम निर्धारित किए हैं। इस प्रकार के नियमनों से शहरों को ज्यादा सस्टेनेबल और ईको–फ्रेंडली बनाया जा सकता है।

9. **विभिन्न अवार्ड्स द्वारा सम्मान :–** 1989 में शुरू किया गया "यूएन–हैबिटेट स्क्रॉल ऑफ ऑनर पुरस्कार" दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित मानव बसाव संबन्धित पुरस्कारों में से एक है। इसका उद्देश्य उन इनिसिएटिव को एक पहचान देना है, जिन्होंने मानव बसाव या शहरीकरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान दिया है। इसी प्रकार संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा "चैंपियंस ऑफ द अर्थ" तथा "यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ" जैसे अवार्ड्स प्रतिवर्ष

दिये जाते हैं। अवार्डों के माध्यम से न केवल वैज्ञानिक प्रयासों को पहचान मिलती है बल्कि नए शोधों एवं तकनीकों के बारे में जागरूकता भी फैलती है।

10. **डिस्ट्रिक्ट हीटिंग और कूलिंग सिस्टम :–** भौगोलिक परिवेशों के अनुसार घर में हीटिंग या कूलिंग की व्यवस्था आज प्रत्येक आवास की आधारभूत आवश्यकता बन चुकी है। यह सिस्टम ऊर्जा खपत करने के साथ–साथ लगातार ग्रीन हाउस गैसों का भी उत्सर्जन करते रहते हैं। अतः ऐसी स्थिति में डिस्ट्रिक्ट हिटिंग और कूलिंग सिस्टम की आवश्यकता सर्वाधिक है। इसके माध्यम से शहर के लिए एक केंद्रीकृत हिटिंग और कूलिंग सिस्टम की व्यवस्था करके इसे घर–घर तक डक्ट के माध्यम से पहुंचाया जाता है। यह पर्यावरण के दृष्टिकोण से काफी लाभदायक है।

राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) का योगदान

राष्ट्रीय आवास बैंक अपनी अनेकानेक प्रतिबद्धताओं में कम आय वाले परिवारों के लिए आवास उपलब्ध करवाने, हरित आवास को अधिक किफायती बनाने, हरित तकनीकों का उपयोग करके घरों को पर्यावरण के अनुकूल बनाने आदि को महत्व देता है। इस ओर एक और कदम बढ़ाते हुए राष्ट्रीय आवास बैंक ने ए.एफ.डी और यूरोपीय संघ के साथ साझेदारी करके अगस्त 2017 में 'सनरेफ ग्रीन हाउसिंग इंडिया कार्यक्रम' का शुभारंभ किया है। इस कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य हैं :–

- आवास निर्माण क्षेत्र के पर्यावरण पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभावों को कम करना।
- कुशल निर्माण सामग्री के साथ हरित आवासीय घर के विकास को बढ़ावा देकर ऊर्जा और पानी के बिलों में बचत बढ़ाना।
- भारत में हरित और किफायती आवास परियोजनाओं का विस्तार करना।
- निम्न और मध्यम आयवर्ग के लोगों को किफायती हरित–आवास प्रदान करना।

आधुनिक आवासीय आवश्यकताओं के साथ पर्यावरणीय सामंजस्य बिठाने की दिशा में राष्ट्रीय आवास बैंक के योगदान सराहनीय हैं। सभी संस्थाओं के ऐसे सामूहिक प्रयासों से ही कार्बन मुक्त विश्व बनाने का सपना साकार होगा।

यूएन–हैबिटेट एवं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का योगदान

संयुक्त राष्ट्र की पर्यावरण संबंधी गतिविधियों का नियंत्रण 'संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम' करता है। 'यूएन–हैबिटेट' जलवायु परिवर्तन को रोकने और इसके प्रत्याशित प्रभावों को समायोजित करने हेतु शहरी क्षेत्रों में आवश्यक कार्यवाहियों के लिए अभियान चला रहा है। यूएन–हैबिटेट के #ClimateAction4Cities अभियान का उद्देश्य शहर के विभिन्न समुदायों, निजी क्षेत्रों, शहरी पेशेवरों और आम जनता को जलवायु परिवर्तन जैसी भयावह वैश्विक समस्या के निदान के लिए प्रेरित करना है। वस्तुतः यह अभियान इस नवंबर में स्कॉटलैंड के ग्लासगो में होने वाले जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (COP26) का हिस्सा है। 2021 में संयुक्त राष्ट्र के मुख्य लक्ष्यों में से एक है – 2050 तक कार्बन तटस्थता के लिए वैश्विक गठबंधन बनाना। इसी संदर्भ मे यह अभियान हरित क्षेत्र बढ़ाने, कार्बन उत्सर्जन कम करने और प्रकृति–आधारित समाधानों पर केंद्रित है। यह अभियान सीधे तौर पर ग्लोबल अम्ब्रेला कैंपेन "रेस टू जीरो" और "रेस टू रेजिलिएंस" का समर्थन करता है। अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी व इस प्रकार के वृहत प्रयासों द्वारा कार्बन मुक्त विश्व बनाने हेतु उपयुक्त, आदर्श एवं प्रभावी रणनीतियाँ तैयार की जा सकती है।

निष्कर्ष

प्रकृति के विभिन्न अवयवों जैसे जल, वृक्ष आदि के महात्म्य को तो हम पारंपरिक रूप से ही स्वीकारते आए हैं। कहा भी गया है – **"दशकूप समावापी, दशवापी समोह्रदः। दशह्रद समः पुत्रो, दशपुत्रो समो द्रमुः।।"** अर्थात दस कुओं के बराबर एक बावड़ी होती है, दस बावड़ियों के बराबर एक तालाब, दस तालाबों के बराबर एक पुत्र और दस पुत्रों के बराबर एक वृक्ष होता है। प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाकर ही मानवजीवन का सतत प्रवाह संभव है। अतः नई समस्याओं के लिए नए समाधानों को खोजना होगा और नई चुनौतियों के लिए नई रणनीतियां बनानी होंगी। ऊपर विस्तार से वर्णित है कि किस प्रकार मानदंडों का विकास, इनोवेटिव डिजाइन, ऊर्जा संरक्षण, अपशिष्ट प्रबंधन एवं पुनर्नवीनीकृत (रिसायकल्ड) सामग्रियों का उपयोग आदि एक सस्टेनेबल शहरी आवासीय परिवेश विकसित करने में मददगार हो सकते हैं। सबों को गुणवत्तापूर्ण सार्वजनिक आवास प्रदान करना आज सरकार के मुख्य लक्ष्यों में से एक है। ध्यान देने की बात केवल इतनी है कि जीवन स्तर के उत्थान की इस प्रक्रिया में पर्यावरणीय दृष्टिकोण से एक सस्टेनेबल मॉडल का अनुसरण किया जाए। अतः आवासीय क्षेत्र का विकास आधुनिक शहरी डिजाइन, वातावरण, स्थानीय आवश्यकताओं और पारंपरिक सामाजिक पहलुओं के आधार पर किया जाना चाहिए।

शहरी आवासीय गतिविधियों के माध्यम से कार्बनमुक्त विश्व हेतु तरीके एवं रणनीतियाँ

– अजीत कुमार,
उप प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक

हजारों साल पुरानी मानव सभ्यता को समझने के लिए वैश्विक भूगोल और इतिहास को केंद्रीय आधार माना जाता है। समय और स्थान के चक्र में विज्ञान के तमाम आविष्कारों और अनुसंधानों को रखा जा सकता है जिसका लक्ष्य मानव जीवन को सरल और संतुष्ट करने से संबंधित है। यह भी सत्य है कि मानव जाति की विकासशील सभ्यता का यह कोई अंतिम पड़ाव नहीं है परंतु जिस गति से मानवीय समाज परिवर्तित हो रहा है उसे देखते हुए भविष्य की संभावनाओं और समस्याओं का अंदाजा तो लगाया ही जा सकता है। लगभग 7 अरब की जनसंख्या की जरूरतों को पूरा करने का लिए धरती के संसाधनों का न्याय संगत एवं प्रमाणिक वितरण जरूरी है। नगरीकरण की प्रक्रिया तेज हुई है और हम जानते हैं कि जैसे–जैसे शहर की आबादी बढ़ती है वैसे–वैसे शहरी व्यवस्था में कई तरह के जोखिम भी बढ़ने लगते हैं।

एक तरफ शहरी मानवीय समाज आर्थिक रूप से संघर्ष करता है तो दूसरी ओर जलवायु परिवर्तन के नुकसान से भी प्रभावित हो रहा है। ऐसे में आज से 50 वर्ष बाद के वैश्विक समाज की कल्पना कर के देखें कि ग्रामीण और शहरी समाज के बीच का अंतर मिट चुका होगा। आने वाले दशकों में संपूर्ण विश्व के विकसित समाज के लोग लगभग एक समान समस्याओं से जूझते हुए जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने के लिए सामूहिक सहयोग और निवेश के रास्ते पर चल रहे होंगे। क्या इस बात से इंकार किया जा सकता है कि शहरीकरण 21वीं सदी की सर्वाधिक परिवर्तनकारी प्रवृत्तियों में से एक है। अनुमान है कि 2050 तक सभी शहरों में पृथ्वी के केवल 3% भूमि के उपयोग करके वैश्विक आबादी के 70% भाग को आवास उपलब्ध कराने और कार्बन उत्सर्जन को सीमित करने के दोहरे लक्ष्य को कैसे हासिल किया जाए यह वैश्विक चिंता का विषय है।

नये शहरों के बनने की प्रक्रिया और पुराने शहरों में ग्रामीण आबादी के पालायन से व्यापक परिवर्तन हुए हैं। इन परिवर्तनों से पारिस्थितिक तंत्र, बुनियादी ढांचे और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर दबाव पड़ा है। वैश्विक स्तर पर वर्तमान में झुग्गी–बस्तियों में रहने वाले 800 मिलियन से अधिक लोग हैं। इनमें से बहुसंख्यक को स्वच्छ पानी और बुनियादी सेवाएं भी उपलब्ध नहीं हैं। अनियोजित शहरी विस्तार से बहुत सी समस्याओं का जन्म हुआ है। प्रदूषण की बढ़ती समस्या, जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव हमारी जीवन शैली के भीतर उतर गये हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ (यूएन) का अनुमान है कि दुनिया भर के शहरों में चार अरब से अधिक लोग ऐसी हवा में सांस ले रहे हैं जो विश्व स्वास्थ्य संगठन के वायु गुणवत्ता दिशानिर्देशों को पूरा नहीं करती है।

विश्व अनुसंधान संस्थान के शोध से पता चलता है कि 2030 तक समावेशी जलवायु रणनीतियों के बिना जलवायु परिवर्तन 100 मिलियन लोगों को पहले से अधिक गरीबी में डाल सकता है। जलवायु में निवेश शहरों को सभी समुदायों को ध्यान में रखते हुए बनाया जाना चाहिए। सिटी रेजिलिएशन फ्रेमवर्क के अनुसार "शहरों की कार्य करने की क्षमता ऐसी होनी चाहिए कि सभी निवासी, विशेष रूप से गरीब और कमजोर जीवित रह सकें और जलवायु परिवर्तन के नकारात्मक प्रभाव को कार्बन मुक्त शहर बनाकर सामूहिक लड़ाई लड़ी जा सके।

वैश्विक स्तर पर 2030 तक शहरी बुनियादी ढांचे में खरबों डॉलर का निवेश किया जाएगा। इसी के समानांतर अगर कार्बन मुक्त शहरों की बुनियाद डाली जाए तो भविष्य के शहरों में जीवन सरल और सकूनदायक हो सकता है। लेकिन कार्बन मुक्त शहरों के लिए व्यापक दृष्टिकोण अपनाना होगा। इलेक्ट्रिक वाहन, हरित आवास, आदि अवधारणाओं पर अभी से कार्य करना होगा। चूंकि जलवायु परिवर्तन कम आय वाले समुदायों को अधिक प्रभावित करता है इसलिए हमारे दृष्टिकोण में समानता और समावेश को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

दुनियाभर के कुछ शहर पहले से ही जलवायु परिवर्तन के बढ़ते खतरे के प्रति समावेशी विकास को बढ़ावा देने और लचीलापन बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठा रहे हैं। इस तरह के समावेशी कदमों के कुछ उदाहरण हैं जो कम आय वाले हाशिए के समुदायों को सशक्त बनाने के साथ–साथ पर्यावरणीय खतरों को दूर करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

अर्जेंटिना के रोसारियो शहर ने एक अनूठे कदम से एक साथ कई समस्याओं का हल निकाल लिया है। शहर की ऐसी निजी और सार्वजनिक भूमि जो उपयोग में नहीं लाई जा रही है कम आय वाले

निवासियों को देकर उस पर फल और अनाज उगाए जाते हैं। मूल रूप से 2001 के आर्थिक पतन के बाद रोसारियो भोजन की कमी का शिकार था। इस समस्या के समाधन के लिए अधिकांश भोजन 400 कि.मी से अधिक दूर से आयात किया जाता था। इस दृष्टिकोण और कदम से यह शहर अब प्रत्येक वर्ष लगभग 2500 टन फल और सब्जियों का उत्पादन करता है। इस तरह के उत्पादन से शहर की आत्मनिर्भरता बढ़ती गयी। साथ–साथ भोजन के आयात से जुड़ी ग्रीनहाउस गैसों को काफी कम किया जा सका। शहरी खेती ने पूरे रोसारियो में उत्पादन और बिक्री दोनों में, विशेष रूप से कम आय वाली महिलाओं के लिए रोजगार पैदा किया है जो अब शहरी किसानों का 65% हिस्सा हैं। कृषि–पारिस्थितिक दृष्टिकोण से देखें तो रसायनों के बिना खेती, तथा भारी बारिश और बाढ़ के नुकसान को सीमित करने में मदद मिली। 2002 से आरंभ इस योजना से यह शहर की जलवायु कार्रवाई योजना की आधारशिला बन कर उभरा जो समावेशी जलवायु की परिकल्पना को हकीकत में बदलते हैं। भारत में भी इस तरह के कार्यक्रम चलाने में कोई समस्या नहीं है।

इसी तरह बांग्लादेश की राजधानी ढाका में तेजी से जनसंख्या वृद्धि हुई है। जिसकी वजह से अधिकांश बुनियादी ढांचे विशेष रूप से अपशिष्ट (कचरा) प्रबंधन की समस्या बढ़ी है। बांग्लादेश के शहर प्रतिदिन 30,000 टन कचरा उत्पन्न करते हैं, जिन्हें जमीन में दबा दिया जाता है। यह कार्य पर्यावरण के स्वास्थ्य के लिए बेहद जोखिमपूर्ण है। जिसकी वजह से CO_2 और मीथेन जैसी हानिकारक गैसें बनती हैं। इस समस्या के निवारण हेतु वेस्ट कंसर्न नामक एक स्थानीय गैर–सरकारी संगठन ने ढाका में कचरा प्रबंधन का जोरदार उपाय ढूंढ निकाला। इसके संस्थापक ने कचरे को एक संसाधन के रूप में देखते हुए अपशिष्ट प्रबंधन को ऐसी चीज में बदलने लगे जो पर्यावरण और शहरी गरीबों के जीवन दोनों को लाभ पहुंचा सके। यह समझ लेने के बाद की जमीन में दबाया जाने वाला 80% कचरा जैविक था। उन्होंने एक ऐसी प्रणाली तैयार की जिसमें निवासियों द्वारा अलग किए जाने के बाद कचरे को घरों से एकत्रित किया जाता था। शहरभर के विकेन्द्रीकृत केंद्रों पर खाद में संसाधित किया जाने लगा और फिर किसानों को उपयोग के लिए बेचा जाने लगा। अभी तक इस मॉडल ने 19,000 टन प्रतिवर्ष CO_2 उत्सर्जन को कम किया है और कम आय वाले निवासियों के लिए 1000 से अधिक नौकरियां पैदा की हैं।

पिछले कुछ वर्षों में गर्मी का मौसम आते ही रिकॉर्ड तोड़ तापमान और अत्यधिक गर्मी, बारिश के मौसम में भारी वर्षा और बाढ़ की गंभीर और विषम घटनाओं के परिणामस्वरूप हजारों लोगों के मारे जाने की खबरें आती हैं। यह सब कार्बन उत्सर्जन के फलस्वरूप जलवायु परिवर्तन के प्रभाव हैं। हमें कार्बन–मुक्त शहरी आवास के विभिन्न तरीके और सामुदायिक सहयोग की अवधारणा पर मिल कर कार्य करना होगा।

हम जानते हैं कि कार्बन का उत्सर्जन कई स्रोतों से होता है। इनमें मुख्य रूप से बिजली उत्पादन, औद्योगिक, आवासीय और परिवहन क्षेत्रों में जीवाश्म ईंधन प्रमुख हैं। बिजली उत्पादन और औद्योगिक क्षेत्रों में सर्वाधिक कार्बन उत्सर्जन होता है। बिजली और उद्योग क्षेत्र संयुक्त रूप से वर्तमान वैश्विक CO_2 उत्सर्जन करते हैं, जो कुल CO_2 उत्सर्जन का लगभग 60% है। भविष्य के अनुमानों से संकेत मिलता है कि इन क्षेत्रीय उत्सर्जन का हिस्सा 2050 (आईईए, 2002) तक वैश्विक CO_2 उत्सर्जन के लगभग 50% तक कम हो जाएगा।

अर्थव्यवस्था के दूसरे अन्य क्षेत्र, जैसे आवासीय और परिवहन क्षेत्र, वैश्विक CO_2 उत्सर्जन में लगभग 30% योगदान करते हैं। तीसरे प्रकार का स्रोत प्राकृतिक–गैस प्रसंस्करण प्रतिष्ठानों में होता है। CO_2 प्राकृतिक गैस में एक सामान्य अशुद्धता है, और इसे गैस के ताप मूल्य में सुधार करने या पाइपलाइन विनिर्देशों को पूरा करने के लिए हटाया जाना चाहिए। (मैडॉक्स और मॉर्गन, 1998)

ये तथ्य और अनुमान भविष्य में शहरी आवास गतिविधियों से कार्बनमुक्त विश्व की रणनीति एवं समाधान की ओर संकेत कर रहे हैं।

भारतीय शहरों में जनसंख्या का बढ़ता दबाव, औद्योगिकी एवं घरेलू कार्बन–उत्सर्जन को निरंतर बढ़ा रहा है।

क्र. सं.	कार्बन उत्सर्जन की मात्रा	वर्ष
1.	0.25 टन	1960
2.	0.42 टन	1980
3.	0.93 टन	2000
4.	1.32 टन	2010
5.	1.84 टन	2019

इन आंकड़ों के आधार पर कहा जा सकता है कि सन 2000 के बाद कार्बन उत्सर्जन की मात्रा तेजी से बढ़ी है। अतः विकसित राष्ट्रों ने जलवायु परिवर्तन को गंभीरता से लेते हुए प्रत्येक क्षेत्र में कार्बन उत्सर्जन को सीमित अथवा शून्य पर ले जाने की रणनीतियाँ बनानी शुरू कर दी हैं। चीन, यूरोपीय संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका ने कार्बन–न्यूट्रेलिटी के लक्ष्य को क्रमशः 2060 और 2050 तक प्राप्त करने के लिए आगे बढ़े

रहे हैं। शहरी आवास में स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग पर बल देने के लिए नई नीतियों को लागू करना होगा।

इसमें कोई संदेह नहीं है कि शहर विशाल ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जक हैं। इसलिए यह जरूरी है कि कार्बन तटस्थता तक पहुँचने के लिए नई स्थायी नीतियों की योजना बनाते समय, सरकारों को अपने शहरों को और अधिक टिकाऊ बनाने का तरीका निकालना चाहिए।

आगे बढ़ने से पहले हम यह समझ लें कि कार्बनमुक्त विश्व की अवधारणा क्या है। इस क्षेत्र के विद्वानों का मानना है कि 100 प्रतिशत अक्षय/नवीकरणाय ऊर्जा के उपयोग का अर्थ शून्य कार्बन उत्सर्जन नहीं होता। ऐसे में कार्बन मुक्त विश्व की अवधारणा कठिन लगने लगती है। आवास की बढ़ती जरूरतों को ध्यान में रखते हुए हम अक्षय ऊर्जा के उपयोग से ही पर्यावरण संरक्षण और शून्य कार्बन अथवा कार्बन मुक्त विश्व के सपने को साकार कर सकते हैं। जरूरत है तो केवल व्यवहारिक रणनीति और वैश्विक नवोन्मेषी कार्यक्रमों को अपनाने की।

मोटे तौर पर सन 2000 के बाद से अक्षय ऊर्जा पारंपरिक बायोमास ऊर्जा स्रोतों के लोकप्रिय विकल्प के रूप में उभरने लगी है। 1960 के दशक से विश्व स्तर पर अक्षय ऊर्जा के उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि हुई है।

आंकड़ों और तथ्यों से समझने के क्रम में हम देखते हैं कि 1960 के बाद से अक्षय ऊर्जा का वैश्विक उत्पादन पांच से छह गुना वृद्धि करते हुए 2016 में लगभग 5.9 टीडब्लूएच तक पहुँच गया है। इनमें भी 70 प्रतिशत की हिस्सेदारी पनबिजली परियोजनाओं से मिली है। शहरी आवास को सुलभ बिजली का उत्पादन पनबिजली परियोजाओं से हो यह सुनिश्चित किया जाना जरूरी है। इसके साथ सौर ऊर्जा एवं पवन ऊर्जा के महत्व को समझना चाहिए। नवीकरणीय ऊर्जा की अधिक आपूर्ति की अवधि के दौरान ग्रीनहाउस गैस की कटौती को बनाए रखने के लिए, ऊर्जा नीतियों की समीक्षा की जानी चाहिए।

हाल के वर्षों में अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। 2004 से 2016 तक अक्षय प्रौद्योगिकियों में वैश्विक निवेश में लगभग 500% की वृद्धि हुई है। अक्षय ऊर्जा प्रौद्योगिकी नवाचार के विकास के लिए स्थिति अनुकूल दिख रही है। विगत कुछ वर्षो से सौर और पवन ऊर्जा के क्षेत्र में वृद्धि हुई है। इनरडाटा इंटेलिजेंस और कंसल्टिंग कंपनी के हवाले से यह तथ्य सामने आया है कि 2018 तक वैश्विक ऊर्जा उत्पादन में 26 प्रतिशत की हिस्सेदारी दर्ज की है। जबकि अमेरिका के एनर्जी इन्फोर्मेशन एवं एड्मिनिस्ट्रेशन (EIA) का अनुमान है कि 2040 तक इस क्षेत्र में 31 प्रतिशत तक पहुँच जाएगा।

नगरीकरण और शहर पर बढ़ते आवास के दबाव को देखते हुए ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों के उपयोग पर बल देना जरूरी है। इस क्षेत्र में इलैक्ट्रिकल गाड़ियों के अधिकतम उपयोग, हरित आवास को बढ़ाने और प्रदूषण फैलाने वाले सभी उपकरणों के वैकल्पिक उपयोग की समीक्षा निरंतर की जानी चाहिए। संवहनीय विकास की अवधारणा को जन–जन तक पहुँचाना जरूरी है।

भारतीय शहरों का भविष्य भी अक्षय ऊर्जा के प्रकाश में दिखाई दे रहा है। कार्बनमुक्त शहरों की दृष्टि हरित आवास और अक्षय ऊर्जा पर आधारित परियोजनों के गर्भ में है। जो शहर अपने आसमान को कार्बनमुक्त रखेंगे वही शहर अपने नागरिकों को आसमान में टिमटिमाते तारों से संवाद करने का अवसर देंगे।

"हिंदी भाषा एक ऐसी सार्वजनिक भाषा है, जिसे बिना भेद–भाव प्रत्येक भारतीय ग्रहण कर सकता है।"

– पंडित मदनमोहन मालवीय

देश में बढ़ता शहरीकरण - वरदान या अभिशाप

– सिमरनजीत कौर,
कार्यालय परिचारक, भारतीय रिजर्व बैंक

'शहर तो सबका है, ये किस किस की ख्वाहिशें पूरी करे पर हमारी इन उम्मीदों ने ही अपनी पसर नहीं छोड़ी"

प्रस्तावना

शहरीकरण को हम ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में जनसंख्या के पलायन के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। इससे तात्पर्य है कि जब रोजगार, अच्छी जिंदगी की तलाश में ग्रामीण आबादी के एक बड़े हिस्से का शहर में विस्थापन हो जाता है तो शहर के दायरे में विस्तार होता है जिसे हम शहरीकरण कहते हैं। इसे मूल रूप से शहर में रहने वाले लोगों के अनुपात एवं संख्या में क्रमिक वृद्धि भी कहा जा सकता है। यह स्वयं के विकास करने का एक मानक माना जाता है। जब भारी संख्या में लोग गांवों से शहरों की तरफ जाते हैं तो शहर के भौगोलिक क्षेत्र में विस्तार होता है। लोग ज्यादातर काम के अवसरों और बेहतर जीवन स्तर के कारण शहरीकरण में इजाफा करते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार वर्ष 2050 तक विकासशील दुनिया का लगभग 64% और विकसित दुनिया का 86 प्रतिशत हिस्सा शहरी क्षेत्र में बसा होगा।

भारत में, शहरीकरण की ओर बढ़ते रूझान को इस वर्तमान शताब्दी की शुरूआत से ही देखा गया है। ग्रामीण–शहरी संरचना पर जनगणना के आंकड़ों से भारत में शहरीकरण दर में लगातार वृद्धि हो रही है और विशेष रूप में 21वीं सदी के उत्तरार्द्ध के दौरान जिसे नीचे दी गई तालिका के माध्यम से देखा जा सकता है:

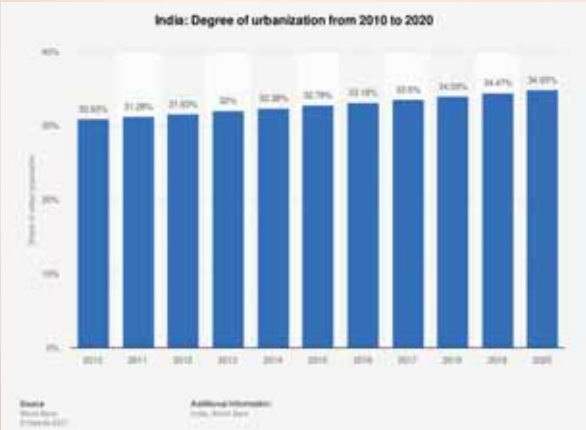

शहरीकरण क्यों

शहरीकरण का सबसे महत्वपूर्ण कारण ग्रामीण लोगों की बढ़ती आर्थिक आवश्यकताएं हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी व्यापक रूप में व्याप्त है। ग्रामीण आबादी का एक बड़ा हिस्सा अभी भी गरीबी रेखा के नीचे रहता है जिसके लिए जीवनयापन करना अस्तित्व का सवाल बना हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली आबादी पूरी तरह से कृषि पर आश्रित है और किसी की आय केवल उनके भरण पोषण को ही पूरी कर पाती है। युवा आबादी की बढ़ती अपेक्षाओं को गांव पूरा करने में असमर्थ है क्योंकि गांव में रोजगार के अवसर बहुत ही सीमित हैं, नतीजन ग्रामीण नवयुवक को शहरों की ओर पलायन करना ही पड़ता है।

2. शिक्षा

ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छी शिक्षा की सुविधा का अभाव बढ़ते शहरीकरण का एक प्रमुख कारक है। हमारे सभी उच्च शिक्षण संस्थान और विश्वविद्यालय शहरी क्षेत्रों में ही स्थित हैं और यदि किसी को अच्छी शिक्षा प्राप्त करनी है तो उसे शहर की ओर रूख करना ही पड़ता है। ग्रामीण और निम्न मध्यवर्गीय परिवारों के लिए शिक्षा गरीबी के चक्रव्यूह से निकलने का एकमात्र मार्ग नज़र आता है इसलिए युवा आबादी शहर में जाकर शिक्षा प्राप्त करना चाहती है। शहरों में मौजूद अवसंरचना और संस्थान तथा अन्य सुविधाएँ उन्हें आकर्षित करते हैं तथा फिर वह युवा शिक्षित होने के बाद रोजगार प्राप्त करता है और शहर में बस जाता है जिससे शहर का विस्तार होता है।

3. सामाजिक कारण

सामाजिक कारण शहरीकरण के उल्लेखनीय कारणों में एक है। गांव के शिक्षित युवाओं को गांव के रूढ़िवादी समाज में घूटन महसूस होती है और बेहतर जीवन शैली की तलाश में शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन करते हैं जहां उन्हें स्वछंद और अच्छी गुणवत्ता वाला जीवन सहज रूप में सुलभ होता है। शहर उनके सपनों का स्थान होता है जहां वो बिना किसी रोक–टोक के स्वेच्छा से जीवन जी सकते हैं। गांव को पिछड़ेपन का मानक माना जाता है।

4. बेरोजगारी

ग्रामीण क्षेत्र में बढ़ती बेरोजगारी भी शहरीकरण के फैलाव को आवश्यक ईंधन प्रदान करने का काम करती है। उदाहरण के लिए 25 जुलाई

2021 को समाप्त हुए सप्ताह के आंकड़ों के अनुसार ग्रामीण बेरोजगारी की दर 5.1% से बढ़कर 6.75% हो गई है (आंकड़े सीएमआईई की रिपोर्ट)। ग्राणीण क्षेत्र में प्रच्छन्न बेरोजगारी का औसत 25 से 30 प्रतिशत है जिसका अर्थ यह हुआ कि हर चौथा व्यक्ति बेरोजगार ना होकर भी कुछ नहीं कमा पाता है। इसी कारण गांव का युवा सोचता है कि यहां रहकर भूखा मरने से अच्छा है, शहर में जाकर मजदूरी की जाए जिससे कम से कम वह अपने परिवार का भरण–पोषण तो कर सकता है। इसी से प्रेरित होकर वह शहर की ओर रूख करता है।

5. आधारभूत संरचना का अभाव

ग्रामीण भारत में आज भी पक्की सड़क, सभी घरों में बिजली और बेसिक स्वास्थ्य सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं है। एक सर्वे के अनुसार आज भी भारत के लगभग 2.5 करोड़ घरों में बिजली की सुविधा उपलब्ध नहीं है। कई गांवों तक अभी भी सड़क नही पहुंची है। स्वास्थ्य सेवाओं का भी नितांत अभाव है। मूलभूत अवसंरचना के अभाव में हर जरूरी वस्तु के लिए गांव के लोगों को शहर जाना पड़ता है। ऐसी स्थिति में उसे महसूस होता है कि जब हर जरूरी वस्तु के लिए शहर ही जाना है तो क्यों ना मैं शहर में ही बस जाऊं। इसके अतिरिक्त, खराब संचार व्यवस्था, चिकित्सालयों की खस्ता हालत और छोटे कस्बों और गांवों का असमान विकास उन्हें शहर जाने के लिए विवश कर देता है।

शहरीकरण के लाभ

बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता

शहरी क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में संसाधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। शहरी क्षेत्र में पीने का स्वच्छ पानी, 24 घंटें बिजली, यातायात के साधन, मॉल तथा बाजार जैसी और अन्य सुविधाएं सहज रूप में उपलब्ध हैं।

शिक्षा

शहरी क्षेत्रों में लोगों को अनेक सुविधाएं मिलती है। सबसे उल्लेखनीय यह है कि शहरों में उच्च शिक्षा के विभिन्न विकल्प मौजूद होते हैं। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए कोचिंग सेंटरों ने भी शहरीकरण को बढ़ाने में योगदान दिया है। शहर में विभिन्न प्रकार के कोर्स करने का विकल्प मौजूद होता है। शहरी युवा के लिए बैंकिंग, इमीग्रेशन, तकनीकी, फैशन डिजाइनिंग, कॉल सेंटर सहित अंसख्य पाठ्यक्रमों का विकल्प होता है।

महत्वपूर्ण सेवाएं

सभी सरकारी सेवाओं के कार्यालय और सेंटर शहर में स्थित होते हैं इसलिए इन सेवाओं तक काफी आसान पहुंच होती है जबकि ग्रामीण युवा को अपने जन्म–प्रमाण पत्र तक बनवाने के लिए शहर के चक्कर लगाने पड़ते हैं। सबसे उल्लेखनीय सेवाओं में स्वास्थ्य सेवा को कैसे भूला जा सकता है। कोविड–19 महामारी ने स्वास्थ्य सेवाओं की अनुपलब्धता के बारे में ग्रामीणों को और अधिक चिंतित कर दिया है। इसके लिए लोगों को लगता है कि शहर में रहेंगे तो जरूरत पड़ने पर चिकित्सा सुविधा आसानी से उपलब्ध होगी। इसके अतिरिक्त, मनोरंजन की सुविधा भी शहर में आसानी से मिल जाती है।

रोजगार

शहरी क्षेत्रों के औद्योगिकरण और व्यवसायीकरण ने शहरों में रोजगार के अच्छे अवसर उपलब्ध करवाए हैं जिससे लोग अपने जीवन यापन के लिए शहर में रहना पसंद करते हैं। शहर में अनुषंगी सेवाओं और आबादी को विभिन्न प्रकार की सेवा प्रदान करने के लिए अकुशल ग्रामीण आबादी ही मिलती है।

शहरीकरण और अर्थव्यवस्था

शहरी आबादी आर्थिक समृद्धि को बढ़ाने में सहायक है जैसा कि विश्व बैंक ने भी कहा है कि 'वैश्विक स्तर पर सकल घरेलू उत्पाद का 80 प्रतिशत शहरों से आता है' इसका मुख्य कारण यह है कि शहर में भिन्न–भिन्न प्रकार के रोजगार के अवसर और औद्योगिकरण से होने वाली आय के अवसर से आर्थिक उन्नति हो रही है। भारत के संदर्भ में कहा जाए तो केवल मुंबई का भारत के कर संग्रहण में 44% योगदान है। भारत में शहरी विस्तार देश की कुल आबादी का 55.3% है परंतु आधिकारिक जनगणना के आँकड़े इसका विस्तार केवल 31.2% ही बताते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत में 53 ऐसे शहर हैं जिनकी आबादी 10 लाख से अधिक है। इसके अलावा, देश की राजधानी दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बंगलूरू और हैदराबाद जैसे महानगर हैं जिनकी आबादी लगातार बढ़ रही है।

शहरीकरण की हानियां

शहरों के बढ़ते भौगोलिक विस्तार के कारण कृषि योग्य भूमि में लगातार गिरावट आ रही है। युनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2000 से 2020 के दौरान 1.6 मिलियन हेक्टेयर भूमि शहरीकरण की वजह से समाप्त हो गई।

शहरों मे बढ़ती भीड़

हालांकि अर्थव्यवस्था का विकास शहरीकरण से अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है लेकिन इससे कुछ गंभीर समस्याएं भी उत्पन्न हुई है। शहरों की अवसंरचना पर बढ़ती आबादी का अत्यधिक दबाव है क्योंकि शहरों में प्रतिदिन भीड़ बढ़ती जा रही है। शहरी क्षेत्रों में बढ़ती भीड़ बढ़ते शहरीकरण के लिए काफी हद तक ज़िम्मेवार है जिसके फलस्वरूप आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति शहरों में स्थित घरों के बढ़ते किराये वहन नहीं कर पाते हैं और वे झुग्गी झोपड़ियों, स्लम, अविकसित और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक जगहों पर रहने के लिए विवश हो जाते हैं। उदाहरण के लिए एशिया की सबसे बड़े स्लम क्षेत्र को हम देख सकते हैं जहां लोगों के पास कोई बुनियादी सुविधाएं नहीं हैं जिसके फलस्वरूप वहाँ कई गंभीर संक्रामक रोगों के फैलने की संभावना बनी रहती है।

ग्रामीण आर्थिक लाभ में गिरावट

बढ़ते शहरीकरण के कारण श्रमिक मजदूर शहरों की तरफ रुख कर रहे हैं जिसके कारण कृषि और अन्य कृषि सम्बद्ध गतिविधियां प्रभावित हो रही हैं क्योंकि मजदूरों और श्रमिकों की भारी कमी हो जाती है और इसके परिणामवश श्रम खर्च बढ़ता जा रहा है और अंतिम लाभ में गिरावट देखने को मिलती है।

पर्यावरण के लिए हानिकारक

यह सर्वविदित है कि बढ़ता शहरीकरण पर्यावरण के लिए बहुत हानिकारक है। जैसे –जैसे शहरों की संख्या, स्थानिक विस्तार और घनत्व में वृद्धि होती है, साथ–साथ पर्यावरण और पारिस्थितिक पदचिन्ह बढ़ने लगते हैं। वनों, आद्रभूमियों और कृषि प्रणालियों में होने वाले शहरी विस्तार से पर्यावास समाशोधन होता है। शहरी जीवन शैली में अनेक प्राकृतिक संसाधनों की आवश्यकता होती है तथा इसमें बढ़ती मात्रा में अपशिष्ट उत्पन्न करने से वायु,जल और मृदा प्रदूषण का स्तर बढ़ जाता है। बढ़ते शहरीकरण के कारण शहरों में लंबे ट्रैफिक जाम, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण जैसी समस्याएँ पैदा होती हैं, जिसका प्रत्यक्ष रूप से मनुष्यों एवं अन्य प्राणियों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। मनुष्यों में श्वसन, श्रवण, त्वचा संबंधी समस्याएँ तो पैदा होती ही हैं कई बार कैंसर जैसे भयावह रोग उत्पन्न होने लगते हैं। दूसरी ओर प्रकृति में कार्बन डायआक्साइड व अन्य हानिकारक तत्व मिलकर वातावरण प्रदूषित कर देते हैं जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है ओज़ोन लेयर में छेद होना। इसके अलावा बढ़ते शहरीकरण ने या तो नदियों को प्रदूषित कर दिया या उन्हें पूर्ण रूप से विलुप्त कर दिया। भारत में इसके कई उदाहरण हैं जैसे कि यमुना नदी का धीरे–धीरे विलुप्त होना तथा गंगा नदी का प्रदूषित होना।

संस्कृति का लुप्त होना

बढ़ते शहरीकरण की वजह से इस देश की अनूठी व प्राचीन संस्कृति का धीरे –धीरे ह्रास होता जा रहा है क्योंकि शहर पश्चिमी देशों की संस्कृति और पहनावे का अनुसरण करते हैं जिसके कारण भारत की अमूल्य संस्कृति, लोक गीत, नृत्य, बोलियाँ आदि विलुप्त होने की ओर बढ़ रहे हैं। पुरानी कहावत है "जैसा देश वैसा भेष" शहरों में चरितार्थ होती दिख रही है, लोगों के रहन–सहन तथा खाने–पीने का ढंग बदल रहा है। भारत में जंक फूड की बढ़ती लोकप्रियता और उपभोग के चलते मोटापे तथा उससे जुड़े रोगों जैसे कि मधुमेह, उच्च रक्त चाप के मरीजों की संख्या में निरंतर वृद्धि होती जा रही है। युवाओं में पाश्चात्य संगीत और फिल्मों के प्रति बढ़ती लोकप्रियता के कारण वे अपने पुरातन संस्कार भूलते जा रहे हैं जो बहुत निंदनीय है।

निष्कर्ष

सामाजिक और आर्थिक दबावों के कारण, गांवों के लोग नौकरी की तलाश में उन शहरों की ओर रुख करने लगते हैं जहां नव स्थापित उद्योग और सहायक गतिविधियां उन लोगों को नौकरी के लगातार नए अवसर दे रही है। हालांकि शहरीकरण इतना बुरा नहीं है क्योंकि औद्योगीकरण के माध्यम से रोजगार बढ़ेगा तो देश में जीडीपी वृद्धि से अर्थव्यवस्था में सुधार आयेगा परंतु किसी चीज की अति खराब होती है। भारत जैसे कृषि प्रधान देश में बढ़ते शहरीकरण के फलस्वरूप कोई भी युवा गांवों में रहकर खेती नहीं करना चाहता और न ही वह गांवों में रहना चाहता है। अतः यह प्रश्न उठता है कि देश के मूल कार्य कृषि का विस्तार नहीं होगा तो उन्नति कैसे होगी ? इस समस्या का समाधान यह है कि अगर गांवों और छोटे कस्बों में बेहतर आधारभूत संरचना, चिकित्सालय और बेहतर शिक्षा के प्रावधान किए जाएँ तो देश का विकास संतुलित तरीके से होगा तथा आर्थिक विकास के साथ ग्रामीण क्षेत्र की आय भी बढ़ेगी और लोग गावों में शहर जैसी बुनियादी सेवाओं का लाभ भी ले पाएंगे और देश की संस्कृति भी गांवों में सुरक्षित रहेगी।

"सुना है उसने खरीद लिया है करोड़ों का घर शहर में
मगर आँगन दिखाने आज भी बच्चों को गांव लाता है।"

हरित आवास (ग्रीन हाउसिंग): वर्तमान समय की आवश्यकता

– मिंटू कुमार,
प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक

बढ़ती जनसंख्या, बढ़ते शहरीकरण, वैश्विक तापन और जलवायु परिवर्तन के इस दौर में, हरित आवास, एक प्रचलित शब्द बन गया है। हरित आवास शब्द को सुनकर हमारी कल्पना में सर्वप्रथम, एक सुंदर हरे– भरे और प्राकृतिक आवास का चित्र उभर कर आता है। एक ऐसे आवास का चित्र, जो नदियों, पर्वतों, समुद्रों से जुड़ा हुआ हो। हालाँकि, हरित आवास की संकल्पना प्रकृति से जुड़ी हुई है, किन्तु यह प्राकृतिक वातावरण में रहने की अपेक्षा प्रकृति और पर्यावरण–संरक्षण पर आधारित है। प्रकृति और पर्यावरण में उपलब्ध, भूमि, जल, वायु, ऊर्जा तथा अन्य प्राकृतिक सुविधाओं और संसाधनों का कुशल योग कर, पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता देते हुए निर्मित आवास, **हरित आवास** कहलाते हैं।

वर्तमान में हरित आवास की आवश्यकता पूरे विश्व को है। मानवों के द्वारा प्रेरित वैश्विक तापन और जलवायु परिवर्तन ने पूरी पृथ्वी को प्रभावित किया है। वर्षा–वन खत्म होते जा रहे हैं। जंगलों को जलाने वाला दावानल, हर वर्ष, एक नए और विशाल जंगल–क्षेत्र को जलाता जा रहा है जैसा कि हम पिछले वर्षों में लगातार होता हुआ देख रहे हैं। वैश्विक तापन में ग्लेशियर भी तेजी से पिघल रहे हैं और समुद्र का जल–स्तर इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि कुछ द्वीप और देशों के कुछ ही वर्षों में समुद्र में समा जाने की प्रबल संभावना है। परिणामस्वरूप, न केवल मानवों का आवास खत्म हो रहा है बल्कि विभिन्न जानवर, पशु– पक्षी, उपयुक्त और रहने योग्य आवास के अभाव में विलुप्त होते जा रहे हैं। प्राकृतिक संतुलन के लिए यह खतरे की घंटी है।

वैश्विक तापन और जलवायु परिवर्तन की इस गति को रोकने के लिए, मानव अब तक जो भी प्रयास कर रहा है, वे असफल साबित हो रहे हैं। इसका मुख्य कारण है कि वैश्विक तापन को रोकने के लिए उद्योगों से उत्सर्जित होने वाले कार्बन उत्सर्जन को ही मुख्य कारण माना जा रहा है। विश्व, औद्योगीकरण को ही वैश्विक तापन का जिम्मेदार मानता है। किन्तु, बढ़ते शहरीकरण में आवास की अनुपलब्धता और इतनी बड़ी जनसंख्या के अवशिष्ट और कचरा निस्तारण की अनुपयुक्त सुविधाओं ने भी कार्बन उत्सर्जन में धड़ल्ले से वृद्धि की है। साथ ही, शहरों और गाँवों के आवास और अवसंरचनाओं में उपयुक्त अपशिष्ट –प्रबंधन प्रणाली न होने का परिणाम प्रत्येक वर्ष हमें, जल–भराव की समस्या से दो–चार कराता है। महानगरों की स्थिति तो और खराब है, जहाँ, क्षेत्रफल की तुलना में जनसंख्या, बाढ़ की तरह बह रही है। बढ़ती जनसंख्या द्वारा संसाधनों के अकुशल प्रयोग ने न केवल संसाधनों को खत्म होने के कगार पर लाकर खड़ा किया है बल्कि, कार्बन उत्सर्जन में भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है जो अंततः, वैश्विक तापन और जलवायु परिवर्तन को ही बढ़ावा देते हैं।

हरित आवास क्या है ?

जैसा कि स्पष्ट है, हरित आवास, उपलब्ध संसाधनों का कुशल प्रयोग करता है। हरित आवास के निर्माण में प्रयोग होने वाली वस्तुओं को पुनः उपयोग में लाया जा सकता है। हरित आवास, ऊर्जा की खपत के प्रति दक्ष होते हैं अर्थात नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों यथा, सौर–ऊर्जा, जल ऊर्जा इत्यादि का उपयोग करते हैं। हरित आवास में जल की उपलब्धता के लिए वर्षा जल संचयन तथा उजाले के लिए सूर्य के प्रकाश का अधिकतम उपयोग किया जाता है। हरित आवास के आंतरिक तापमान को नियंत्रित करने के लिए, मिट्टी, रेत, पत्थर, बाँस जैसे स्थानीय और नवीकरणीय सामग्रियों का उपयोग कर दीवारों को अनुकूल बनाया जाता है। कमरों को विशेष रूप से वायु–संचार अर्थात वेंटिलेशन के प्रति अनुकूल बनाया जाता है। यह वायु–संचार, कमरों में एयर–कन्डीशनिंग की जरूरत को कम करता है। हरित आवास की एक अन्य विशेषता इनका भूकंप–रोधी होना भी है। इस विशेषता के साथ, पर्वतीय और मैदानी, दोनों क्षेत्रों के लिए हरित आवास समान रूप से लाभदायक हैं। इन सबसे इतर, अपशिष्ट –प्रबंधन, जो कि वर्तमान में एक बहुत बड़ी समस्या है, हरित आवास, इनके प्रति विशेष रूप से अनुकूलित होते हैं। एक बेहतर अपशिष्ट –प्रबंधन प्रणाली का निर्माण, हरित आवास की एक प्रमुख विशेषता है।

उपरोक्त तरीके से बने हरित आवास न केवल संसाधनों का कुशल प्रयोग करते हैं बल्कि पर्यावरण के प्रति भी अनुकूल होते हैं। पर्यावरण प्रदूषण और कार्बन उत्सर्जन को कम करने में भी हरित आवास महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

हरित आवास की आवश्यकता क्यों है ?

वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, हरित आवास की आवश्यकता को निम्नांकित संदर्भ में समझा जा सकता है। अप्रत्यक्ष रूप में, हरित आवास की आवश्यकता, हरित आवास के लाभ से संबंधित है जो कि निम्न प्रकार से है –

पर्यावरण संरक्षण – पर्यावरण संरक्षण, वर्तमान में, विश्व की प्राथमिकता

है। हरित आवास का सर्वप्रथम लाभ पर्यावरण – संरक्षण से संबंधित है। पर्यावरण – प्रदूषण और कार्बन उत्सर्जन को कम करके, हरित आवास, पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हरित आवास में नवीकरणीय संसाधनों का कुशल प्रयोग, अनवीकरणीय संसाधनों की खपत को कम करके प्रकृति के संतुलन को बनाए रखता है। वृक्षों को नुकसान पहुँचाये बिना, हरित आवास का निर्माण किया जाता है। वृक्ष, वर्षा को लाने में सहायक होते हैं। इसके अलावा मिट्टी के कटाव, अप्रत्याशित बाढ़, असमय वर्षा इत्यादि समस्याओं से मुक्ति मिल सकती है। भारत में यह लाभ, स्वयं में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है क्योंकि भारत के कृषि प्रधान देश होने में, इन समस्याओं का समाधान होना अति–आवश्यक है। हरित आवास में उपयोग होने वाले वर्षा जल संचयन का प्रयोग कृषि एवं अन्य कार्यों के लिए भी किया जा सकता है। समेकित रूप में, हम कह सकते हैं कि पर्यावरण संरक्षण ही हरित आवास की प्राथमिकता है।

रख–रखाव की कम लागत – हरित आवास के निर्माण के समय लगने वाले लागत को छोड़ दिया जाये तो भविष्य में, इस प्रकार के आवास के रख – रखाव की लागत तुलनात्मक रूप से कम होती है। ऐसे आवास न केवल टिकाऊ होते हैं, बल्कि प्रकृति के अनुकूल होने के कारण, इनके रख – रखाव के लिए सामग्री या साधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध भी हैं।

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बेहतर आवास – एक स्वच्छ आवास, जिसमें बेहतर अपशिष्ट प्रबंध प्रणाली हो, अनेक रोगों से मुक्ति प्रदान करता है।

स्वच्छ वातावरण, व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है। सूर्य का अधिकतम प्रकाश और वायु का अधिकतम आवागमन, न केवल मन को बल्कि तन को भी स्वस्थ रखता है। वर्तमान में चल रही कोविड –19 की महामारी ने अत्यधिक प्रचलित एयर–कंडीशन को एक भयानक उपकरण के रूप में स्थापित किया है जिसके वातावरण में विषाणु का खतरा और बढ़ जाता है। ऐसी अवस्था में, वायु –संचार वाले कमरे, कितने महत्वपूर्ण हैं, यह हम समझ गए हैं। इस महामारी ने स्वच्छता की एक नई परिभाषा लागू की है जिसमें, प्राकृतिक वायु, सूर्य के प्रकाश, और उपयुक्त कचरा –निस्तारण की सुविधा वाला आवास ही जीवन की रक्षा कर सकता है।

अर्थव्यवस्था में हरित आवास की भूमिका – हरित आवास, वर्तमान में एक नई संकल्पना है। हरित आवास से जुड़े उद्योग अभी प्रारम्भिक चरण में हैं। हरित आवास परियोजनाओं को प्रोत्साहित कर, अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित किया जा सकता है। हरित आवास निर्माण को प्रोत्साहन, आवास वित्त क्षेत्र में वृद्धि कर सकता है। रोजगार सृजन में भी यह महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

हरित आवास को अब तक पर्याप्त प्रचार क्यों नहीं मिला है

भारत में हरित आवास बनाने की अवधारणा अभी प्रारम्भिक चरण में ही है। भारत में निर्मित भवनों में से लगभग पाँच प्रतिशत भवन ही हरित आवास की श्रेणी में आते हैं। वर्तमान में देश में लगभग 6000 हरित परियोजनाएं चल रही हैं। यद्यपि, भारत सरकार द्वारा चलायी जा रही आवास परियोजनाओं में हरित – आवास को प्राथमिकता दी जा रही है, तथापि, व्यक्तिगत भवन निर्माण में, लोग अभी भी हरित आवास को नहीं चुनते हैं। इसका मुख्य कारण यह मिथ्या अवधारणा है कि हरित आवास, अपेक्षाकृत अधिक लागत वाला आवास है। ऐसा माना जाता है कि हरित आवास को बनाने के लिए जिन उपकरणों, संसाधनों की आवश्यकता है – यथा सौर पैनल, वर्षा जल संचयन के लिए निर्माण, अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली की व्यवस्था इत्यादि, वे सभी संसाधन अत्यधिक महंगे और आसानी से उपलब्ध होने वाले नहीं है। यद्यपि कुछ हद तक यह सत्य भी है कि प्रारंभ में, हरित आवास की लागत, सामान्य आवास की तुलना में अधिक हो सकती है क्योंकि, सौर पैनल, प्रभावी अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली का निर्माण, जल–संचयन की व्यवस्था इत्यादि में होने वाला खर्च अतिरिक्त खर्च माना जा सकता है। किन्तु, भविष्य की आवश्यकताओं और हरित आवास से होने वाले लाभ को देखते हुए, हरित आवास के निर्माण को ही प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। इसके अलावा यह भी सत्य है, किसी भी आवास के निर्माण का खर्च, आवास की अवस्थिति और आवास में उपयोग की जाने वाली सुविधाओं पर निर्भर करता है। अतः, हरित आवास के निर्माण की अत्यधिक लागत को एक निवेश के तौर पर देखा जाना चाहिए जो भविष्य में उचित रिटर्न प्रदान करेगा।

हरित आवास को पर्याप्त रूप से प्रचारित करने के लिए भारत सरकार को उत्साहजनक कदम उठाने चाहिए और बड़े पैमाने पर हरित आवास का प्रचार करना चाहिये। हालाँकि, वर्तमान में, सरकार हरित परियोजनाओं को प्रोत्साहित कर रही है किन्तु, इन परियोजनाओं को अधिक प्रचार और अधिक आर्थिक मदद की भी आवश्यकता है। हरित आवास परियोजनाओं की लागत को देखते हुए, सरकार को सब्सिडी घोषित करनी चाहिए। हरित आवास निर्माण के लिए विज्ञापन और पोस्टर लगाए जाने चाहिए। हरित आवास निर्माण में रूचि रखने वाले व्यक्तियों/ संस्थाओं को कम ब्याज दर पर आवास वित्त की सुविधा उपलब्ध करायी जानी चाहिये। हरित आवास से जुड़े उद्योगों को भी यथासंभव सहायता प्रदान की जानी चाहिए।

उपरोक्त अध्ययन से हम समझ सकते हैं कि हरित आवास की आवश्यकता क्यों है और क्यों यह अभी तक केवल शाब्दिक प्रचलन में ही बना हुआ है? इस अध्ययन से यह स्पष्ट है कि हरित आवास के निर्माण को बढ़ावा देकर ही हम पृथ्वी को रहने योग्य बनाये रखने में सफल हो सकते हैं। हम कह सकते हैं कि हरित आवास, न केवल वर्तमान समय की आवश्यकता है बल्कि कहीं न कहीं यह हमारा भविष्य भी निर्धारित करता है।

देश की प्रगति में वित्तीय समावेशन की भूमिका

– अनिल कुमार,
प्रबंधक, बैंक ऑफ बड़ौदा

किसी भी देश की प्रगति का मुख्य आधार उस देश का बुनियादी ढांचा होता है। इसी कारण देश की अर्थव्यवस्था में विकास एवं उन्नति हेतु किए जाने वाले प्रयासों को बल प्रदान करने के लिए नीति निर्माताओं द्वारा एक ऐसे मार्ग का अनुसरण किया जाता है जिसके माध्यम से सरकार समाज के हर एक वर्ग को अर्थव्यवस्था के औपचारिक माध्यम में शामिल कर सके। वस्तुतः यही कारण है कि वित्तीय समावेशन के तहत यह सुनिश्चित करना संभव हो पाता है। वित्तीय समावेशन एक ऐसी संकल्पना है जिससे देश के सतत आर्थिक और सामाजिक विकास का मार्ग प्रशस्त होता है। वित्तीय समावेशन न केवल लोगों को बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ता है अपितु देश के समावेशी विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह समाज के कम आय वाले लोगों व मुख्य धारा से वंचित वर्गों के लोगों के जीवन स्तर को सुधारने पर ज़ोर देता है। वित्तीय समावेशन का एक मुख्य घटक वित्तीय साक्षरता है जिसके परिणामस्वरूप लोग वित्तीय फैसले लेने में सक्षम बनते हैं तथा जागरूक व आत्मनिर्भर समाज की परिकल्पना को संबल प्रदान करते हैं।

जी–20, विश्व बैंक और संयुक्त राष्ट्र वित्तीय समावेशन को वैश्विक विकास का महत्वपूर्ण अंग मान चुके हैं। परिणामस्वरूप वित्तीय समावेशन आज एक वैश्विक एजेंडा बन गया है। भारत जैसे अनेक देशों में समावेशी विकास के लिए घोषित उपायों में वित्तीय समावेशन एक अहम स्थान रखता है। वर्ष 2008 में वित्तीय समावेशन पर बनी कमेटी ने इसको इस प्रकार से परिभाषित किया है – **यह कमजोर और वंचित लोगों को कम खर्च में एवं पर्याप्त व सही समय पर वित्तीय सेवाएँ तथा ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित करने की प्रक्रिया है।** इसका उद्देश्य कम आय वाले समहों को समान अवसर के प्रावधानों के साथ वित्तीय सेवाएँ उपलब्ध कराना है। समिति ने यह भी सुझाव दिया था कि एक निश्चित समय सीमा के अंदर वित्तीय समावेशन के कार्य को युद्ध स्तर पर पूरा किया जाना चाहिए। इसी क्रम में वर्ष 2015 में बनी एक और समिति ने वित्तीय समावेशन हेतु विज़न को "उन मूलभूत वित्तीय उत्पादों एवं सेवाओं के बास्केट तक आसान पहुँच के रूप में निर्धारित किया है जिसमें बचत, विप्रेषण, ऋण, लघु और सीमांत किसानों तथा कम आय परिवारों के लिए उचित लागत पर सरकारी सहायता प्राप्त बीमा और पेंशन उत्पाद शामिल हों तथा इसमें सामाजिक नगदी अंतरण के माध्यम से पर्याप्त संरक्षण के साथ लघु और सीमांत उद्यमों के लिए औपचारिक वित्त की पहुँच बढ़ाई जाए जिसमें लागत कम करने व डिलीवरी में सुधार करने हेतु प्रौद्योगिकी पर अधिक बल दिया जाए।"

किसी भी देश के समावेशी विकास के लिए वित्तीय समावेशन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हम सभी अवगत है कि किसी भी देश की प्रगति बिना आर्थिक विकास के संभव नहीं है। आर्थिक विकास के इंजन को गति प्रदान करने का कार्य विभिन्न सरकारी योजनाओं का कार्यान्वयन कर रहीं बैंक की शाखाओं के पदस्थ स्टाफ सदस्यों के दायित्वों के निर्वहन से हो पा रहा है। देश की प्रगति के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि सभी नागरिकों को एक समान आर्थिक विकास और सामाजिक एक रूपता के बिना किसी भेदभाव और शर्त के बुनियादी बैंकिंग सेवाएँ उपलब्ध कराई जानी चाहिए। यदि समाज का बड़ा हिस्सा उपेक्षित रहता है और इस व्यवस्था से दूर रहता है तो देश की प्रगति की संकल्पना को अमली जामा पहनाना संभव नहीं होगा।

वित्तीय समावेशन न केवल देश की प्रगति हेतु अपितु आय असमानता और देश में गरीबी को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके कारण सामाजिक सामंजस्य और साझा आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता है। वहीं वित्तीय अपवर्जन में समाज से कम आय वाले और वंचित लोगों को छोड़ दिया जाता है जिसके कारण उनके पास वित्त के अनौपचारिक विकल्पों के अतिरिक्त कोई चारा नहीं शेष रहता है और वह गरीबी के कुचक्र में आने के साथ–साथ महाजनों तथा सूदखोरों के चंगुल में फंस जाते हैं। इस

समूह को बिना साथ लिए देश की प्रगति संभव नहीं है। ये आर्थिक रूप से दुर्बल नहीं हैं बल्कि ये बाज़ार अर्थव्यवस्था में व्यापक भूमिका निभाने वाले लोग हैं। यदि इनके योगदान को किफायती वितरण के माध्यम से व्यवसायिक रूप दिया जाए तो निश्चित रूप से वित्तीय समावेशन लाभकारी व्यवसाय बन सकता है।

पिछले दो दशकों में भारत और अन्य देशों में बैंकिंग और वित्तीय जगत में अभूतपूर्व बदलाव हुए हैं जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं करी होगी। वित्तीय समावेशन के प्रति प्रत्येक देश की कार्यनीति और प्रगति अलग–अलग हैं क्योंकि सरकार की प्राथमिकताओं के महत्वपूर्ण बदलाव, नागरिकों की वित्तीय क्षमता और वित्तीय संव्यवहार को संचालित करने वाली सांस्कृतिक धारणा भिन्न–भिन्न है। हालांकि वित्तीय समावेशन की व्यवसायिक व्यवहारिकता स्थापित हो चुकी है और विश्व के तमाम देश अपनी आबादी के बड़े हिस्से तक वित्तीय सेवाओं की पहुँच सुनिश्चित करने के लिए प्रयासरत हैं। मूल कारण यह कि सम्पूर्ण वित्तीय समावेशन, आर्थिक समानता और आर्थिक प्रगति के लिए मार्ग प्रशस्त करता है।

भारत में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वर्ष 2005 से भारतीय रिज़र्व बैंक व राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मिलकर कई प्रकार के कार्यक्रम संचालित कर रहे हैं। लेकिन चिंगारी को आग बनाने का कार्य हुआ वर्ष 2014 में जब प्रधानमंत्री महोदय ने अपने भाषण में प्रधानमंत्री जन–धन योजना की घोषणा करी। इस योजना के अंतर्गत मात्र सात वर्षों में लगभग 43 करोड़ खाते खोले गए हैं जिनमें लगभग 1,40,000 करोड़ रुपए की राशि जमा हो चुकी है। यह अपने आपमें एक चमत्कारी योजना है जिसमें न केवल लोगों के बचत खाते खोले जाते हैं बल्कि उनको आवश्यकता आधारित सूक्ष्म ऋण, रुपे डेबिट कार्ड, धन विप्रेषण की सुविधा के साथ विभिन्न सामाजिक तथा वित्तीय सेवाओं से भी जोड़ने का कार्य किया जाता है। समग्र रूप से कहा जा सकता है कि ये सभी कारक देश की प्रगति में योगदान करते हैं एवं समावेशी विकास में सहायक सिद्ध होते हैं।

वित्तीय समावेशन के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली अनेक सुविधाओं का लाभ लेने के लिए सबसे पहले हमको अमुक सेवा की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। बिना वित्तीय साक्षरता के यह संभव नहीं है। आज वित्तीय साक्षरता ने विश्व का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट किया है जिसका कारण यह है कि एक जागरूक ग्राहक आत्मविश्वास से भरा होगा और उचित वित्तीय निर्णय लेने में सक्षम होगा। वित्तीय साक्षरता, ग्राहकों को विभिन्न वित्तीय उत्पादों, सही उत्पाद चुनने की क्षमता और शिकायत निवारण के लिए उपलब्ध तंत्र के विषय में जागरूकता रखने हेतु सक्षम बनाती है। आज समाज में बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों, छोटे उद्यमियों आदि के मध्य वित्तीय जागरूकता बढ़ाने पर बल दिया जा रहा है। डिजिटल बैंकिंग के दौर में डिजिटल माध्यम के अधिक से अधिक प्रयोग के साथ–साथ साइबर सुरक्षा संबंधी जागरूकता को भी अधिकाधिक महत्व दिया जा रहा है।

वित्तीय समावेशन नीति के अंतर्गत सम्पूर्ण वित्तीय समावेशन के लिए बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की बात कही गई है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण को विशिष्ट पहचान संख्या जारी करने के उद्देश्य से बनाया गया है, जिसको हम आधार नंबर के नाम से जानते हैं। यह डुप्लीकेट और फर्जी पहचान को समाप्त करने के के लिए सभी निवासियों के लिए बायोमेट्रिक पहचान से जुड़ा हुआ है। प्राधिकरण देश में लगभग

सवा सौ करोड़ लोगों को आधार संख्या जारी कर चुका है। आधार की सहायता से मौके पर सत्यापन, भुगतान बैंक के नेटवर्क ने देश के दूर दराज इलाकों में वित्तीय सेवाओं की पहुँच को सरल बना दिया है। इससे न केवल लोगों को पहचान मिली है बल्कि सरकार की तीन सौ से अधिक लाभकारी योजनाओं का लाभ वास्तविक समय में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) द्वारा लाभार्थियों के बैंक खातों में बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के पहुंचाया जा रही है। इससे न केवल भ्रष्टाचार पर लगाम लगी है बल्कि लाभार्थी को सीधे तौर पर लाभ प्राप्त हो रहा है। यदि पिछले वर्ष की बात की जाए तो डीबीटी के माध्यम से लगभग साढ़े पाँच लाख करोड़ रुपए की राशि लाभार्थियों के खातों में जमा हुई और मात्र एक साल में ही सरकार को लगभग पौने दो लाख करोड़ करोड़ रुपए लाभ हुआ है। अतः कहा जा सकता है कि डीबीटी एक पारदर्शी, प्रभावी और विश्वसनीय व्यवस्था है।

कोविड काल में डीबीटी लोगों के लिए संजीवनी बनकर उभरी। इस दौरान 42 करोड़ खातों में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत लगभग 69 हज़ार करोड़ की सहायता दी गई, 20 करोड़ ज्यादा महिलाओं के प्रधानमंत्री जन–धन खातों में 500–500 रुपए की तीन किश्तों में 30 हज़ार करोड़ से अधिक की सहायता दी गई, 1.83 करोड़ मजदूरों के खातों में 5 हज़ार करोड़ से अधिक की सहायता दी गई आदि। आज सरकार का उद्देश्य लोगों को आश्रित बनाना नहीं है बल्कि उनको उनका अधिकार देना है। आज लोगों को आत्मनिर्भर, स्वावलंबी बनाने के साथ–साथ अपने परिवार का भरण पोषण करने में सक्षम बनने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। सीधे लाभ मिलने का परिणाम अब लोगों के स्वभाव के साथ–साथ समाज की संस्कृति में भी दिखने लगा है। खाता खोलने व लाभ हस्तांतरण के साथ में ऋण की उपलब्धता भी आवश्यक है क्योंकि यह लोगों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाती है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए वित्त की उपलब्धता नहीं है। इसके लिए वरदान साबित हुई, 2015 में शुरू हुई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। पिछले साल प्रधामन्त्री मुद्रा योजना के अंतर्गत लगभग 15 लाख करोड़ रुपए का संवितरण छोटे उद्यमियों को हुआ है, जिसमें सत्तर फीसदी से अधिक महिलाएं, पचास फीसदी से अधिक अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग और औपचारिक बैंकिंग दायरे से बाहर के उद्यमी शामिल हैं।

आज देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। आशाएँ, आकांक्षाएँ और उम्मीदें बढ़ रही हैं। विशेष रूप से महिलाओं और अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति समुदाय के संभावित उद्यमियों का एक बड़ा समूह है, जो स्वयं का उद्यम स्थापित करने के इच्छुक हैं और जीवन में प्रगति करना चाहते हैं। उंसके पास नवोन्मेषी विचार हैं जिसके द्वारा अपनी व समाज की स्थिति को बेहतर बनाना चाहते हैं। इस स्वप्न को वास्तविकता में बदलने के लिए कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इसी समस्या के निदान तथा आर्थिक सशक्तिकरण व रोजगार सृजन पर आधारित योजना स्टैंडअप इंडिया की नींव रखी गई। इस योजना के अंतर्गत जून 2021 तक 26000 हज़ार करोड़ से अधिक राशि के 1 लाख 16 हज़ार से अधिक ऋण आवेदनों को स्वीकृत किया जा चुका है। कोविड काल में शुरू हुई प्रधानमंत्री स्वानिधि योजना के अंतर्गत देश में पहली बार रेहड़ी–पटरी वालों को देश की वित्त व्यवस्था में सम्मिलित किया गया है। जून 2021 तक लगभग 15 लाख रेहड़ी–पटरी वालों को 10–10 हज़ार रुपए के ऋण वितरित किए जा चुके हैं।

कहा जा सकता है कि यह सामाजिक वित्तीय समावेशन ही नहीं, भौगोलिक समावेशन का भी आधार तैयार करने में सहायक सिद्ध हो रहा है। ताकि देश के हर एक कोने में समान रूप से वित्तीय सेवाओं की पहुँच के साथ–साथ संसाधनों की पहुँच भी सुनिश्चित हो सके। वित्तीय समावेशन की योजनाएँ गरीबी रेखा से लोगों को बाहर निकालने में सहायक साबित हो रही हैं। अब यह सिद्ध हो चुका है कि वित्तीय समावेशन, समावेशी विकास का आधार है, जो हर एक नागरिक को सशक्त बनाने, सरकार के सामाजिक और आर्थिक एजेंडे को सुव्यवस्थित करने तथा संसाधनों के समुचित आवंटन के लिए महत्वपूर्ण माध्यम है। हाल के वर्षों में वित्तीय समावेशन को लेकर बहु आयामी कदम उठाए गए हैं जिसके परिणाम हमको निकट भविष्य में देश की उन्नति के रूप में देखने को मिलेंगे।

आज देश में मध्यम वर्ग का दायरा बढ़ रहा है। भारत में मध्यम वर्ग उपभोक्ताओं की संख्या 30 करोड़ के पर पहुँच चुकी है जो आगामी दस वर्षों में दोगुनी होने की संभावना है। आर्थिक विकास और गरीबी उन्मूलन की दिशा में वित्तीय समावेशन एक अहम आधार है क्योंकि औपचारिक तरीके से धन की पहुँच से रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलता है और आर्थिक असमानता की संभावना कम हो जाती है। निश्चित तौर पर आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से एक नया भारत उभर रहा है। यह एक ऐसी विचारधारा को जन्म दे रहा है जहां सभी के लिए आर्थिक अवसर, ज्ञान अर्थव्यवस्था, समग्र विकास और अत्याधुनिक, सुदृढ़ एवं डिजिटल बुनियादी ढांचे पर टिका हुआ है। प्रधानमंत्री जन–धन योजना वित्तीय समावेशन भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में आर्थिक जगत के गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। वित्तीय समावेशन और वित्तीय सशक्तिकरण से भारत नए युग की एक ऐसी गाथा लिखने जा रहा है जो मानवता के इतिहास में समावेशन के वास्तुकला के रूप में परिलक्षित होगा और सामाजिक कल्याण का नया अध्याय रचेगा।

देश में बढ़ता शहरीकरण : वरदान या अभिशाप

– पूनम बी राजपाल
प्रबंधक, हडको

प्रस्तावना:

शहरीकरण शब्द सुनते न जाने क्यों अधिकतर लोगों को गांव से शहर की ओर पलायन करते लोग नज़र आते हैं हालांकि शहरीकरण कोई आज की अवधारणा नहीं है और यह विभिन्न देशों में अलग–अलग कालखंड में होता रहा है। इंसान की अपनी तीन मूलभूत आवश्यकताएं है और वो है रोटी, कपड़ा और मकान। और इंसान इसी तीन चीज़ की चाहत में अपने गांव को छोड़कर शहर की ओर भाग रहा है हालांकि इसे मालूम है कि इसमें बहुत सारी कठिनाईयां भी हैं लेकिन इंसान शहर की चकाचौंध और अपनी जरूरतों से मजबूर इन शहरों के पीछे चला आता है।

अगर हम आंकड़ों की बात करें तो शहरीकरण के मामलें में 7935 शहरों वाला भारत विश्व का दूसरा बड़ा देश है। एक रिपोर्ट के मुताबिक आज ग्रामीण क्षेत्रों की आबादी 72.19 प्रतिशत से घटकर 68.84 प्रतिशत हो गई है, जबकि नगरीय आबादी का प्रतिशत पिछले एक दशक में 27.81 प्रतिशत से बढ़कर 31.16 प्रतिशत हो गया है। प्रति वर्ष क़स्बे नगर बन रहें है और नगर महानगर।

क्या है शहरीकरण?

मोटेतौर पर रोजगार, बेहतर शिक्षा और बेहतर स्वास्थ्य सुविधा की लालसा में गांव से शहर की ओर आबादी का पलायन ही शहरीकरण कहलाता है। यह मुख्य रूप से वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कस्बों और शहरों का गठन होता है, क्योंकि अधिकतर लोग शहरी क्षेत्रों में रहना और काम करना शुरू करते हैं। विश्व की आधी से अधिक आबादी शहरों में वास करती है। लोग बेहतर भविष्य की तलाश में यहाँ रहना पसंद करते हैं।

शहरीकरण की ओर बढ़ते कदम:

एक अनुमान के अनुसार वर्ष 2050 तक भारत जो कभी गांवों का देश कहा जाता था उसे आप और हम शहरी देश कहने की मजबूर हो जाएंगे क्योंकि तब तक देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा शहरों में रहने लगेगा। ऐसा अनुमान है कि वर्ष 2035 तक सबसे तेज़ी से बढ़ने वाले शहर भारत के भी होंगे। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बंगलूरू और हैदराबाद जैसे महानगरों की आबादी लगातार बढ़ रही है और वैश्विक स्तर पर भी कुल आबादी का 70 प्रतिशत हिस्सा शहरों में निवास करने लगेगा। पूर्व आँकड़ों के अनुसार, वर्ष 2011 तक भारत की आबादी का 31.16 प्रतिशत हिस्सा शहरों में रहता था और वर्ष 2019 में यह आँकड़ा बढ़कर 33.6 प्रतिशत हो गया।

वर्ष 1990 में जब देश में उदारीकरण या यूं कह लें कि निजीकरण का दौरा आया तो आज के बड़े–बड़े शहरों यथा कोलकाता, दिल्ली, मुंबई आदि के आसपास बड़े–बड़े कारखाने और फैक्टरियां लगने लगीं और इनके आसपास की आबादी काम की तलाश में इन शहरों में आने लगे और धीरे–धीरे यहां बसने भी लगे। इसी बीच खेती जो पहले देश की जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा हुआ करती थी अब घाटे का सौदा होने लगी और खेती को लेकर लोगों का मोहभंग होने लेगा। कृषि में होने वाले नुकसान, बढ़ती धन की लागत और कड़ी मेहनत की वज़ह से लोग कृषि छोड़कर रोज़गार की तलाश में शहर आना पसंद करने लगे हैं। शहरी क्षेत्रों में बेहतर बुनियादी सुविधाएँ जैसे कि शिक्षा, रोज़गार, स्वास्थ्य और परिवहन की सुगम व्यवस्था आदि के कारण गाँवों से लोग पलायन करने लगे।

शहरीकरण का मुख्य आकर्षण:

शहरीकरण का सबसे प्रमुख लाभ कि बात करें को वो है कि यहां बेहतर बुनियादी ढांचा होने के कारण यहां हर रोज नए कल–कारखाने लग रहे हैं और इसके कारण आर्थिक गतिविधि को बढ़ावा मिल रही है। नए–नए काम के अवसर उत्पन्न हो रहे हैं। अगर शहरीकरण के सामाजिक पहलू पर बात करें तो शहरीकरण और शिक्षा के विकास ने जाति प्रथा, दहेज प्रथा जैसी सामाजिक कुप्रथाएं धीरे–धीरे समाप्त हो रही हैं। बेहतर शिक्षा प्राप्त होने के कारण यहां लोग काफी हद तक अंधविश्वासों पर भरोसा नहीं करते। शहरों में बड़े–बड़े स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी खुल रहे हैं, जहां अच्छी से अच्छी शिक्षा दी जाती है। संस्थानों में पढ़ाने वाले टीचर और प्रोफेसर अपने विषय में अधिक निपुण होते हैं। प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी के कारण लोगों का रहन–सहन स्तर बेहतर होता जा रहा है। शहरों में हर तरफ तकनीक की महत्ता है जो हमारे कई सारे असंभव से लगने वाले कामों को आसान बना दे

रहा है। बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था होने कारण भारत में मृत्यु दर में भी गिरावट हुई है। शहरीकरण ने महिलाओं की सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों में व्यापक बदलाव किया है। महिलाओं की परिस्थिति ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरी क्षेत्रों में अधिक ऊँची है।

शहरीकरण से जुडी समस्याएं:

हालांकि ऐसा नहीं है कि शहरीकरण के बस फायदे ही फायदे हैं इसके साथ कई सारी मुश्किलें और चुनौतियां भी जुड़ी हैं। शहरी जीवन इतना भागदौड़ भरा और व्यस्त होता है जहां लोगों को अपने सगे संबधियों से मिलने का समय नहीं मिलता और वे स्वार्थी भी होते जाते हैं। शहरों में होने वाले अपराध एक बड़ी समस्या है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड्स ब्यूरो (एनसीआरबी) के मुताबिक महानगरों और शहरों में अपराध बढ़े है। लोग यहां काम की तलाश में आ तो जाते हैं लेकिन कम पढ़े–लिखे लोगों के लिए शहर एक अभिशाप भी है जिन्हें यहां नरकीय जीवन यापन को मजबूर होना पड़ता है क्योंकि यहां किराए के घरों की कीमत कई बार बहुत अधिक होती है और उनके वेतन के हिसाब से वे एक बेहतर परिवेश में नहीं रह पाते हैं। भारत की शहरी आबादी का लगभग 17.4 प्रतिशत झुग्गी–झोपड़ी में रहता है। शहरीकरण के कारण नगरों में झुग्गी–झोपड़ियों का फैलाव भी बढ़ा है। महानगरों में ट्रैफिक का जाम होना भी एक प्रमुख समस्या बनती जा रही है। शहर में आते ही हर व्यक्ति चाहता है कि उसके पास अपनी कार/ बाइक हो, फलस्वरूप सड़कों पर निजी वाहनों की संख्या बढ़ने से ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ता है। लोगों को शहर आने पर सुख–सुविधाएं तो मिली हैं लेकिन उसके साथ ही यहां के प्रदूषण ने उनका जीना भी मुहाल कर रखा है आज दिल्ली, गाजियाबाद जैसे शहरों में प्रदूषण का क्या हाल है ये आए दिन आप और हम अखबारों और खबरों में देखते ही रहते हैं।

शहरीकरण: वरदान या अभिशाप

हर सिक्के के दो पहलु होते हैं और जब तक हम दोनों पहलू को एक साथ नहीं देख लेते तब तक हम यह सुनिश्चित नहीं कर सकते हैं क्या अच्छा है और क्या बुरा। कई सारे लोगों का मानना है कि शहरीकरण एक बेहतर प्रक्रिया है लेकिन मौजूदा दौर में जिस तरह से शहरीकरण हो रहा है वो निश्चित तौर पर बेहतर भविष्य का आईना तो नहीं दिखाता। कई विद्वानों का मानना है कि अभी भी देर नहीं हुई है यदि शहरीकरण को नियोजित तरीके से बढ़ाया जाए तो यकीनन यह एक वरदान ही साबित होगा क्यूंकि शहर में जरूरत की लगभग सभी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं।

अगर हम शहरों के साथ जुड़ी खासियतों की बात करें तो शहरों में व्यापारिक और औद्योगिक केंद्र स्थित होते हैं जो लोगों को रोजगार देने का भी कार्य करते हैं। विद्यालय से लेकर विश्वविद्यालय तक शिक्षा के लिए सभी तरह की सुविधाएं होती हैं। शहरी क्षेत्रों में मनोरंजन के सभी साधन मौजूद होते हैं। शहर के पास सब कुछ है बस उसको सही तरीके से नियोजित करने की जरूरत है मसलन ठोस कचरे के बेहतर निस्तारण पर हमें विचार करना है। ठोस कचरों का हम किस प्रकार से बेहतर उपयोग कर सकते हैं इस ओर ध्यान दिया जाए। देश में आज सिटी नहीं स्मार्ट सिटी की जरूरत है जो अपने नागरिकों को बेहतर ख्याल रख सके और किसी भी चीज के लिए किसी दूसरे शहर पर निर्भर न रहे।

शहरों में गंदगी और कचरा एक बहुत बड़ी समस्या बन कर उभरी है। हमें इसके बेहतर निपटान और प्रबंधन पर ध्यान देना होगा। इससे जहां हम इसका पुनः प्रयोग कर पाएंगे वहीं इससे होने वाली बीमारियां भी कम होगी। आज शहर जो गंदगी और बदबू का प्रयाय बन गए हैं उन्हें भी इससे छुटकारा मिलेगा। सरकार की ओर से इस दिशा में कई प्रयास किए जा रहे हैं मसलन स्वच्छ भारत अभियान, स्मार्ट सिटी मिशन आदि।

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत अभिनव एवं आधुनिक निर्माण प्रौद्योगिकी के उपयोग की सुविधा प्रदान करने के लिये प्रौद्योगिकी सब–मिशन भी शुरू किया गया है। हमें अपने घरों को पर्यावरण अनुकूल बनाना होगा। शहरों में उपलब्ध संसाधन और वहां की परिस्थिति के हिसाब से हमें मकान बनाने होंगे। जल संरक्षण पर और व्यापक कार्ययोजनाओं की जरूरत है। शहरों में यातायात और प्रदुषण की समस्या से निदान हेतु मेट्रो रेल योजना तीव्र गति से कार्य कर रही है भारत में अब तक 13 प्रमुख शहरों में मेट्रो चल रही है, जिसमे लाखों लोग प्रतिदिन यात्रा कर रहे हैं। शहरी क्षेत्रों का संतुलित विकास सरकार की मुख्य प्राथमिकता है। देश में 'शहरीकरण' की प्रक्रिया का प्रबंधन यह निर्धारित करेगा कि किस सीमा तक शहरीकरण का लाभ उठाया जा सकता हैं।

वर्ष 2016 में शहरीकरण विषय पर बात करते हुए प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने कहा था कि 'एक समय था जब देश में शहरीकरण को एक समस्या माना जाता था। लेकिन मैं अलग तरीके से सोचता हूं। हमें शहरीकरण को एक समस्या नहीं मानना चाहिये बल्कि इसे एक अवसर के रूप में लेना चाहिए।'

उन्होंने कहा, 'आर्थिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग शहरों को आर्थिक

वृद्धि के केन्द्र के रूप में मानते हैं। यदि किसी में गरीबी कम करने की क्षमता है तो वह हमारे शहर हैं। यही वजह है कि गरीब स्थानों से लोग निकलकर शहरों में जाते हैं, क्योंकि उन्हें वहां काम के अवसर मिलते हैं। अब यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने शहरों को मजबूती दें ताकि इससे कम से कम समय में ज्यादा–से–ज्यादा गरीबी दूर की जा सके और विकास के लिये नए मार्ग इसमें जोड़ें जा सकें। यह संभव है, यह कोई मुश्किल काम नहीं है।'

वर्ष 2020 के अंत में शहरी केंद्रों के कायाकल्प विषय पर बात करते हुए प्रधानमंत्री जी ने कहा कि "कोविड–19 के बाद दुनिया को फिर से शुरुआत करने की आवश्यकता होगी। इस महामारी ने फिर से बताया है कि हमारे सबसे बड़े संसाधन, समाज के रूप में और व्यवसाय के रूप में, हमारे लोग हैं। कोविड के बाद की दुनिया को इस महत्वपूर्ण और मूलभूत संसाधन को पोषित करना होगा।"

लॉकडाउन के दौरान स्वच्छ पर्यावरण के बारे में बात करते हुए उन्होंने इस बात की उत्सुकता व्यक्त करते हुआ कहा कि "क्या हम ऐसे स्थायी शहरों का निर्माण कर सकते हैं जहां एक स्वच्छ वातावरण एक मानक हो और अपवाद नहीं?" श्री मोदी ने कहा, "भारत में यह प्रयास किया गया है कि हम ऐसे शहरी केंद्रों का निर्माण करें, जिनमें एक शहर की सुविधाएं तो हों, लेकिन भावना एक गांव की हो।"

इस बात से यह सन्देश मिल रहा है कि शहर यदि शरीर है तो गाँव उसकी आत्मा। हम एक दूसरे के पूरक हैं और शहरीकरण की प्रक्रिया को आगे बढाते हुए हमें इन सभी पहलुओं पर प्राथमिकता देते हुए ही आगे बढ़ने की राह देखनी होगी।

जब प्रबंधन अनियोजित तरीके से किया जाता है, तो शहरीकरण सतत विकास के लिए हानिकारक हो सकता है। हालांकि, दूरदर्शिता, मिशन और प्रतिबद्धता के साथ, सतत शहरीकरण हमारी बढ़ती वैश्विक आबादी के समाधानों में से एक है।

शहरीकरण और मानव गतिविधियों से प्राकृतिक वातावरण पर कई विनाशकारी और अपरिवर्तनीय प्रभाव पैदा होते हैं जैसे कि जलवायु परिवर्तन, वायु प्रदूषण, तलछट और मिट्टी का कटाव, बाढ़ की मात्रा में वृद्धि, और आवास की हानि। शहरी परिवेश में शहर स्थानीय जलवायु को नाटकीय रूप से बदलते हैं। यहाँ भूमिका आती है एक आम नागरिक की, जिसे अपनी आदतों और आकाक्षाओं पर सतर्क नजरिया रखना अति आवश्यक है। अब हर जिम्मेदारी तो हम अपनी सरकार पर डाल कर नहीं बैठ सकते। एक नागरिक के भी अपने राष्ट्र की ओर कर्तव्य हैं, जिन्हें हम अनदेखा नहीं कर सकते।

विकास की प्रक्रिया यदि नियोजित रूप से चलती रहे तो शहरीकरण से जुडी समस्याओं पर आसानी से विजय पाई जा सकती है।

इस बात से भी हम इंकार नहीं कर सकते कि विज्ञान के क्रांतिकारी युग में हर व्यक्ति को यह अधिकार है कि उसे सभी सुख सुविधाओं की प्राप्ति हो और वह अपने समय और धन का सही उपयोग कर सके। अगर हमें सही अर्थों में शहर तैयार करने हैं तो हमें समस्याओं को ही अवसर बनाना होगा।

"समस्त भारतीय भाषाओं के लिए यदि कोई एक लिपि आवश्यक हो तो वह देवनागरी ही हो सकती है।"

– जस्टिस कृष्णस्वामी अय्यर

बैंक के सहायक महाप्रबंधक
श्री आर.के. अरविंद के कैमरे से

पंजी. सं. दिल्ली इन/2001/6138

राष्ट्रीय आवास बैंक
NATIONAL HOUSING BANK

दवाई भी और कड़ाई भी

कोविड-19 के उचित व्यवहार का पालन करें

मास्क ढंग से लगाएँ

हाथों को नियमित रूप से धोएँ / सैनेटाईज़ करें

सुरक्षित दूरी बनाए रखें

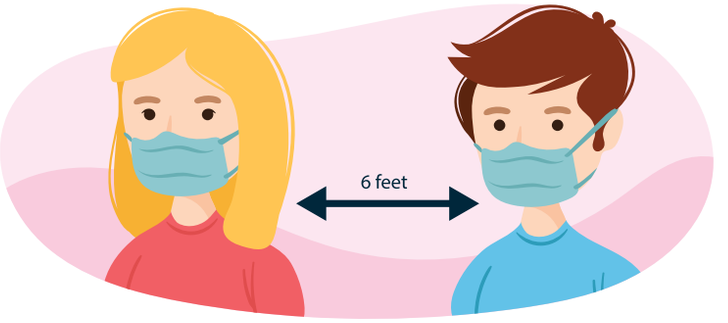

राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा जनहित में जारी

कोविड-19 से अतिरिक्त सुरक्षा हेतु
सभी पात्र नागरिक अपना टीकाकरण करवाएँ।

कोर 5–ए, भारत पर्यावास केंद्र, 3–5 तल, लोधी रोड नई दिल्ली– 110003
टेली : 011–3918 7000–35
वेबसाइट : **http://www.nhb.org.in**

राष्ट्रीय आवास बैंक
NATIONAL HOUSING BANK

नई दिल्ली (मुख्यालय), मुम्बई, अहमदाबाद, बैंगलूरू, हैदराबाद, कोलकाता, भोपाल, चेन्नई, लखनऊ, गुवाहाटी

मुद्रक सज्जा एवं प्रिंटिंग: जे.के. ऑफसेट ग्राफिक्स प्रा.लि., नई दिल्ली–110020